सत्यमेव जयते

# वार्षिक रिपोर्ट

# ANNUAL REPORT

## 2016-17

## ब्रह्मपुत्र बोर्ड

बशिष्ठ, गुवाहाटी - 29

## BRAHMAPUTRA BOARD

Basistha, Guwahati-781029

# North Eastern Hydraulic and Allied Research Institute (NEHARI)

North Eastern Hydraulic and Allied Research Institute (NEHARI) was established in the year 1996 under Brahmaputra Board, as a follow up of historic Assam Accord inked on the auspicious day – 15th August (Independence Day of India) – in the year 1985 in presence of the then, Hon'ble Prime Minister of India Late Shri Rajiv Gandhi. The Institute is situated in sprawling campus of 44 hectares at Rudreswar in North Guwahati at a distance of 25 km from the main city, far from the madding crowd of the city, on the hillock with a panoramic view. The Institute was setup as pioneer laboratory of North Eastern Region for testing of soil, rock, concrete and construction materials for development of water resources and other projects. The Institute has adequate facility for simulating / understanding river behaviour through physical models. \

**Mandate**

Undertaking field and laboratory investigations, research and development work of basic and applied types in 'Geo-Mechanics', 'Concrete Technology', 'Soil characteristics' 'construction materials' and associated issues for development of Hydropower, Irrigation and Flood Control Projects.

**Activities**

- Hydraulic Physical Model Testing for Erosion problem study and River training
- Soil Mechanics
- Rock Mechanics
- Concrete Technology
- Construction material testing
- Geophysical Investigations at Site
- Sediment/Silt analysis

NEHARI has patronage of Central Soil and Material Research Station (CSMRS), New Delhi and Central Water and Power Research Station (CWPRS), Pune - Internationally recognised apex Institute in the field of Laboratory testing of soil and construction materials and development of physical and mathematical models in the field of water resources. Experts / technical hands of NEHARI had initially been imparted training on the subject by both the above mentioned premier institute. During this short span of time, since its inception, NEHARI has successfully completed laboratory testing of soil and materials during investigation and also during execution of a number of projects in the water resources development.

Noteworthy among them are Lower Subansiri Hydro Electric Project, Middle Subansiri Hydro Electric Project, Lower Siang Project, Middle Siang Project, Dibang Dam Project, Laskar Mintu Project of Meghalaya, Tuirini, Tuipal and Kolodyne HE Project of Mizoram, Dikhu Hydel Project of Nagaland and others. Test report prepared by NEHARI have been appreciated by CSMRS.

Three model studies and several testing of soil, rock and concrete samples have already been carried out in NEHARI for various organisations / project authorities in the N.E. region like North East Electric Power Corporation, Central Water Commission, North Eastern Council, National Hydro Power Corporation and State Government of Assam, Manipur, Meghalaya and Mizoram. In addition to the above, model studies of Majuli for long term solutions for floods and erosion problem and Jia-Bhareli River at Chowkighet for construction of bridge at the National Highway have also been completed.

# वार्षिक रिपोर्ट

## 2016-2017

**ब्रह्मपुत्र बोर्ड**

**बशिष्ठ, गुवाहाटी**

सत्यमेव जयते

# प्राक्कथन

'ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट' के प्रकाशन का कार्य बहुत खुशी और गौरवान्वित होने का है। इस रिपोर्ट में नियमित विशेषताएं, जैसे– किए गए कार्यकलाप, भौतिक और वित्तीय रूपों में प्राप्त उपलब्धियां, भविष्य की योजनाएं और बाधाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 61वीं और 62वीं बैठक आयोजित की गईं और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बोर्ड की एक विशेष बैठक आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया।

वर्ष की प्रमुख उपलब्धि रही– ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण के स्कीम को स्थायी समिति के विशेषज्ञों तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड (टीएसी–बीबी) की तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार और एनएलसीपीआर के तहत डोनर मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित स्कीम के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना। डोनर मंत्रालय ने 233.57 करोड़ रुपए की कुल लागत में से 207 करोड़ रुपए के वित्तपोषण को मंजूरी दी।

इसके अलावा, पूरे किए गए चार मास्टर योजनाओं को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ लगातार चर्चा के बाद उसके सुझावों के अनुसार संशोधित किया गया जिसमें आधुनिक उपकरणों और नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कुछ और आंकड़े शामिल किए गए थे।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रस्तावों के लिए भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के लगातार समर्थन, मार्गदर्शन, सलाह और समय पर निर्णय के बिना उपरोक्त उपलब्धियां संभव नहीं हो पातीं। इसके लिए मैं माननीय केन्द्रीय मंत्री, माननीय राज्य मंत्री, सचिव महोदय और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की विभिन्न इकाइयों की व्यापक लेखापरीक्षा की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रयासों से संतुष्टि, आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मजबूत वित्तीय प्रबंधन का समर्थन किया गया। मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वैज्ञानिक विभाग के प्रधान लेखा परीक्षक निदेशक, कोलकाता का आभारी हूं और भविष्य में उनके लगातार समर्थन की आशा रखता हूं।

यह बताते हुए हर्ष होता है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियां एकमात्र ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के प्रयासों के चलते प्राप्त हुईं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सुचारू काम को सुनिश्चित करने में उनके ईमानदार प्रयासों को स्वीकार करने और सराहना करने में मुझे खुशी है।

(संजय कुंडु) आईपीएस
अध्यक्ष

बशिष्ठ , गुवाहाटी –29
29 जून, 2017

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

## विषय-सूची


| अध्याय | विषय | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| **अध्याय-I** | **सामान्य** | |
| 1.1 | ब्रह्मपुत्र घाटी, बराक घाटी तथा त्रिपुरा की नदियाँ | 1 - 3 |
| 1.2 | बोर्ड कार्यालय की स्थापना तथा इसके कार्य | 4 - 5 |
| 1.3 | हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड की बैठक | 5 |
| 1.4 | बोर्ड की बैठकें | 5 |
| 1.5 | बोर्ड की सांगठनिक संरचना | 5 |
| **अध्याय-II** | **सामान्य समीक्षा** | |
| 2.1 | प्रशासन तथा संगठन | 6 - 8 |
| 2.2 | वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा | 8 |
| 2.3 | वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यों की प्रगति की समीक्षा | 8 - 11 |
| **अध्याय-III** | **वर्ष 2016-17 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की उपलब्धि** | |
| 3.1 | मास्टर योजना की तैयारी तथा सर्वेक्षण, अन्वेषण में हुई प्रगति, जलनिकास विकास स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं का डीपीआर | 12 - 14 |
| 3.2 | जलनिकास विकास स्कीम (डीडीएस) | 14 - 18 |
| 3.3 | जल संसाधन परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण | 18 - 21 |
| 3.4 | निर्माण कार्यकलाप | 21 - 23 |
| 3.5 | बाढ़ प्रबंधन और तटकटावरोधी स्कीमें | 23 - 27 |
| 3.6 | भारत सरकार के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन स्कीमों का मूल्यांकन और मॉनीटरिंग | 27 -29 |
| 3.7 | ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 की समीक्षा | 29 |
| **अध्याय-IV** | **ब्रह्मपुत्र बोर्ड के गैर-फील्ड कार्यकलाप** | |
| 4.1 | यौन उत्पीड़न और लिंग न्याय संबंधी शिकायत समिति | 30 |
| 4.2 | सतर्कता और अनुशासनिक मामले | 30 |
| 4.3 | संगोष्ठी/सिम्पोसियम/कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि में अंशग्रहण | 30 - 31 |
| 4.4 | राजभाषा हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग | 31 - 32 |
| 4.5 | नागरिक चार्टर का सूत्रीकरण | 32 |
| 4.6 | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) का कार्यान्वयन | 32 |
| 4.7 | स्वच्छ भारत अभियान और जागृति कार्यक्रम का पालन | 33 - 34 |
| **अध्याय-V** | **दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित कार्यकलाप** | |
| 5.1 | दिव्यांग व्यक्तियों का विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन | 35 |
| 5.2 | अनुमोदित पदों का विवरण और 3% रिक्त पदों के विपरीत समूह 'क', 'ख' और 'ग' में विभिन्न पदों में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या | 35 |
| **अध्याय-VI** | **वर्ष 2016-17 के दौरान बैठक** | |
| 6.1 | ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठकें | 36 |
| 6.2 | स्थायी समिति की बैठक | 36 - 42 |
| 6.3 | वर्ष 2016-17 के दौरान अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा के भाग लिए गए महत्वहपूर्ण बैठकें/कार्यक्रम | 43 |
| **अध्याय-VII** | **वार्षिक लेखे और नि.म.ले. परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा** | |
| 7.1 | लेखे का विवरण | 44 - 45 |
| 7.2 | महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखे पर टिप्पणी | 45 - 71 |
| 7.3 | वर्ष 2016-17 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड की लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट | 72 - 74 |

# अनुबंधों की सूची


| अनुबंध संख्या | शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| I | ब्रह्मपुत्र बोर्ड की संरचना | 75 - 76 |
| II | हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड की संरचना | 77 |
| III | ब्रह्मपुत्र बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट | 78 |
| IV | 31.03.2017 को अजा./ अ.जा.जा/ अ.पि.जा. तथा दिव्यांगों की स्थिति सहित नियमित स्वीकृत बल एवं अधिकारियों/स्टाफ की संख्या की स्थिति का विवरण | 79 - 80 |
| V | वर्ष 2016–17 के दौरान प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला के लिए जानेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची | 81 - 82 |
| VI | अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की सूची | 83 - 84 |
| VII | वर्ष 2016–17 के लिए आरटीआइ सूचना प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन | 85 |
| VIII | मास्टर योजनाओं की स्थिति | 206 |
| IX | जलनिकास विकास स्कीमों की स्थिति | 207 |
| X | बहुप्रयोजनी परियोजनाओं की स्थिति | 208 |

# फोटोग्राफ्स और प्लेट्स की सूची


| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अधिकार–क्षेत्र | 91 |
| 2. | * ब्रह्मपुत्र बोर्ड परिसर, बशिष्ठ, गुवाहाटी–29 में 19 जुलाई 2016 को आयोजित ब्रह्मपुत्र बोर्ड की आस्थगित बैठक जो 22 अगस्त 2016 में हुई | 92 - 93 |
| | * ब्रह्मपुत्र बोर्ड परिसर, बशिष्ठ में 30 जनवरी, 2017 को आयोजित ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 62वीं बैठक | 94 - 96 |
| 3. | 11 जनवरी, 2017 को मनाया गया 35वां बोर्ड दिवस समारोह | 97 |
| 4. | 29.06.2016 को आयोजित मंत्रालय से भ्रमण पर आने वाले अधिकारियों के साथ बैठक | 98 |
| 5. | 12.01.2017 को राज्यसभा के पटल पर रखे जानेवाले दस्तावेजों के लिए गठित समिति के साथ बैठक | 99 |
| 6. | 30.10.2016 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस का शपथ ग्रहण | 100 |
| 7. | 15.11.2016 को डीओपीटी के अधिकारियों द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकारियों का प्रशिक्षण | 101 |
| 8. | मेघालय में उमंगी नदी के तटकटाव से बालात गांव का प्रतिरक्षण | 126 |
| 9. | ब्रह्मपुत्र नदी के तटकटाव से मानकाछार, कालाईर–अल्गा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की प्रतिरक्षा के लिए तटकटावरोधी कार्य | 127 - 129 |
| 10. | धोला–हातीघुली में ब्रह्मपुत्र का अपदारन | 130 |
| 11. | माजुली द्वीप में प्रतिरक्षण कार्य | 131-133 |
| 12. | जेंग्राई डीडीएस पर कार्य | 134 - 135 |
| 13. | बरभाग डीडीएस पर कार्य | 136 - 137 |
| 14. | ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण | 138 |
| 15. | कुलसी बहुप्रयोजनी परियोजना | 139 |
| 16. | नोआ–दिहिंग बहुप्रयोजनी परियोजना | 140 - 141 |
| 17. | 31.10.2016 से 05.11.2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन | 145 |
| 18. | 20.02.2017 को राजभाषा पर आयोजित कार्यशाला | 146 |
| 19. | 14 से 28 सितंबर, 2016 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय में पालन किया गया हिंदी पखवाड़ा | 147 |
| 20. | स्वच्छ भारत अभियान के दौरान 16 मार्च से 31 मार्च 2017 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा पालन किया गया स्वच्छता पखवाड़ा | 150 - 155 |
| 21. | ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं का अवस्थान मानचित्र | 209 |
| 22. | जलनिकास विकास स्कीमों और तटकटावरोध पर कार्य | 210 - 211 |

# संकेताक्षर एवं इकाइयों की शब्दावली

## संकेताक्षर

| | | |
|---|---|---|
| सी डब्ल्यू सी | केजआ | केन्द्रीय जल आयोग |
| डी पी आर | विपरी | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट |
| डी डी एस | जनिविस्की | जलनिकास विकास स्कीम |
| आइ एम डी | भामौवि | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग |
| जी ओ आइ | भास | भारत सरकार |
| एम ओ डब्ल्यू आर | जसंमं | जल संसाधन मंत्रालय |
| एस एफ सी | स्थाविस | स्थायी वित्त समिति |
| इ एफ सी | विव्यस | वित्त व्यय समिति |
| एन एच पी सी | राजविशनि | राष्ट्रीय जलविद्युत शक्ति निगम |
| एन इ इ पी सी ओ | उपूविनि | उत्तरपूर्वी विद्युत शक्ति निगम |
| इ आइ ए | पप्रमू | पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन |
| आर एंड आर | पुएवंपुन | पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना |
| इ एम पी | पप्रयो | पर्यावरण प्रबंधन योजना |
| एम पी | बप्र | बहुप्रयोजनी |
| सी इ ए | केविप्रा | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण |
| एस ओ आइ | भासवि | भारतीय सर्वेक्षण विभाग |
| एन ओ सी | अप्र | अनापत्ति प्रमाणपत्र |
| जी एस आइ | भाभूस | भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण |
| एन इ सी | पूपरि | पूर्वोत्तर परिषद |
| एन इ एच ए आर आइ | पूजसगसं | पूर्वोत्तर जल एवं संबद्ध संस्थान |
| सी डब्ल्यू पी आर एस | केजविअके | केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र |
| सी एंड एम आर एस | केमृसाअके | केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र |
| एन एच | राराज | राष्ट्रीय राजमार्ग |
| बी टी सी | बोटेका | बोडोलैंड टेरिटरीअल काउंसिल |
| बी एंड बी | ब्रबरा | ब्रह्मपुत्र और बराक |
| पी ए एफएस | पप्रपरि | परियोजना प्रभावित परिवार |
| पी ए पी | प्रप्रव्यप | परियोजना प्रभावित व्यक्ति |
| पी एच | शाविक | शारिरीक विकलांग |
| एस सी | अजा | अनुसूचित जाति |
| एस टी | अजजा | अनुसूचित जनजाति |

# इकाइयाँ

| | |
|---|---|
| क्यूमेक | प्रति सेकंड क्यूबिक मीटर |
| क्यूसेक | प्रति सेकंड क्यूबिक फीट |
| एचए | हैक्टेयर |
| एम डब्ल्यू | मेगावाट |
| एम | मीटर |
| स्क्वा. के एम | वर्ग किलोमीटर |
| एचए. एम | हैक्टेयर मीटर |
| के.एम | किलोमीटर |
| ₹ | रूपए |
| एफटी | फीट |
| क्यू.एम | क्यूबिक मीटर |
| एम.एचए | मिलियन हैक्ट्रेयर |
| बीसीएम | बिलियन क्यूबिक मीटर |

# अध्याय-I
# सामान्य

## 1.1 ब्रह्मपुत्र घाटी, बराक घाटी तथा त्रिपुरा की नदियाँ

### 1.1.1 ब्रह्मपुत्र घाटी और इसकी बाढ़ समस्याएं

ब्रह्मपुत्र जो एक ट्रांस बाउंडरी नद हैं एशिया की नदियों में से वृहद है। तिब्बत में इसे यारलूङसाङपो कहा जाता है। यह तिब्बत स्वशासी (टी ए आर) क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम भाग में बुराङदेश में हिमालय के उत्तरी तरफ के एंगसि ग्लेशियर से 4877 मी. की ऊँचाई से उदभूत होता है। यह दक्षिण तिब्बत के मध्य बहुत दूर तक पूर्वाभिमुखी दिशा में बहता है जिसका औसतन ऊँचाई 4000 मीटर है। इसके पूरी पूर्वी दिशा की एक बिन्दु में यह नद माउंट नामछा बारवा में टेड़ा हो जाता है और यारलुङसाङपो नदी घाटी बनाता है। ब्रह्मपुत्र का कुल लंबाई इसके उद्गम स्थल से बंगाल की खाड़ी के मुहाने तक 2906 कि.मी. है जो तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र में 1625 कि.मी, भारत में 918 कि.मी. (278 कि.मी. अरूणाचल प्रदेश में और 640 कि.मी. असम में), 363 कि.मी. बांगलादेश में है। यह नदी 5,80,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बहता है (2,93,000 वर्ग कि.मी.चीन के तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र में और 2,40,000 वर्ग कि.मी.भारत में एवं 47000 वर्ग कि.मी. बांगलादेश में है।)

असम घाटी में कोबो से धुबरी तक इसके सफर के दौरान उत्तर पार की प्राय: 26 खास-खास उपनदियाँ और दक्षिण पार की प्राय: 13 उपनदियाँ इससे जुड़ती हैं। उत्तर पार की कुछ उपनदियाँ हिमालय की बर्फीली क्लेड से तथा अन्य नीचले हिमालय से निकलती हैं। नद का जोगीघोपा तक कुल वार्षिक बहाव 573 बी.सी.एम है जो देश की कुल सतही प्रवाह का 29% है। ब्रह्मपुत्र घाटी की औसत चौड़ाई 80 कि.मी.है जिसमें से नद स्वयं 1.5 कि.मी. से 25 कि.मी. का स्थान घेरता है।

कुछ स्थानों को छोड़कर असम में ब्रह्मपुत्र नद समग्र अभिगम में ब्रेडेड तथा अस्थिर है। नद की अस्थिरता अधिक मात्रा में साद, बहुत ऊँची चढ़ाई और तिरछे डाल उत्पन्न करती है। इनके अलावा, समग्र क्षेत्र भू-कम्प प्रवण है और समय-समय पर सामान्य से तीव्रतर भू-कम्प के झटके महसूस किए जाते रहते हैं। अत्यधिक वर्षाजल से भूस्खलन के कारण साद उत्पन्न होने से समस्या और अधिक गंभीर बन जाती है। आगे, स्थानांतरणीय कृषि के रूप में मनुष्य द्वारा की गई परिहार्य कुछ कार्रवाईयों के चलते तथा वनों के अवैज्ञानिक व्यवसायिक संदोहन आदि के कारणों से जलग्रहण क्षेत्रों में भू-कटाव प्रक्रिया से भी गतिवर्धन होता है। जैसे ही नद समतल में उतरता है तब ढलान में अकस्मात कमी आ जाने के कारण प्रवाह की तीव्रता में भी कमी आ जाती है और इसके साद वहन क्षमता में कमी आने से इस प्रक्रिया में लाया गया साद जमा हो जाता है। साद के अत्यधिक मात्रा में जमा होने से नद बार-बार इसके गतिपथ के अलग-अलग अवस्थानों में परिवर्तन करता है। अत्यधिक मात्रा में साद के जमा हो जाने से भी नदी प्रणाली की सीध (एलायनमेट) में ब्रेइडिंग और टेढ़े-मेढ़े पेटर्न ऊपर उठ जाती हैं। 'माजुली' जो एक वृहद बासोपयोगी ब्रह्मपुत्र का नदी-द्वीप है, ऊपरी असम में पड़ता है।

ब्रह्मपुत्र नद के बायें तट की उपनदियाँ चौड़े ढलानों सहित सुस्थिर अभिगमों से बहती हैं और फीनर आकार की निम्नतर साद वहन करती हैं। उपनदियों के हिप्सोमैट्रिक विश्लेषण द्वारा यह पाया गया है कि उत्तर पार की उपनदियाँ सापेक्षत: युवावस्था सूचित करती हैं जबकि दक्षिण तट की उपनदियाँ परिपक्व हैं। यह ब्रह्मपुत्र नद के स्वाभाविक रूझान के अपने गतिपथ को दक्षिण की और बदलने के लिए ऊपर उठाती है और बहुत स्थानों पर नद अपने किनारों में दोनों ओर पहाड़ियों के पास से बहता है ।

ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ एक पुनरावर्ती क्रिया है जिससे क्षेत्र में प्राय: प्रत्येक वर्ष भारी नुकसान होता हैं। बाढ़ के कारणों को निम्नलिखित प्रकार से सारांशित किया जा सकता है :-

क) ब्रेडेड प्रकृति के होने के कारण नदी कैनलों की अपर्याप्त वहन क्षमता और उसके चलते बाढ़ के पानी के तटों के ऊपर चढ़ने से,

ख) मुख्य नदी में उच्चतम जलस्तर के दौरान उपनदियों के मुहाने में जलनिकास का संकुलन, और

ग) पहाड़ी जलग्रहण क्षेत्रों में वृहद मात्रा में भू-स्खलन और भू-अपरदन के कारण नदी में अत्यधिक साद-जमा होना।

ब्रह्मपुत्र घाटी में धान, सरकंड़े, दलिया, तिलहन, गेहूँ तथा गन्ना उगाया जाता है। धान और सरकंडे खासकर उगाकर मानसून की अवधि के दौरान कटाई की जाती है। चार प्रकार के धान के शष्यों में से, यथा- आहु, सालि, बाओ तथा बरो जो प्राय 92% शष्य क्षेत्र में उगाया जाता है। पहले के दो - आहु और सालि सामान्यत: बाढ़ द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में (बराक सहित) बाढ़ के चलते 1953-2011 की अवधि के दौरान अधिकतम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र प्राय: 6.05 मिलियन हैक्टेयर है (अरूणाचल प्रदेश 2010 मे 0.3 मिलियन हैक्टेयर, असम-1988 में 3.92 मिलियन हैक्टेयर, मणिपुर-1987- 0.116 मिलियन हैक्टेयर, मेघालय- 1987 में 0.095 मिलियन हैक्टेयर, मिजोराम- 1993 में 0.541 मिलियन हैक्टेयर, नागालैंड- 1993 में 0.009 मिलियन हैक्टेयर, त्रिपुरा- 1963 में 0.33 मिलियन हैक्टेयर और सिक्किम- 2000 में 1.17 मिलियन हैक्टेयर) (स्रोत: केन्द्रीय जल आयोग का रिपोर्ट नवंबर 2012)। तटकटाव के कारण भूमि का स्थायी रूप से हुए नुकसान सहित शष्य की क्षति और बाढ़-क्षति भी होती है। प्रत्येक बाढ़ में असंख्य जानें भी चली जाती हैं।

अभी तक ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ प्रबंधन पर अपनाए गए उपाय अधिकतर अल्पम्यादी संरचतात्मक रहे हैं, जैसे- तटबंधों का निर्माण, पारगम्य एवं अपारगम्या भुजारोध, प्रस्तरण आदि क्षेत्र-विशिष्ठ मात्र हैं। बाढ़ प्रबंधन उपायों के कमजोर रखरखाव के कारण सामान्यत: बाढ़ प्रबंधन संरचना में यदि असफलता हो जाती है तो लोगों की स्थिति अनपेक्षित रूप से कष्टकर बन जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में विशिष्ट रूप से इन उपायों की प्रभावोत्पानदकता जो विभिन्न अभिगमों में बहुत ही एग्रेडिंग / डिग्रेडिंग होना भी एक विवाद का विषय है। ऐसे में, अन्य संरचनात्म्क और असंरचनात्मक उपायों को मिलाकर भंडारण जलशय के निर्माण की जरूरत है। तदन्तर, वैज्ञानिक उपस्कर के जरिए नदी की गतिविधियों के अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया जा सकेगा।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा और इसकी 39 उपनदियों के तथा माजुली द्वीप के लिए बाढ़ के प्रबंधन, तटकटाव नियंत्रण तथां जलनिकास संकुलन के सुधार के लिए मास्टर योजना तैयार की है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र उप-बेसिन के लिए तैयार की गई मास्टर योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की भी जरूरत है। पूर्वोत्तर में बाढ़ प्रबंधन के लिए गठित क्षेत्रीय टास्क फोर्स-बी ने भी अपनी रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है जिसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

### 1.1.2 बराकघाटी

बराक नदी गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना प्रणाली का एक भाग है तथा यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की दूसरी बड़ी नदी है जिसकी आठ उपनदियाँ हैं। यह नगालैण्ड/मणिपुर की दक्षिणी चढ़ाई मौथाना की पूर्वी दिशा में प्राय: 2840 मीटर की एक ऊँची पहाड़ी से उद्गम होती है। यह उप-बेसिन तीनों तरफ से बराईल, पाटकाई और लुसाई पहाड़ियों से घिरा है। भारत-बांगलादेश सीमा तक उप-बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र 41,704 कि.मी. है जिसमें 751 वर्ग कि.मी. म्यामार में पड़ता है। बदरपुरघाट पर भारतीय जलग्रहण क्षेत्र से इसका वार्षिक बहाव 29,600 क्यूबिक मीटर है। अपने स्रोत से करीमगंज जिले में भांगा तक नदी की लंबाई 532 कि.मी. है जिसके बाद बराक-सुरमा और कुशियारा के नाम से दो शाखाओं में विभक्त हुई है। दोनों शाखाएं बांगलादेश में प्रविष्ट होती हैं तथा फिर से एक नदी कैनल के रूप में युक्त होकर भैरव बाजार तक बहती है जहाँ यह बांगलादेश में मेघना से जाकर मिलती है।

बराक नदी अपने दोनों तटों से असंख्य पहाड़ी झरनों से युक्त है। इस घाटी में बारम्बार बाढ़ आता है तथा जनजीवन और सम्पत्तियों की अत्याधिक हानि करता है। बाढ़, तटकटाव और जलनिकास संकुलन की समस्याओं के प्रबंधन के लिए समय-समय पर लिए गए विभिन्न उपायों में तटबंधों का निर्माण, तट प्रतिरक्षण तथा जलनिकास सुधार कार्य आदि शामिल हैं। इन उपायों से घाटी में

लोगों को सामान्य तथा मध्यम दर्जे के बाढ़ों से पर्यास हिफाजत मुहैया कराया जाता है। उच्चतम बाढ़ के समय, तटबंध गहरे दबाव के आगे टिक नहीं पाते, फलत: असंख्य दरारें पड़ जाती हैं जिसके चलते घाटी में विध्वंसी बाढ़ की सृष्टि हो जाती है। बाढ़, तटकटाव और जलनिकास संकुलन आदि से निपटने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बराक उप-बेसिन और बराक की एक मुख्य उपनदी धलेश्वलरी के लिए मास्टर योजना तैयार की है।

### 1.1.3 त्रिपुरा की नदियाँ

त्रिपुरा राज्यों में दस महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये नदियाँ हैं- लोंगाइ, जुरी, देउ, मनु, धलाइ, खोवाइ, हारोआ, गुम्टी, मुहुरी और फेनी। ये नदियाँ राज्य में प्राय: बाढ़ उत्पन्न होने के कारण हैं। राज्य सरकार और विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों के अन्वेषण तथा आँकड़े संग्रहण के आधार पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने इन सभी नदियों के लिए मास्टर योजनाएँ तैयार की है और इन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। बाढ़, तटकटाव और जलनिकास संकुलन की समस्याओं से निपटने के उपाय के रूप में मास्टर योजना में बहुत से संरचात्मक तथा असंरचनात्मक उपायों को संजोया गया है। फेनी नदी इंडो-बांगला सीमा पर नो मैन्स लैंड पर बहती है और इसका दायां तट भारत में गिरता है। फेनी नदी की मास्टर योजना को सर्वेक्षण और अन्वेषण की तैयारी के लिए ली गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के नाते फेनी नदी वहां सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य चलाना कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण मास्टर योजना की तैयारी एक समय खपत कार्य है।

### 1.1.4 मेघालय की नदियाँ

मेघालय राज्य में एकीकृत जल संसाधनों के विकास से संबंधित विषयों पर मुख्य अभिंयता (पी एवं डी) (वर्तमान में मुख्य अभिंयता-1) की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2010-B×B/3563- 3580 दिनांक 3 सितंबर 2010 को एक संयुक्त दल का गठन किया था। संयुक्त दल ने मास्टर योजनाओं के लिए 18 नदियों की शिनाख्त की। मेघालय के लिए शिनाख्त की गई इन नदियों में से 9 नदियों के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा मास्टर योजनाएं सूत्रबद्ध कर लिए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदन दिए जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं। शेष बचे 9 मास्टर योजनाओं में से गानोल, वाइखिरवी, उमत्रु और उमसोहरिंगक्यू की मास्टर योजना पूरी कर ली गई है। हालांकि, इससे पहले प्रस्तुत की गई मास्टर योजनाएं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सुझाव के अनुसार संशोधित करना प्रस्तावित है।

### 1.1.5 ब्रह्मपुत्र में समानेवाली सिक्किम और पश्चिम बंगाल की नदियाँ

तिस्ता, जलढाका और सोनकोश-राइडाक ये चार नदी प्रणाली जो सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से बहकर आती हैं और ब्रह्मपुत्र में समा जाती हैं। इन सभी चार मास्टर योजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रेक्षणों के अनुपालन के बाद भारत सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुति कर दिया गया है। मंत्रालय ने नवीनतम उपकरण एवं प्रौद्योगिकियों की सहायता से कुछ विश्लेषण एवं कुछ अतिरिक्त आँकड़ों के संशोधित करने के लिए सुझाव दिया है। फरवरी 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार को जलढाका के संशोधित मास्टर योजना के मत के लिए प्रस्तुत किया गया। मार्च 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार को जलढाका की संशोधित मास्टर योजना उनकी मत के लिए प्रस्तुत किया गया था। तोरसा की संशोधित मास्टर योजना मार्च 2017 को पूरा हुआ और पश्चिम बंगाल सरकार को उसकी मत के लिए प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

### 1.1.5 मणिपुर में ईम्फाल नदी

ईम्फाल नदी पश्चिम कांगलोपी की ओर ऊंची भूमि से उठकर दक्षिण की तरफ बहती है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ईम्फाल नदी के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने की योजना बनाई और उप-बेसिन में सर्वेक्षण और अन्वेषण चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

## 1.2 ब्रह्मपुत्र बोर्ड कार्यालय की स्थापना और इसके कार्य

ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है जिसे संसद के एक 'अधिनियम (1980 का 46)' के अंतर्गत तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अभी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के अधीन गठित किया गया था। बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र एवं बराकघाटी तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्य तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पड़नेवाले सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल का एक भाग भी शामिल है। बोर्ड में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष के अधीन कुल 21 सदस्य हैं (4 पूर्णकालिक और 17 अंशकालिक) धारा (4) की उपधारा (3) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) के अधीन नियुक्त बोर्ड के सदस्यों की सूची **अनुबंध - I** में है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) के बन जाने से और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र के भीतर सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के एक भाग को शामिल किए जाने से, डोनर के सचिव, आइ एंड एफ सी डी, सिक्किम के सचिव, सिंचाई और जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल के सचिव और मुख्य अभियंता (बी एंड बीबी), केन्द्रीय जल आयोग, शिलांग तथा सलाहकार (पू.क्षे) नीति आयोग (पूर्व का योजना आयोग) को बोर्ड बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जाता है।

गुवाहाटी में मुख्यालय बनाकर बोर्ड ने 11-01-1982 से कार्यारंभ किया। ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 की धारा (3) की उप धारा (2) के अनुसार बोर्ड ने नई दिल्ली में संपर्क कार्यालय की स्थापना की।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड बनाया गया था। संकल्प सं. 2(17)/80-एफसी/460 दिनांक 19-03-1982 और यथासंशोधित संकल्प सं. 23/8/925- ई आर दिनांक 1-10-1992 के जरिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड के सदस्यों की सूची **अनुबंध**-II में हैं।

### 1.2.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्य

अधिनियम में निर्धारित ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रमुख कार्यकलाप हैं :-

(क) ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में (इसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर) 'सर्वेक्षण और अन्वेषण' करना और ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण, तटकटाव तथा जलनिकास सुधार तथा उससे संबंधित कार्यकलापों के लिए मास्टर योजना तैयार करने के साथ ही ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों को सिचांई, पनबिजली, नौवहन तथा अन्य लाभजनक प्रयोजनों के लिए विकास और इस्तेमाल करना। बोर्ड को सिंचाई, जलविद्युत, नौवहन और अन्य लाभकारी प्रयोजनों के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों के विकास और उपयोग का ध्यान देना है और यथासंभव वैसे विकास के लिए उक्त योजनाओं में कार्य तथा अन्य उपायों का संकेत करना है जिन्हें किया जाना है ;

मास्टर योजनाओं को यथाशीघ्र तैयार करने के बाद केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना है जैसा संशोधन का मामला हो और केन्द्र सरकार राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद उसका अनुमोदन करेगी बशर्ते जैसा उपयुक्त हो संशोधित हो ;

(ख) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर योजनाओं में चिह्नांकित अन्य परियोजनाओं तथा बांधों के फैज में निर्माण/कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकार (रों) के साथ परामर्श करके कार्यक्रम का सूत्रीकरण करना ;

(ग) बांध और अन्य परियोजनाओं के संबंध में राज्यों के बीच लागत के प्रभाजन सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन तैयार करना ;

(घ) ऐसे बांधों व अन्य परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मानदंड और विशिष्टियों को अंतिम रूप देना, और;

(ङ) भारत सरकार के अनुमोदन पर मास्टर योजनाओं में शिनाख्त किए गए बहुप्रयोजनी परियोजना तथा अन्य जल संसाधन परियोजनाओं का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण ;

(च) इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए वह कार्य संपादन करना जिसे निर्धारित किया जाता है ;

(छ) धारा 12 या खंड (क) से (घ) में अथवा इस उपधारा के खंड (ङ) के अधीन निर्धारित वैसे अन्य कार्यों का संपादन करना, अनुपूरक, आनुषंगिक या परिणामी हो।

## 1.3 हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड की बैठक

वर्ष 2016–17 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 'हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड' की कोई भी बैठक नहीं हुई।

## 1.4 ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2016–17 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 61वीं तथा 62वीं बोर्ड–बैठकें हुईं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 61वीं बोर्ड–बैठक दिनांक 19.07.2016 को बशिष्ठ, गुवाहाटी में कोरम पूरा न होने के कारण आस्थगित हुई। और उक्त आस्थगित बैठक दिनांक 22.08.2016 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड परिसर, बशिष्ठ, गुवाहाटी–29 में हुई। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 62वीं बैठक दिनांक 30.01.2017 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड परिसर, बशिष्ठ, गुवाहाटी–29 में हुई।

## 1.5 ब्रह्मपुत्र बोर्ड की सांगठनिक व्यवस्था

बोर्ड की विद्यमान सांगठनिक व्यवस्था का चार्ट **अनुबंध – III** में प्रदर्शित है।

****

# अध्याय-II
# सामान्य समीक्षा

## 2.1 प्रशासन और संगठन

ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) के अनुसार, चार पूर्णकालिक सदस्य हैं- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार।

सदस्यों के प्रशासनिक कार्यों को अधिनियम में निम्न रुप से उल्लेखित किया गया है।

- अध्यक्ष बोर्ड के समग्र प्रभार में होंगे और अपने कुशल कार्य के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त, वे ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपे जा सकते हैं।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वे अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाने वाले अध्यक्ष की उन शक्तियों और कर्तव्यों का भी प्रयोग करेंगे और अध्यक्ष द्वारा निर्णय किए जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों को भी कर सकते हैं।
- महाप्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, बोर्ड के मामलों के उचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे। वे बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों को निर्धारित करेंगे और उनको अधीनस्थ करेंगे और ऐसे पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण का इस्तेमाल करेंगे जो कि आवश्यक हो सकता है और बोर्ड के तहत विभिन्न इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करेंगे।
- महाप्रबंधक, अध्यक्ष द्वारा शक्तियों और कर्तव्यों का भी प्रत्यायोजन और निर्वहन करेंगे, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा उन्हें सौंपा जा सकता है, और विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- महाप्रबंधक बजट और आवंटन से संबंधित मामलों में अनुदान के पुन: विनियोग के नियमों के तहत नियम 16 के तहत निर्धारित शक्तियों और कर्तव्यों का भी प्रयोग करेंगे।
- वित्तीय सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।
- बोर्ड के वित्तीय सलाहकार बोर्ड को राजस्व और व्यय के मामलों में सलाह देंगे। यदि कोई भी मामला उनकी राय में उसे बोर्ड की नोटिस में लाया जाना चाहिए तो उनके पास बोर्ड को संदर्भित करने का अधिकार होगा।
- वित्तीय सलाहकार बोर्ड के वित्तीय खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे और इन खातों की आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन करेंगे।
- वित्तीय सलाहकार ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का भी इस्तेमाल करेंगे जैसा कि इसके पश्चात बजट से संबंधित मामलों में नियम 16 में निर्धारित किया गया है।
- केंद्र सरकार निम्नलिखितों की नियुक्त करेगी-
  - बोर्ड के महाप्रबंधक की सहायता के लिए दो मुख्य अभियंता तथा
  - बोर्ड के सचिव को
- बोर्ड इस तरह के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जैसा वह इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझता हो।

- मुख्य अभियंता, सचिव और बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वैसी होंगी, जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित की जाए।
- इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के बशर्ते, बोर्ड अपने के कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए जैसा आवश्यक हो, समय-समय पर इस तरह के सलाहकार समितियों का गठन कर सकता है ।

बोर्ड का मुख्यालय, बशिष्ठ, गुवाहाटी में निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यरत है –

i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड का सचिवालय
ii) वित्त स्कंध
iii) मुख्य अभियंता-I का कार्यालय
iv) मुख्य अभियंता-II का कार्यालय

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्तमान कार्यभार को ध्यान में रखते हुए और कार्यकलापों पर फोकस, दक्षता, गति और आसान निर्वहन के लिए कार्यालय आदेश सं बीबी/ 3103/04 / भाग-1/5दिनांक 10.08.2012 के अतिक्रमण में, मुख्यालय में कार्यालय आदेश सं. बीबी/ 3130/04/भाग-5 दिनांक 07.01.2016 के जरिए व्यापक गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित स्कंध/विभाग सृजित किए गए थे।

**( क ) निम्नलिखित स्कंधों के साथ मुख्य कार्यालय :**

| **क्रम** | **( क ) स्कंध<br>( ख ) संक्षिप्त नाम<br>( ग ) प्रधान** | **बोर्ड का कार्य** |
|---|---|---|
| 1 | (क) प्रशासन और सचिवालय<br>(ख) प्र और स<br>(ग) सचिव | सभी नियमित और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में समग्र प्रशासन, स्थापना से संबंधित मामले, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठकें, हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड स्थायी समिति और अन्य सभी समितियों की बैठकें। अन्य स्कंधों को न सौंपे गए सभी अवशिष्ट मामले, संपर्क कार्य, आरटीआई मामले, प्रशिक्षण, सेवाएं और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यालयों को दिल्ली में संपर्क कार्यालय को चलाना, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट और भवन के रखरखाव के अपवाद के साथ कार्यालय उपकरणों सहित कार्यालयों में सभी सेवाएं और आपूर्ति। समय-समय पर प्रदत्त अन्य गतिविधियाँ। |
| 2 | (क) वित्तीय और लेखे<br>(ख) वि और ले<br>(ग) वित्तीय सलाहकार | वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा। फील्ड कार्यालयों निधियों का संवितरण, प्रस्तावों पर प्रतिभूति और वित्तीय सहमति। मुख्यालय में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, चिकित्सा, यात्राभत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत आदि। व्यय संबंधी जानकारी प्रदान करना, दक्षता सुनिश्चित करने के लिए फील्ड में लेखे से संबंधित मॉनीटरिंग गतिविधियाँ। लेखे के कम्प्यूटरीकरण। सभी बाहरी ऑडिट के साथ समन्वयन और लेखापरीक्षा पैराओं का निपटान। समय-समय पर प्रदत्त अन्य गतिविधियाँ। |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | (क) सतर्कता कक्ष<br>(ख) स<br>(ग) मुसअधि | सतर्कता, शिकायतें, जांच, खोजबीन। शिकायतों के निपटान का मॉनीटरिंग। समय-समय पर प्रदत्त अन्य गतिविधियाँ। |
| 4 | (क) योजना<br>(ख) यो<br>(ग) मुख्य अभिंयता-I | मास्टर योजनाएं सहित सर्वेक्षण, अन्वेषण और आवश्यक सभी आँकड़ों का संग्रहण, नदी और बेसिन अध्ययन, योजना, डिजाईन, बहुप्रयोजनी परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी, योजना और जलनिकास विकास स्कीमों का प्रारंभिक डिजाईन, राज्यों के साथ समन्वयन और संपर्क, संबंधित राज्यों/देशों में संबंधित संगठनों में सभी संबंधित कार्यकलापों के ट्रेक को बनाए रखना, राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही एफएमपी स्कीमों का मॉनीटरिंग, निहारी। समय-समय पर प्रदत्त अन्य गतिविधियाँ। |
| 5 | (क) कार्य<br>(ख) का<br>(ग) मुख्य अभियंता-II | सभी जलनिकास विकास स्कीमों का निष्पादन, तटकटावरोधी स्कीमें, संबंधित अदालती मामले, रेज्ड प्लेटफार्म, कार्य की और ठेके की मध्यस्थता; बोर्ड के अतिथिशालाओं, कार्यालयों आदि के रोजाना चलाने व रखरखाव के अलावा बोर्ड की संपत्तियों का रखरखाव। समय-समय पर प्रदत्त अन्य गतिविधियाँ। |

वर्तमान में, सभी फील्ड कार्यालयों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मुख्य अभियंताओं के दोनों कार्यालयों को रिपोर्ट करनी होती है।

31.03.2017 को अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदा स्वीकृत बल, उनकी स्थिति और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों की स्थिति **अनुबंध -IV** में है।

## 2.2 वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अपने कार्यों और स्थापना व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के अंतर्गत राशि प्राप्त किया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पास वित्तीय खातों के रखरखाव और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में सभी मामलों पर सलाह देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार है। वित्तीय सलाहकार को अपने कार्यों में सहायता करने के लिए एक उप वित्तीय सलाहकार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी और अन्य सहायक स्टाफ शामिल हैं। फील्ड कार्योंलयों के वित्तीय खातों के रखरखाव और उन्हें बनाए रखने के मामलों में कार्यपालक अभियंता को सलाह देने के लिए प्रत्येक फील्ड प्रभाग में एक मांडलिक लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार तैनात किया जाता है।

मंडल कार्यालयों के आवंटित व्यय को वित्तीय / मासिक / तिमाही / वार्षिक आधार पर वित्तीय स्कंध द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

## 2.3 वर्ष 2016-17 के दौरान कार्य की प्रगति की समीक्षा

### 2.3.1 सर्वेक्षण और अन्वेषण एवं मास्टर योजनाओं की तैयारी / अद्यतन

क) इससे पहले भारत सरकार के अनुमोदन के लिए टांगनी, जलधाका, तिस्ता, सिमसांग, उम्नगोट, किन्सी, सोनकोश-राईडाक एवं तोरसा और किन्शी की मास्टर योजनाओं को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। ज.सं., न.वि., गं.सं. मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि और अधिक आँकड़ों का संग्रहण किया जाए और उन सभी को शामिल करते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकियों तथा आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल के द्वारा बनाए गए मानचित्रों के साथ मास्टर योजनाओं का विश्लेषण किया जाए। उपरोक्त 8 (आठ) मास्टर योजनाओं में से, जलधाका और टांगनी की मास्टर योजनाएं पूरा करके फरवरी 2017 में उनकी टिप्पणियों के लिए क्रमश: पश्चिम बंगाल और असम सरकार को सौंप दिए गए। मार्च 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार को उसकी टिप्पणी के लिए तिस्ता की मास्टर योजना भी प्रस्तुत की गई थी। तोरसा की मास्टर योजना का संशोधन मार्च 2017 में पूरा हुआ और पश्चिम बंगाल सरकार को उसकी टिप्पणी के लिए प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पूरी की गई सभी मसौदा मास्टर योजनाओं को उसी लाईन पर संशोधित करने का प्रस्ताव है।

ख) नए मास्टर योजनाओं की तैयारी पहले से तैयार किए गए मसौदा मास्टर योजनाओं के संशोधन कार्य के पूरा होने पर की जाएगी।

### 2.3.2 जलनिकास विकास स्कीम ( डीडीएस ) :

2016-17 के दौरान केजआ ने पोला और डिपोटा जलनिकास विकास स्कीम की तैयारी के डीपीआर को क्लीयर कर दिया था। अमजूर, धर्मनगर और डिमौ जलनिकास विकास स्कीम के डीपीआर केजआ के प्रेक्षण के अनुपालन के तहत हैं।

### 2.3.3 सूक्ष्म-लघु परियोजनाओं सहित बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण एवं डीपीआर की तैयारी

**क ) कुलसी बहुप्रयोजनी परियोजना :** डीपीआर संपूर्ण और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए असम और मेघालय की सरकारों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध किया गया है। कुलसी परियोजना का क्लीयरेंस 2016-17 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता में थी। बोर्ड ने केजआ द्वारा उठाए गए सभी प्रेक्षणों का उत्तर दिया। केजआ के प्रेक्षणों का बोर्ड द्वारा अनुपालन किया गया है।

**ख ) नोआ-दिहिंग बांध परियोजना :** डीपीआर संपूर्ण और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध किया गया है। जलविज्ञानीय आँकड़ों का संग्रहण जारी है। केजआ के और प्रेक्षणों का बोर्ड द्वारा अनुपालन किया गया है।

**ग ) सिमसंग ( सोमेश्वरी ) बांध परियोजना :** जलविज्ञानीय आँकड़ों का संग्रहण जारी है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक अन्वेषण और निर्माण सामग्री सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

**घ ) जियाधल बांध परियोजना :** जलविज्ञानीय आँकड़ों का संग्रहण जारी है। संरचनात्मक विकास, भूवैज्ञानिक अन्वेषण और निर्माण सामग्री सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

**ङ) किलिंग बांध परियोजना :** जलविज्ञानीय आँकड़ों का संग्रहण जारी है। लेआउट तैयार और केजआ को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। केजआ से प्राप्त प्रेक्षणों पर कार्य किया जा रहा है। संरचनात्मक विकास, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक अन्वेषण और निर्माण सामग्री के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

### 2.3.4 ब्रह्मपुत्र नदी के चैनेलाइजेशन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन - गणितीय मॉडल अध्ययन आदि

ब्रह्मपुत्र नदी की गतिशीलता को समझने के लिए जलवायु परिवर्तन पर जोर देने के साथ ही नदी के गणितीय मॉडल अध्ययन

को पूरा करने का कार्य आईआईटी, गुवाहाटी को सौंपा गया है। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, निधि की पहली किस्त जारी कर दी गई है। आईआईटी, गुवाहाटी द्वारा 1डी मॉडल प्रस्तुत और 2डी मॉडल अंतिम रूप देने के अधीन है।

### 2.3.5 जलनिकास विकास योजना का निष्पादन

क ) **बरभाग जलनिकास विकास स्कीम :** केजआ ने रू.1480 लाख पर संशोधित डीपीआर को क्लीयर कर दिया है। तटबंध के निर्माण और चैनल के रि-सेक्शनिंग का काम पूरा हो गया। स्लूइस रेग्युलेटर के निर्माण और उसके संबंधित कार्य चल रहे थे। भूमिजल के अभूतपूर्व दबाव के कारण, नींव के एक हिस्से को संशोधित किया गया है, शीट पाइल्स द्वारा आरसीसी कटऑफ की दीवारों को बदला गया है।

ख ) **अमजूर जलनिकास विकास स्कीम :** संशोधित डीपीआर केजआ के मूल्यांकन के अधीन है। केजआ से प्रौद्योगिकी-आर्थिक मंजूरी मिलने पर स्लूइस के दीवारों का कार्य लिया जाएगा। कार्य का 33.50% पूरा हो गया है।

ग ) **जेंग्राई जलनिकास विकास स्कीम :** केजआ द्वारा रू.523.24 लाख के लिए संशोधित प्राक्कलन को क्लीयर कर दिया है। जेंग्राई जलनिकास विकास स्कीम के स्लूइस का निर्माण प्रगति पर है और लगभग 30% का कार्य पूरा हुआ है।

घ ) **जकाइचुक जलनिकास विकास स्कीम :** स्लूइस के निर्माण का कार्य प्राय: पूरा हो गया था। 95% काम पूरा।

### 2.3.6 वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निष्पादन के लिए प्रस्तावित नए जलनिकास विकास स्कीमें

निम्नलिखित जलनिकास विकास स्कीम 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए ईएफसी प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं:- डिमौ, पोला, धर्मनगर, पोटा कलंग, लारसिंग, नेली और कलामनिजान जलनिकास विकास स्कीम

### 2.3.7 बाढ़ नियंत्रण और तटकटावरोधी कार्य

क) बाढ़ और तटकटाव से माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण
माजुली द्वीप की प्रतिरक्षा पर 96.47% की भौतिक प्रगति के साथ 120.81 करोड़ रुपए व्यय करके मार्च 2017 तक चरण-II और चरण-III का कार्य किया गया है। सेटेलाईट इमेजरी के अनुसार माजुली द्वीप की आवासीय भूमि विभिन्न चरणों में काम के कार्यान्वयन के साथ, वर्ष 2004 में 502.21 रहने के बदले वर्ष 2016 में 502.21 वर्ग किमी बढ़ी है। इस प्रकार, माजुली द्वीप में ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 22 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक भूमि फिर से प्राप्त करने में सफलता हासिल कर लिया है।

ख) धोला-हातीघुली में दिबांग और लोहित नदियों के मूल चैनलों की पुनर्स्थापना (धोला-हातीघुली चरण-IV में ब्रह्मपुत्र का अपदारन)
कार्य रु. 55.61 करोड़ के लागत पर मार्च 2016 में पूरा हुआ था।
परिणाम: वर्ष 1992 से बाढ़ से लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में दुमदुमा राजस्व परिमंडल के अंतर्गत 11 गांव प्रतिरक्षित हुए।

ग) उमंगी नदी पर मेघालय में बालात गांव का प्रतिरक्षण
स्कीम का भाग-। रु. 5.63 करोड़ के प्रशासनिक मंजूरी के भीतर कार्यान्वित करने के लिए लिया गया और जनवरी 2016 में पूरा हो गया। मार्च 2016 तक का खर्च रु. 4.81 करोड़ है।

घ) असम के ब्रह्मपुत्र नदी के तटकटाव से मानकाछार, कालाइर-अल्गा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की प्रतिरक्षा के लिए तटकटावरोधी कार्य।

ब्रह्मपुत्र नदी के गंभीर तटकटाव से इस क्षेत्र में मौजूद निकट के आईबीबी लिंक रोड, सीमावर्ती बाड़, सीमा सड़क और विशाल हाटसिंगीमारी शहर खतरे में रही है। रु. 23.79 करोड़ की यह स्कीम अब कार्यान्वयन के अधीन है।

इस स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित कार्य हैं :

(क) तटकटाव वाले किनारे से नदी के प्रवाह को दूर करने के लिए आरसीसी पर्क्यूपाइन स्क्रीन और (ख) 2 किमी तटकटावयुक्त किनारे के एक अभिगम के लिए तटपलस्तर का कार्य।

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने मार्च 2015 में इस योजना का निष्पादन कार्य लिया और आरसीसी पर्क्यूपाइन स्क्रीन का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। 2015 की बाढ़ के दौरान, आईबीबी लिंक रोड में एक दरार पैदा हुआ जिसमें एक रिटायरमेंट बंड का निर्माण आवश्यक था और तदनुसार काम शुरू किया गया है। बहरहाल, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, रिटायरमेंट बंड के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि राज्य सरकार तथा भूमि मालिकों द्वारा उसके लिए भूमि उपलब्ध कराने का वादा किया गया था जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। देर से, बोर्ड को तात्कालिक कार्य के रूप में 362 मीटर लंबे दरार भरने का कार्य प्रदान किया गया है जिसे समय पर पूरा किया गया है। तटबंध को ऊँचा करने और मजबूत बनाने के शेष कार्य प्रगति पर थे। संशोधित प्राक्कलन के अनुसार ज्योबैग के साथ तट पलस्तर करने का कार्य 2017-18 वर्ष के दौरान कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया के अधीन है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट असम के मसलाबारी में तटकटावरोधी उपाय - ठेकेदार के खराब कार्यान्वयन के लिए काम करने में देरी हुई है।

### 2.3.8 वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निष्पादन हेतु लिए जानेवाले प्रस्तावित नए बाढ़ नियंत्रण और तटकटावरोधी कार्य

क) दिबांग और लोहित नदियों को उनके मूल प्रवाहों में बहाल करना, चरण-V
ख) दिबांग और लोहित नदियों को उनके मूल प्रवाहों में बहाल करना, चरण-V
ग) दिबांग नदी के स्पिल चैनल के पार विद्यमान टाई बंड को बाहबारी पर एक संपूर्ण तटबंध में रूपांतरण तथा नए तटबंध का निर्माण, चरण-V का भाग-क
घ) मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स- जिले में उमंगी नदी के तटकटाव से बालात गांव का प्रतिरक्षण, फैज-II
ङ) पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में मनसाइ नदी के बायें तट के पार कूचबिहार ब्लॉक नं.-II के अधीन भजनेर चारा, निशिगंज पर तटों के प्रतिरक्षण के लिए तटकटावरोधी उपाय।
च) पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में मनसाई नदी के दायें तट पर भोगदेबरी क्षेत्र में तट प्रतिरक्षण कार्य।

### 2.3.9 रेज्ड प्लेटफार्म

असम राज्य सरकार के अनुरोध पर, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने मनुष्यों और पशुओं के लिए बाढ़ के दौरान रसद समर्थन की सुविधा हेतु विभिन्न अवस्थानों पर 18 रेज्ड प्लेटफार्मों का निर्माण पूरा कर लिया है। एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट में, बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों के आश्रय के लिए और अधिक रेज्ड प्लेटफार्मों के निर्माण करने की वकालत की गई है। असम में बरपेटा जिले के सत्रकनारा इलाके में एक रेज्ड प्लेटफार्म का काम 2016-17 में लिया गया है।

****

## अध्याय-III

# वर्ष 2016-17 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की उपलब्धि

### 3.1 सर्वेक्षण और अन्वेषण की प्रगति और मास्टर योजनाओं की तैयारी, जलनिकास विकास स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( डीपीआर ) और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के डीपीआर

#### 3.1.1 मास्टर योजना की तैयारी

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक की मुख्य शाखा की मास्टर योजना तैयार करने के साथ ही ब्रह्मपुत्र के 68 प्रमुख उपनदियाँ सहित माजुली द्वीप, धलेश्वरी नदी और मणिपुर, मेघालय, मिजोराम तथा त्रिपुरा की नदियों का तीन भागों में मास्टर योजनाएं तैयार की है।

| भाग | नदी | संख्या | स्थिति |
|---|---|---|---|
| भाग-I | ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा | 1 | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित |
| भाग-II | धलेश्वरी के अलावा बराक नदी और इसकी उपनदियों पर मास्टर योजना | 1 | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित |
| भाग-III | माजुली द्वीप और धलेश्वरी सहित ब्रह्मपुत्र की उपनदियों एवं मणिपुर, मेघालय, मिजोराम तथा त्रिपुरा की नदियों पर मास्टर योजना | 68 | * भारत सरकार द्वारा अनुमोदित - **47 मास्टर योजनाएं**<br>*भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के समक्ष दी गई दो प्रस्तुतियों के बाद मास्टर योजनाएं संशोधित। आगे, मंत्रालय के प्रेक्षणों का बोर्ड द्वारा अनुपालन - **8 मास्टर योजनाएं**<br>*ड्राफ्ट मास्टर योजनाएँ संपूर्ण। आगे, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के नवीनतम सुझाव के लाईन पर संशोधित किया जाना है - **5 मास्टर योजनाएँ**<br>*मास्टर योजनाओं की तैयारी के लिए शिनाख्त किए गए नए बेसिन- **8 उप-बेसिन** |
| **कुल** | | **70** | |

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा XIवीं योजना तक शिनाख्त किए गए सभी 57 मास्टर योजनाएं पूरे किए गए थे। उपरोक्त में से, 49 मास्टर योजनाओं को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है और शेष 8 मास्टर योजनाएं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रेक्षणों के अनुपालन के अधीन हैं।

**वर्ष 2016-17 के दौरान**

भारत सरकार के अनुमोदन के लिए जलधाका, टांगनी, सिमसांग, उन्मगोट, सोनकोष-राइडाक, तोरसा, तिस्ता और किन्शी की मास्टर योजनाएँ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए थे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के पहले सेटों के प्रेक्षणों के बाद, मास्टर योजनाएं अनुमोदन के लिए दोबारा प्रस्तुत किए गए। हालांकि, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपकरणों के उपयोग द्वारा एकत्र किए गए अधिक आँकड़े शामिल करने का सुझाव दिया। उपरोक्त 8 (आठ) मास्टर योजनाओं में से, जलधाका और टांगनी की मास्टर योजनाओं को पूरा किया गया और टिप्पणियों के लिए क्रमश: पश्चिम बंगाल और असम सरकार को सौंप दिया गया। तिस्ता की मास्टर योजना भी पूरी करके टिप्पणियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत की गई थी। तोरसा की मास्टर योजना का संशोधन पूरा हो गया और टिप्पणियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रकार से, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पूरी तरह से तैयार की गई सभी मसौदा मास्टर योजनाओं को संशोधित करने का प्रस्ताव है। चूंकि, ये 8 मास्टर योजनाएं प्राथमिकता पर थे और 2016-17 के दौरान बोर्ड द्वारा कोई नई मास्टर योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

**3.1.2 मास्टर योजनाओं की तैयारी के लिए मौजूदा प्रदत्त कार्य :**

मेघालय राज्य में एकीकृत जल संसाधन विकास से संबंधित मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में चर्चा करने के लिए शिलांग में 22 जून 2010 को मेघालय सरकार के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. आर सी लालू की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। श्री विन्सेन्ट पाला, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार उक्त बैठक में मुख्य अतिथि थे। माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त बैठक में यह इच्छा जाहिर की कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा मेघालय की सभी नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की जाए। यह निर्णय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड को 28 जुलाई 2010 के पत्र सं. 1 9/2/2010-बी और बी / 3114 के माध्यम से सूचित किया गया था। उपर्युक्त के अनुसार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मुख्य अभियंता (पी एवं डी) (अब मुख्य अभियंता- I) की अध्यक्षता में एक 'संयुक्त दल' का गठन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं.1 9/2/2010-बी और बी / 3563-3580 दिनांक 3 सितंबर 2010 के जरिए किया गया था। मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए मेघालय की निम्नलिखित नदियों को शिनाख्त की गई थी-

1. वाईखिरवी
2. उमत्रेउ
3. गानोल
4. बुगि
5. दारेंग
6. उमसोह्रिंक्यू
7. उमिउ
8. मिन्तदू
9. लुभा

मास्टर योजनाओं की तैयारी के लिए ईम्फाल नदी, फेनी नदी, कोलोडाइन और तुईछांग नदी की शिनाख्ती की गई। इतिपूर्व तैयार किए गए मसौदा मास्टर योजनाओं के संशोधन कार्य पूरा होने पर नए मास्टर योजनाओं की तैयारी शुरू की जाएगी।

ऊपर सूचीबद्ध प्रथम 6 नदियों की मसौदा मास्टर योजनाएं पहले ही तैयार की गई हैं। हालांकि, उपरोक्त 3.1.1 (अंतिम पैरा) के तहत उल्लेखित 8 मास्टर योजनाओं में दिए गए मंत्रालय के प्रेक्षणों के आधार पर इन मसौदों को संशोधन करने की आवश्यकता है।

मास्टर योजनाओं की स्थिति का चित्रांकण **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है ।

### 3.2 जलनिकास विकास स्कीम ( डीडीएस )

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 49 अनुमोदित मास्टर योजनाओं के तहत किए गए अध्ययनों के आधार पर 41 जलनिकास संकुलित क्षेत्रों का शिनाख्त किया। 2016-17 के दौरान, डिमौ, पोला, धर्मनगर, डिपोटा, पोटा कलोंग, लारसिंग और दिरोई के डीपीआर पर दिए गए प्रेक्षणों के अनुपालन पर कार्य किया गया। 2016-17 के दौरान केजआ द्वारा पोला और डिपोटा के डीपीआर को प्रौद्यो-आर्थिक रूप से मंजूरी दे दी गई थी।

### 3.2.1 पूरी की गई जलनिकास विकास योजनाएं :

**• हारांग जलनिकास विकास योजना**

यह स्कीम 1.34 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ बदरपुर के पास बांग्लादेश की सीमा पर बराकघाटी में स्थित है। इस पर किए गए कुल व्यय रु.30.22 करोड़ है। यह स्कीम मार्च, 2011 के दौरान पूरी तरह से भौतिक रूप से संपूर्ण हो गई है और इसे असम सरकार के जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। यह कृषि के लिए बराकघाटी, असम में लंबे समय से घनीभूत 11850 हैक्टेयर क्षेत्रों में लाभ पहुंचाता है।

**• इस्ट ऑफ बरपेटा जलनिकास विकास स्कीम**

इस परियोजना का मूल प्राक्कलन रू.1.34 करोड़ का था। जिसे रू. 2.96 करोड़ में परिवर्धित किया गया। इस स्कीम को वर्ष 2009 में निष्पादन के लिए लिया गया था और जून 2011 में पूरा किया गया था। इस योजना के लिए खर्च की गई धनराशि मार्च, 2012 तक रू. 2.67 करोड़ थी। इस स्कीम को इतिपूर्व असम सरकार सरकार के जल संसाधन विभाग को सौंप दी गई है। यह स्कीम बरपेटा जिले में लंबे समय से 2852 हेक्टेयर जलनिकास संकुलित क्षेत्रों को कृषि-लाभ पहुंचाता है।

### 3.2.2 निष्पादन के अधीन :

**• जकाइचुक जलनिकास विकास स्कीम**

2008 से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा यह स्कीम निष्पादन के अधीन है। स्लूइस में ओवरफ्लो सेक्शन की गैर-मौजूदगी पर स्थानीय निवासियों की आपत्ति के कारण नवंबर, 2010 में काम बाधित था। इसके बाद, एक ओवरफ्लो सेक्शन में स्लूइस का प्रावधान किया गया है और स्लूइस का काम फिर से शुरू किया गया है। मार्च, 2017 तक काम की भौतिक प्रगति 2.40 करोड़ रुपए के खर्च पर 95% तक हुई है। स्कीम का प्रमुख काम 2016-17 में लगभग पूरा हो गया है। इस स्कीम से 2308 हैक्टेयर पर कृषि-लाभ पहुंचता है।

**• बरभाग जलनिकास विकास स्कीम**

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वर्ष 2006 के दौरान बरभाग जलनिकास विकास स्कीम के निष्पादन का कार्य लिया था। कार्य के दो घटक- (1) तटबंध को ऊपर उठाना और मजबूत करना तथा (2) चैनल का रिसेक्शनिंग का कार्य मार्च 2012 में पूरा हो चुका है। स्लूइस के संशोधित डिजाइन को शामिल करते हुए डीपीआर रू. 14.80 करोड़ में संशोधित किया गया। स्लूइस के निर्माण के शेष हिस्से का काम प्रगति पर है और मार्च 2017 तक 8.51 करोड़ के व्यय पर 21.23% प्रतिशत की प्रगति हासिल हुई है। स्कीम के पूरा होने पर, असम

के नलबारी जिले में लंबे समय से 4000 हेक्टेयर क्षेत्र जलनिकास संकुलित वाले क्षेत्रों को कृषि का लाभ पहुँचेगा।

**• अमजूर जलनिकास विकास स्कीम**

जनवरी 2006 में स्कीम की प्रौदयोगिक-आर्थिक क्लीयरेन्स के रूप में रू. 14.15 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। अमजूर जलनिकास विकास स्कीम का निष्पादन 2006-07 में लिया गया था। दो घटकों- स्लूइस रेग्युलेटर और विद्यमान तटबंध के ऊपर उठाने और मजबूत बनाने का कार्य पहले लिया गया था। स्लूइस के डिजाईन केजआ को सौंपा गया था और केजआ के अनुमोदित डिजाइन के रूप में रू. 56.37 करोड़ का संशोधित प्राक्कलन केजआ के मूल्यांकन के अधीन है। स्कीम की भौतिक प्रगति रू. 16.49 करोड़ के व्यय पर 33.5% हासिल की गई है। इस स्कीम से असम के कछाड़ जिले में 7200 हेक्टेयर जलनिकास संकुलित इलाके वाले क्षेत्र को कृषि-लाभ पहुँचेगा।

**• जेंग्राई जलनिकास विकास स्कीम**

2006 में स्कीम की प्रौद्योगिकी-आर्थिक क्लीयरेन्स के रूप में रू.1.49 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा इस स्कीम को 2006-07 में लिया गया था। दो घटकों- स्लूइस रेग्युलेटर और तटबंध में से, विद्यमान तटबंध के ऊपर उठाने और मजबूत बनाने का कार्य पहले करके पूरा कर लिया गया था। स्कीम का रू. 5.23 करोड़ के संशोधित डीपीआर को केजआ द्वारा प्रौद्योगिकी-आर्थिक रूप से मंजूरी दे दी गई थी। स्लूइस के निर्माण के लिए कार्य-आदेश जारी किए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। जेंग्राइ जलनिकास विकास स्कीम के अधीन कार्य की भौतिक प्रगति 30% है और इस पर मार्च 2017 तक रू. 1.04 करोड़ का व्यय हुआ है। मार्च 2018 तक उक्त कार्य को पूरा करने के लिए लक्षित किया गया है। इस स्कीम के पूरा होने पर, 1400 हेक्टेयर क्षेत्र जलनिकास संकुलन से लाभान्वित होगा।

**• डिमौ जलनिकास विकास स्कीम**

केजआ द्वारा प्रदत्त प्रौद्योगिकी-आर्थिक क्लीयरेन्स के अनुसार, डिमौ जलनिकास विकास स्कीम का डीपीआर असम सरकार को कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड से इस स्कीम को निष्पादन हेतु लेने का अनुरोध किया था। स्लूइस रेग्युलेटर की विस्तृत डिजाइन और निर्माण ड्राईंग ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किया गया है और इस स्कीम का लागत प्राक्कलन रू.22.25 करोड़ के लिए किया गया है, जो प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन के अधीन है।

➢ **41 जलनिकास संकुलित क्षेत्रों के संबंध में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है-**

| क्र.सं. | जलनिकास स्कीम का नाम | उपनदी / उप बेसिन | बेसिन | प्रभावित क्षेत्र ( व.किमी ) | राज्य | स्थिति ( 31.03.2017 को ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I ) केजआ द्वारा क्लीयर किए गए स्कीम** | | | | | | |
| 1 | हारांग | बराक | बराक | 242 | | निष्पादन संपूर्ण और असम सरकार के जल संसाधन विभाग को हस्तगत |
| | इस्ट ऑफ बरपेटा | बेकी-मानस-आइ | ब्रह्मपुत्र | 180 | | |
| 3 | बरभाग | पागलादिया | ब्रह्मपुत्र | 56 | असम | स्कीम निष्पाादन के अधीन |
| 4 | अमजूर | बराक | बराक | 52.5 | | संशोधित डीपीआर प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन के अधीन |
| 5 | जेंगराइ | सुबनसिरी | ब्रह्मपुत्र | 18 | | स्कीम निष्पादन के अधीन |
| 6 | जकाईचुक | जाँजी | ब्रह्मपुत्र | 100 | | |
| 7 | कैलाशहर | मनु | मनु-देउ | 18 | त्रिपुरा | राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | सिंगला | बराक | बराक | 322 | असम | मुहैया न करने के चलते निष्पादन रूक गया है |
| 9 | रूद्रसागर | गुम्टी | गुम्टी | 22 | त्रिपुरा | त्रिपुरा राज्य सरकार को निष्पादन के लिए हस्तगत |
| 10 | डिमौ | दिसांग | ब्रह्मपुत्र | 226 | असम | असम राज्य सरकार को निष्पादन के लिए हस्तगत। हालांकि, असम सरकार के अनुरोध पर स्कीम को XIIवीं कार्य-योजना में शामिल किया गया है। डीपीआर केजआ के प्रौद्योगिकी-आर्थिक क्लीयरेन्स के लिए प्रेषित |
| 11 | कलामनिजान | कपिलि (जुगीजान और लंकाजान) | ब्रह्मपुत्र | 100 | असम | डीपीआर केजआ द्वारा प्रौद्योगिकी-आर्थिक क्लीयरेन्स के लिए प्रेषित। अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए असम सरकार को अनुरोध किया गया था। असम सरकार के जल संसाधन विभाग ने स्कीम के निष्पादन की इच्छा जताई है। |
| 12 | नेली | कपिली | ब्रह्मपुत्र | 32 | असम | |
| 13 | पोला | पोला | बराक | 71 | असम | केजआ द्वारा प्रौद्योगिकी आर्थिक क्लीयरेन्स प्रदत्त। |
| 14 | डिपोटा | डिपोटा | ब्रह्मपुत्र | 28.36 | असम | |
| **II ) केजआ के प्रेक्षणों के अनुपालन के अधीन स्कीमें** | | | | | | |
| 1 | धर्मनगर | जुरि | जुरि | 20 | त्रिपुरा | संशोधित डीपीआर प्रौद्योगिकी-आर्थिक क्लीयरेन्स के लिए केजआ को प्रस्तुत। तकनीकी परामर्शदात्री समिति के प्रेक्षण के अनुपालन के बाद केजआ को डीपीआर फिर से प्रस्तुत। |
| 2 | लरसिंग | बराक | बराक | 35 | असम | केजआ के एक ही प्रकार के प्रेक्षणों के अनुपालन करते हुए संशोधन के अधीन। |
| 3 | दिरोई | दिसांग | ब्रह्मपुत्र | 194 | असम | तैयारी के अधीन डीपीआर और अनुपालन के चरण पर। |
| 4 | पोटा कलंग | न-नोई | ब्रह्मपुत्र | 100 | असम | डीपीआर तैयारी का काम संपूर्ण और केजआ को प्रस्तुत किया जा रहा है। |
| 5 | सोनाई | पुथिमारी | ब्रह्मपुत्र | 63 | असम | व्यहवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए फील्ड कार्यालय इसकी तैयारी कर रहा है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **III ) तैयारी के अधीन डीपीआर / फील्ड कार्यालयों से प्रतीक्षित स्कीमें** | | | | | | |
| 1 | लाउरा–जमीरा | बुरीदिहिंग –सेस्सा | ब्रह्मपुत्र | 300 | असम | स्कीम ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सूत्रीकरण के अधीन। फील्ड कार्यालय को डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। |
| 2 | पुनीर | बराक | बराक | 31 | असम | किए गए नए सर्वेक्षण और अन्वेषण के आधार पर स्कीम का सूत्रीकरण प्रक्रिया के अधीन । |
| 3 | घिलाधारी | घिलाधारी | ब्रह्मपुत्र | 144 | असम | राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संयुक्त फील्ड दौरा प्रस्तावित। |
| 4 | टिंगराइ | बुरीदिहिंग | ब्रह्मपुत्र | 11 | असम | कार्यालय को स्थिति बताने के लिए कहा गया है |
| 5 | हारिया–ननोइ | ननोइ | ब्रह्मपुत्र | उ. नहीं | असम | स्कीम ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सूत्रीकरण के अधीन है |
| **IV ) मिटाने की प्रक्रिया के अधीन स्कीमें** | | | | | | |
| 1 | कुँवरपुर | डिमौ | ब्रह्मपुत्र | 112 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 2 | बदरी | बराक | बराक | 33 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 3 | मरा–डिक्रंग | डिक्रंग | ब्रह्मपुत्र | 26 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 4 | सुखसागर | गुम्टी | गुम्टी | 50 | त्रिपुरा | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 5 | मरा–पिसलामुख | डिक्रंग | ब्रह्मपुत्र | 8 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 6 | पकनीया | रंगानदी | ब्रह्मपुत्र | 16 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 7 | नामदांग | दिखौ | ब्रह्मपुत्र | 10 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 8 | सिसापथार | डिक्रंग | ब्रह्मपुत्र | 12 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 9 | गेलाबिल | भोगदै | ब्रह्मपुत्र | 5 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 10 | वेस्ट ऑफ बरपेटा | मानस–बेकी–आइ | ब्रह्मपुत्र | 23 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 11 | घग्रा | बराक | बराक | 65 | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 12 | भेरेकीबिल | मरीधल | ब्रह्मपुत्र | | असम | मिटाने की प्रक्रिया के अधीन |
| 13 | खटरा | बरनदी | ब्रह्मपुत्र | 15 | असम | कार्यालय को स्थिति बताने के लिए कहा गया है |
| 14 | बथा | ननोइ | ब्रह्मपुत्र | 40 | असम | कार्यालय को स्थिति बताने के लिए कहा गया है |
| **V ) इतिपूर्व मिटायी गई स्कीमें** | | | | | | |
| 1 | जयसागर | कपिलि–कलंग | ब्रह्मपुत्र | 55 | असम | ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 53वीं बैठक में दिए गए अनुमोदन पर ड्रॉप्ड |
| 2 | रंगसाइ | जिंजिराम | ब्रह्मपुत्र | 147 | असम | |
| 3 | सेस्सा | पुथिमारी | ब्रह्मपुत्र | 59 | असम | |

### 3.2.3 जलनिकास विकास योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना :

वर्ष 2016–17 के दौरान, जलनिकास विकास स्कीमों की तैयारी के संबंध में बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

- पोला, डिपोटा, धर्मानगर, पोटा कलंग और लरसिंग जलनिकास विकास स्कीमों के डीपीआर केजआ के मूल्यांकन के अधीन थे। केजआ के प्रेक्षणों पर कार्य किए गए। पोला और डिपोटा को केजआ ने पहले ही मंजूरी दे दी है।

जलनिकास विकास स्कीमों का चित्रात्मक विवरण **अनुलग्नक– IX** में दिया गया है।

### 3.3 जल संसाधन परियोजनाओं के 'सर्वेक्षण और अन्वेषण'

**'सर्वेक्षण तथा अन्वेषण' और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी**

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में 14 बहुप्रयोजनी परियोजनाओं और मेघालय की दक्षिणी प्रवाहित नदियों में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का कार्य किया।

### 3.3.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( डीपीआर ) संपूर्ण

उपर्युक्त में से, निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और विभिन्न एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं का कमिशनिंग किया जा रहा है –

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | कार्यान्वयन एजेन्सी/ संगठन/ सरकार |
|---|---|---|
| 1 | सियांग बांध परियोजना (3 बांध ) | सन 2000 के दौरान एनएचपीसी को हस्तगत। एनएचपीसी ने सूचित किया है कि सियांग लोअर को मैं/ जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को दिनांक 31.02.2009 को हस्तगत। अरूणाचल प्रदेश सरकार ने फरवरी 2009 में पीएफआर की तैयारी के लिए सियांग मीडल को मैं/ रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड (आरइएल) को तथा अपर सियांग को एनएचपीसी को आवंटित कर दिया है। आगे, इन परियोजनाओं के कमिशनिंग की प्रगति के बारे में कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2 | सुबनसिरी बांध परियोजना (3 बांध ) | सन 2000 के दौरान एनएचपीसी को हस्तगत। एनएचपीसी द्वारा उल्लेख किए गए अनुसार लोअर सुबनसिरी का कमिशनिंग सन 2017 तक करना लक्षित है। सुबनसिरी मीडल और सुबनसिरी अपर को दिनांक 04.02.2011 को मै/जिंदल पावर लिमिटेड को हस्तगत कर दिया गया था। आगे, इन परियोजनाओं के कमिशनिंग की प्रगति के बारे में कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 3 | तिपाईमुख बांध परियोजना | नीपको को हस्तगत। और परवर्ती काल में नीपको द्वारा एनएचपीसी को हस्तगत। |
| 4 | पागलादिया बांध परियोजना | असम सरकार द्वारा जिराट सर्वेक्षण के पूरा न करने के चलते ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निष्पादित की जा रही पागलादिया बांध परियोजना परित्यक्त हो गयी है। |
| 5 | बैरबी बांध परियोजना | मिजोराम सरकार को हस्तगत, जिसने बैरबी बांध परियोजना के कार्य को मै/ सिकारिया पावर लिमिटेड, कोलकाता को दिनांक 10.08.2012 को आवंटित कर दिया। मिजोराम सरकार द्वारा यह सूचित की गई है कि बैरबी बांध परियोजना सात वर्षों में पूरी हो जाएगी। |

### 3.3.2 आंशिक रूप से संपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( डीपीआर )

अरूणाचल प्रदेश और मेघालय में अवस्थित निम्नलिखित चार जल संसाधन परियोजनाएं जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सर्वेक्षण और अन्वेषण के अधीन थीं, को शेष बचे 'सर्वेक्षण और अन्वेषण' कार्य करने एवं परवर्ती समय में कमिशनिंग करने के लिए राज्य सरकार/ एजेन्सियों को पूरा करने के लिए सौंप दी गई हैं।

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | कार्यान्वयन एजेन्सी |
|---|---|---|
| 1 | दिबांग बांध परियोजना | राष्ट्रीय जलविद्युत शक्ति निगम |
| 2 | लोहित बांध परियोजना ('सर्वेक्षण और अन्वेषण' के पूरा होने पर) | अरूणाचल प्रदेश सरकार |
| 3 | किन्सी चरण–I बांध परियोजना | मेघालय सरकार |
| 4 | किन्सी चरण–II बांध परियोजना | मेघालय सरकार |

### 3.3.3 'सर्वेक्षण और अन्वेषण' के अधीन परियोजनाएं और सूत्रीकरण के अधीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

निम्नलिखित पांच जल संसाधन परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड में वर्तमान 'सर्वेक्षण और अन्वेषण' / डीपीआर तैयारी के अधीन हैं–

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अवस्थान | |
|---|---|---|---|
| 1. | कुलसी बहुप्रयोजनी परियोजना | असम में, मेघालय सीमा के साथ | राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित |
| 2. | नोआ–दिहिंग बांध परियोजना | अरूणाचल प्रदेश | |
| 3. | सिमसांग बांध परियोजना | मेघालय | |
| 4. | जीयाधल बांध परियोजना | असम में, अरूणाचल प्रदेश सीमा के साथ | |
| 5. | किलिंग बांध परियोजना | असम मेघालय सीमा | |

- **कुलसी बहुप्रयोजनी परियोजना**

परियोजना स्थल, असम और मेघालय के एक सीमावर्ती गांव यूकियम से 1.5 किलोमीटर की प्रतिप्रवाह में स्थित है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वर्ष 1997 में कुलसी ब.परि. का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य शुरू किया। परियोजना की प्राक्कलित प्रतिस्थापित क्षमता 58 मे.वा. के साथ ही सकल कमान क्षेत्र लगभग 26000 हेक्टेयर है। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को **राष्ट्रीय परियोजना** घोषित की गयी है। परियोजना का डीपीआर मई 2014 में पूरा हो गया है और इसे अनुमोदन के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। मसौदा डीपीआर पर केजआ के प्रेक्षणों पर पहले चरण का कार्य बोर्ड द्वारा फरवरी 2017 में पूरा किया गया। आगे के प्रेक्षणों पर कार्य किया जा रहा है।

- **नोआ-दिहिंग बांध परियोजना**

परियोजना स्थल अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के मियाओ टाऊन से लगभग 4 किमी ऊपर स्थित है। इस परियोजना का अन्वेषण दिसंबर 1996 में शुरू हुआ था। परियोजना की प्रतिस्थापित क्षमता 75 मेगावाट (अस्थायी) अनुमानित है। जलमौसम विज्ञानीय आँकड़ों के संग्रहण के अलावा परियोजना के अधीन फील्ड कार्यकलापों को पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना को भी **राष्ट्रीय परियोजना** के रूप में घोषित किया गया है। संपूर्ण किए गए डीपीआर को मार्च 2014 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था। मसौदा डीपीआर पर केजआ के प्रेक्षणों को बोर्ड द्वारा अनुपालन किया गया है।

- **सिमसांग ( सोमेश्वरी ) बहुप्रयोजनी परियोजना**

यह परियोजना मेघालय के इस्ट गारो हिल्स जिले के तहत नांगलबिब्रा टाऊनशिप के निकट रोंखांडी में बांध स्थल के साथ सिमसांग नदी पर स्थित है। इस परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 1997 में शुरू किया था। परियोजना की प्रतिस्थापित क्षमता 65 मेगावाट (अस्थायी) अनुमानित है।

➢ **वर्तमान स्थिति**-

- स्थलाकृतिक सर्वेक्षण में ज्यादातर कार्य संपूर्ण
- व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट तैयार
- भूवैज्ञानिक अन्वेषण प्रगति में- बांध क्षेत्र में 26 बोर होल्स पूरे हुए
- निर्माण सामग्री सर्वेक्षण का कार्य पूरा
- बोर्ड द्वारा कंडक्टर सिस्टम के दो वैकल्पिक प्रस्ताव रखे गए हैं और आगे का अन्वेषण करने हेतु विकल्पों में से एक को अंतिम रूप देने के लिए केजआ को प्रस्तुत किया गया है।

- **जीयाधल बांध परियोजना**

जीयाधल बांध परियोजना असम-अरुणाचल सीमा क्षेत्र में स्थित जीयाधलमुख नदी के ऊपर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना का अन्वेषण नवंबर 2002 में शुरू किया गया था। परियोजना की प्रतिस्थापित क्षमता 70 मेगावाट (अस्थायी) अनुमानित है। परियोजना के लेआउट और अन्य परियोजना मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए केजआ की डिजाईन टीम को एक फील्ड दौरा करने के लिए अनुरोध किया गया है।

➢ **वर्तमान स्थिति**-

- स्थलाकृतिक सर्वेक्षण प्रगति पर है
- भूवैज्ञानिक अन्वेषण प्रगति पर है
- निर्माण सामग्री सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है
- ईआईए और ईएमपी अध्ययन प्रगति पर हैं
- परियोजना के दो वैकल्पिक लेआउट बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं और एक विकल्प को अंतिम रूप देने के लिए केजआ को प्रस्तुत किया गया है।

- **किलिंग बांध परियोजना**

परियोजना स्थल असम-मेघालय सीमा पर किलिंग नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने नवंबर 2003 में इस परियोजना का अन्वेषण शुरू किया था। परियोजना की प्रतिस्थापित क्षमता 85 मेगावाट अनुमानित है। इस परियोजना के डीपीआर को पूरा करने का लक्ष्य 2017-18 है ।

किलिंग बांध परियोजना के डीपीआर की तैयारी के लिए अन्वेषण कार्य और आँकड़ों का संग्रहण का कार्य, 25.07.2013 को असम सरकार द्वारा और मेघालय सरकार द्वारा 26.09.2012 को सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा डीपीआर की तैयारी के लिए नीपको के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के कारण बाधित रहा। भारत सरकार के शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 28.11.2013 को नीपको को उक्त परियोजना को सौंपने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से अनुरोध किया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड को प्रेषित 3 अगस्त 2015 के अ.शा. पत्र के माध्यम से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किलिंग बांध परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने का निर्णय दिया। जैसा कि यह ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शेष कार्यों को पूरा करने और डीपीआर पूरा

करने के लिए उचित माना गया था, जिसे 2 सितंबर, 2015 के पत्र के माध्यम से शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

➢ **वर्तमान स्थिति**

केजआ की डिजाईन टीम ने 20 दिसंबर, 2009 को किलिंग बहुप्रयोजनी के परियोजना स्थलों का दौरा किया और प्रस्तावित लेआउट की समीक्षा की। केजआ द्वारा परियोजना मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न बांध ऊंचाई पर अस्थायी लागतों के आधार पर अनुकूलन अध्ययन करने के लिए सुझाव दिया गया था। तदनुसार, अध्ययन को पूरा करके उसे केजआ के पास पुनरीक्षण के लिए जमा किया गया है। केजआ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए व्यापक रूप से सहमत है और उसने कुछ अतिरिक्त अध्ययन / अन्वेषण करने का सुझाव दिया है। अतिरिक्त अध्ययन / अन्वेषण प्रगति पर हैं।

वर्तमान में, डीपीआर की तैयारी के लिए जलविज्ञानीय अध्ययन प्रगति पर है और परियोजना का लेआउट प्लान अंतिम रूप दिए जाने के अधीन है।

स्थिति का चित्रात्मक विवरण **अनुबंध- X** पर दिया गया है।

### 3.3.4 लघु पनबिजली परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के लिए मेघालय में निम्नलिखित 3 (तीन) लघु पनबिजली परियोजनाओं को लिया है-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | मिनतांग मिनि हाइडल परियोजना (20 मे.वा.) | सर्वेक्षण और अन्वेषण निरंतर चल रहा है। |
| 2 | उमखेन चरण-। मिनि हाइडल परियोजना (5 मे.वा.) | मई 2015 से सर्वेक्षण और अन्वेषण निरंतर नहीं चल रहा है। |
| 3 | उमखेन चरण-।। मिनि हाइडल परियोजना (4 मे.वा.) | |

इन परियोजनाओं के संबंध में जलविज्ञानीय और प्रारंभिक शक्ति उपज अध्ययन चलाए गए हैं। इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा डीपीआर के तैयारी 2017-18 वर्ष तक पूरा करना लक्षित है। जलविज्ञानीय प्रेक्षण निरंतर चल रहा है। अगस्त 2012 के दौरान निदेशक, अभियांत्रिक प्रभाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग की शीर्षस्थता में भूवैज्ञानिकों की एक टीम ने बांध-स्थल का दौरा किया और पहली नजर में ही सभी के सभी तीन परियोजना स्थलों की व्यवहार्यता को अनुमोदित कर दिया था। टीम ने आगे अध्ययन के लिए कुछ और स्थलाकृतिक तथा नदी सर्वेक्षण कार्य करने का सुझाव दिया है।

## 3.4 निर्माण कार्यकलाप

### 3.4.1 पागलादिया बांध परियोजना

असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्त जिले (बीटीएडी) के अंतर्गत आनेवाले बाक्सा जिले के थालकुची में पागलादिया नदी पर 40000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ शमन, 54,160 हेक्टेयर पर सिंचाई और 3 मेगावाट की आनुषंगिक बिजली उत्पादन के लिए यह परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना में 25 मीटर ऊंचा और 21 किमी लंबा मिट्टी भरा बांध के निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार ने जनवरी 2001 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निर्माण के लिए रू. 542.90 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी।

- कार्य 2001 से चलाया गया था
- निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण, अन्वेषण, अध्ययन, डिजाईन, आरेखन आदि
- पुनर्वास और पुनरस्थापना (आर एंड आर) प्रयोजन के लिए भूमि (956 हेक्टेयर) पर कब्जा
- परियोजना सड़कों, कार्यालयों आदि का निर्माण

- तकनीकी विनिर्देशों और निविदा दस्तावेज तैयार
- मुख्य कार्यों के लिए ठेकेदारों की पूर्व-योग्यता

पागलादिया बांध परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक 3238 हेक्टेयर भूमि में से, असम सरकार द्वारा अधिग्रहित 956 हेक्टेयर भूमि ब्रह्मपुत्र बोर्ड को उपलब्ध कराया गया था। आर एंड आर प्रयोजन हेतु शेष 2282 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए असम सरकार की असमर्थता के कारण काम को रोक देना पड़ा और ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 53वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार 31 मई 2013 से सभी गतिविधियों को बंद कर दिया गया। असम सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह 956 हेक्टेयर भूमि को अनधिकृत कब्जे से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। कब्जे की 956 हेक्टेयर भूमि की देखरेख और निगरानी के लिए लगाए गए 26 कार्मिकों को 1 जून 2013 से छोड़ दिया गया है।

### 3.4.2 रेन्ड प्लेटफार्मों का निर्माण

असम सरकार के अनुरोध पर, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बाढ़ प्रूफिंग प्रोग्राम के दिशा-निर्देश के अनुसार जल आपूर्ति और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों और पशुओं के लिए आश्रय की सुविधा हेतु रेन्ड प्लेटफार्म का निर्माण किया। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा 18 रेन्ड प्लेटफार्मों के निर्माण पूरे किए गए हैं।

2016-17 में असम के बरपेटा जिले के सत्रकनारा इलाके में एक रेन्ड प्लेटफार्म निर्माण का कार्य लिया गया था।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निर्माण किए गए रेन्ड प्लेटफार्मों के स्थानों / अवस्थानों की सूची निम्नानुसार है-

| **क्र.सं.** | **नाम** | **सं.** | **जिला** | **संपूर्ण होने की तिथि** | **राज्य सरकार को हस्तगत करने की तिथि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेजेरतारी | 1 | कामरूप | 25.03.2010 | 06.06.2011 |
| 2 | सालमारापाम (तोपतोला) | 1 | मरिगांव | 09.04.2011 | 20.05.2012 |
| 3 | गरापार | 1 | मरिगांव | 09.04.2011 | 20.05.2012 |
| 4 | कपाहतलि नं.- 2 | 1 | तिनसुकीया | | |
| 5 | माटमरा | 1 | धेमाजी | 28.03.2007 | 12.10.2007 |
| 6 | खरूभुज | 1 | गोवालपारा | | |
| 7 | गुइमारा-नाहिरा क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र के बायें तट पर 3 रेन्ड प्लेटफार्म | 3 | कामरूप | 2006 | 16.03.2010 |
| 8 | उलुबारी | 1 | मरिगांव | 03.11.2006 | 20.03.2008 |
| 9 | सालेकपथालिघाट | 1 | जोरहाट (माजुली) | दिसंबर 2009 | 31.05.2012 |
| 10 | जईकुर | 1 | कामरूप | 28.02.2013 | 09.04.2013 |
| 11 | तुलसीमुख-कोचगांव | 1 | नगांव | 29.04.2014 | |
| 12 | आतोइचुक | 1 | जोरहाट (माजुली) | अगस्त 2013 | 24.09.2013 |
| 13 | दखिनपाट | 1 | जोरहाट (माजुली) | | |
| 14 | खरखरीजान | 1 | जोरहाट (माजुली) | | |
| 15 | रतनपुरमिरि | 1 | जोरहाट (माजुली) | नवंबर 2015 | |
| 16 | बरबालाचर | 1 | धुबरी | दिसंबर 2015 | 20.09.2016 |
| 17 | सत्रकनारा | 1 | बरपेटा | | कार्य प्रगति के अधीन है |
| | **कुल** | **19** | | | |

### 3.4.3 पूर्वोत्तर जलीय एवं संबद्ध अनुसंधान संस्थान ( निहारी )

15 अगस्त, 1985 को तत्कालीन भारत के माननीय प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के समक्ष हस्ताक्षरित असम समझौते के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 1996 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधीन पूर्वोत्तर जलीय एवं संबद्ध अनुसंधान संस्थान (निहारी) की स्थापना की गयी थी। यह संस्थान उत्तर-गुवाहाटी के रुद्रेश्वर में 44 हेक्टेयर के विशाल परिसर में स्थित है, जो कि मुख्य शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर, भीड़भाड़ से अलग, अनुकूल माहौल में एक छोटी-सी पहाड़ी पर अवस्थित है। जल संसाधनों और अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए मृदा, शिला, कंक्रीट और निर्माण सामग्री के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अग्रणी प्रयोगशाला के रूप में संस्थान की स्थापना की गई थी। भौतिक मॉडल के माध्यम से नदी के व्यवहार का अनुकरण समझने के लिए संस्थान में पर्याप्त सुविधा है।

➢ **अधिदेश**

ज्यो-मैकेनिक, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मिट्टी के लक्षण, निर्माण सामग्री और पनबिजली, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के विकास से संबंधित मुद्दों में बुनियादी और प्रायोगिक प्रकारों के फील्ड अनुसंधान और विकास तथा प्रयोगशाला अन्वेषण।

➢ **कार्यकलाप**

- तटकटाव समस्या का अध्ययन और नदी प्रशिक्षण के लिए हाइड्रॉलिक भौतिक मॉडल का परीक्षण
- मृदा यांत्रिकी
- शिला यांत्रिकी
- कंक्रीट प्रौद्योगिकी
- निर्माण सामग्री परीक्षण
- स्थल पर भू-भौतिकीय अन्वेषण
- साद विश्लेषण

निहारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृदा, निर्माण सामग्री और जल संसाधन के क्षेत्र में भौतिक और गणितीय मॉडल के विकास के क्षेत्र में शीर्ष संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस), नई दिल्ली और केंद्रीय जल और शक्ति अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे का संरक्षण प्राप्त है। निहारी के विशेषज्ञों / तकनीकी व्यक्तियों को शुरूआत में दोनों ही उपर्युक्त प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिलाया गया है। इसकी शुरूआत के समय की थोड़ी सी अवधि में, निहारी ने अन्वेषण और जल संसाधन विकास में कई परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान मिट्टी और सामग्री के प्रयोगशाला परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

इनमें से उल्लेखनीय हैं- लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना, मिडल सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना, लोअर सियांग परियोजना, मिडिल सियांग परियोजना, दिबांग बांध परियोजना, मेघालय के लस्कर मिंटू परियोजना, मिजोरम की तुइरीनी, तुईपेइ और कोलोडाइन एच.ई. परियोजना, नागालैंड की दिखू हाइडल परियोजना और अन्य। निहारी द्वारा तैयार की गई टेस्ट रिपोर्टों को सीएसएमआरएस ने सराहा है।

## 3.5 बाढ़ प्रबंधन और तटकटावरोधी स्कीमें

(तटकटावरोधी उपायों का कार्यान्वयन)

### 3.5.1 पूरे किए गए तटकटावरोधी उपाय

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम और नागालैंड में निम्नलिखित तटकटारोधी उपायों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है –

- नाग्रीजुली, रंगिया टाउन, मुकालमुआ और बरभाग क्षेत्र को असम की पुथिमारी नदी के बाढ़ और तटकटाव से प्रतिरक्षण
- नागालैंड में धनसिरी (द) नदी से डिमापुर में कुशियाबिल और दुर्गाजान गांव की प्रतिरक्षा के लिए तटकटारोधी उपाय पूरे होने के बाद, उपर्युक्त स्कीमों को उनके नियमित रखरखाव के लिए संबंधित राज्यों को सौंप दिए गए हैं।

### 3.5.2 चल रहे तटकटावरोधी उपायों का कार्यान्वयन

#### ➢ माजुली द्वीप को बाढ़ और तटकटाव से प्रतिरक्षण

माजुली द्वीप विश्व का वृहद आवासीय नदी द्वीप है। यह 26.45 और 27.10 अक्षांश और 93.40 और 94.35 देशान्तर के मध्य में अवस्थित है। 16वीं शताब्दी से माजुली असमिया सभ्यता का सांस्कृतिक उद्गम केंद्र रहा है। मध्यकाल में नव–वैष्णव आंदोलन के पथ–प्रदर्शक शंकरदेव ने हिन्दू धर्म के एकेश्वरवाद वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने आश्रमों और कुटियों की स्थापना की जिन्हें 'सत्र' के नाम से जाना जाता है। इन सत्रों में पुराने शस्त्रों, बरतन, जेवरात और अन्य संस्कृतिक महत्व की वस्तुएं हैं। माजुली के निवासी मुख्यत: जनजातिगण हैं– जो मिसिंग, देऊरी और सोनोवाल कछारी जनजाति समूदाय के हैं। माजुली द्वीप मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है।

ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली द्वीप का निरंतर तटकटाव हो रहा है। वर्ष 1999 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड को माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। वर्ष 2004 में स्थल के भौतिक कार्यकलाप प्रारम्भ हो गए थे।

वर्ष 2004 में माजुली मुख्य द्वीप का कुल आवासीय भू–भाग क्षेत्र 502,21 कि.मी. था। वर्ष 2004 से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा नियमित तटकटाव प्रतिरक्षण उपायों के कार्यान्वयन करने के कारण वर्ष 2014 में माजुली द्वीप का भू–भाग 524.29 वर्ग कि.मी. हो गया। चरण–।। और ।।। के अधीन कार्य पूरा होने को है। निचले बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों में पाँच स्परों का निर्माण, पाँच अवस्थानों में तट पलस्तर कार्य, समहिया आटी में दरारों का भरण–कार्य, भूजारोधी आरसीसी पर्क्यूपाईन स्क्रीन/स्पर/डेम्पेनर बिछाने का कार्य, नीचले तट में बाढ़ जोखिम क्षेत्रों में 5 रेज्ड प्लेटफार्म के निर्माण का कार्य, 2 चेक बंडों के नासिका भाग का निर्माण कार्य, 2 अवस्थानों पर टाइ बंड निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। केवल स्पर नं. 2 का निर्माण का शेष कार्य छूट गया था जिसे पूरा किया जाना है। पूरे किए गए स्परों के मरम्मत का कार्य और जो कुछ छोटे–मोटे काम हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है।

#### ➢ वित्तीय आशय

विभिन्न चरणों के अधीन जनवरी 2004 से बाढ़ एवं तटकटाव से माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किए गए उपायों के व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

| क्र.सं. | विवरण | प्राक्कलित लागत (करोड़ में रुपए) | वास्तविक व्यय (करोड़ में रुपए) | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | तात्कालिक उपाय (वर्ष 2004–2005) | 6.22 | 6.09 | संपूर्ण |
| 2 | चरण– I (वर्ष 2005–2011) | 56.07 | 52.63 | संपूर्ण |
| 3 | आपातिक उपाय (वर्ष 2008) | 4.99 | 4.75 | संपूर्ण |
| 4 | चरण–II और चरण–III | 115.99 | 120.79 करोड़ | 99.47% भौतिक प्रगति हासिल। स्कीम के दिसंबर तक संपूर्ण करना लक्षित । |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण के लिए नए प्रस्ताव | माजुली के लिए गठित स्थायी समिति के विशेषज्ञों और ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी-बीबी) के अनुसार एक स्कीम सूत्रबद्ध की गई थी। रू. 233.57 करोड़ की एक नई स्कीम को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा, डोनर मंत्रालय एनएलसीपीआर के अधीन रू.207.00 करोड़ की निधि मुहैया करेगी। | | |
| **कुल** | | **183.27** | **184.26** | |

➢ **परिणाम**

प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

➢ 96.2 कि.मी. के तटबंध को ऊँचा करना और मजबूत करना- तटबंध प्रणाली के अंदर बाढ़ की समस्या का निराकरण और आंतरिक संचार प्रणाली में सुधार हुआ है।

➢ प्रतिरक्षण उपायों के क्रियान्वयन से पहले माजुली द्वीप की भूमि का निरंतर नुकसान हुआ था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किए गए प्रतिरक्षण के क्रियान्वयन से भूमि-हानि की प्रवृत्ति रूक गई थी। माजुली द्वीप में आवासीय भूमि के शुद्ध लाभ का विवरण नीचे सारणीबद्ध है -

| **वर्ष** | **माजुली द्वीप का क्षेत्र ( वर्ग कि.मी. में )** | **फिर से प्राप्त निवल क्षेत्र ( वर्ग कि.मी. में )** |
|---|---|---|
| 2004 | 502.21 | - |
| 2008 | 506.37 | 4.16 |
| 2011 | 520.26 | 13.89 |
| 2013 | 522.73 | 2.47 |
| 2014 | 523.88 | 1.15 |
| 2016 | 524.29 | 0.41 |
| 2004 से 2016 तक कुल आवासीय भूमि की प्राप्ति | | 22.08 |

➢ **आगे की योजना**

माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण लिए गठित विशेषज्ञों की स्थायी समिति और ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी-बीबी) के 8वें और 9वें भ्रमण पर की गई सिफारिशों के आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और तटकटाव से माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण के लिए तैयार किए गए एक नए प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा रू.233.57 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से रु.207.00 करोड़ एनएलसीपीआर के तहत डोनर मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

➢ **धोला-हातीघुली में ब्रह्मपुत्र का अपदारन ( दिबांग और लोहित नदियों की पुनर्स्थापना )**

सैखोवा बंड में आए दरार के चलते तिनसुकिया जिले के डुमडुमा सिविल उप मंडल में अवस्थित धोला-हातीघुली के पास दिबांग के साथ लोहित के संगम पर 1989 में लोहित नदी के बाएं किनारे पर अपदारन होना शुरू हुआ था। समय के साथ चैनल के लगातार चौड़ा होने से, नए विकसित चैनल के साथ-साथ असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले के अधिक क्षेत्रों के अस्तित्व को खतरे की

धमकियां मिल रही थीं। शुरूआत में दिबांग और लोहित नदियों का महत्वपूर्ण संयुक्त प्रवाह अनंत नाला से डांगरी जो डिब्रु की एक उपनदी है, तक बहना हुई शुरू हुई थी। वर्ष 2000 से, बालू नाला प्रबल हो गया था और लोहित और दिबांग नदियों का पूरा का पूरा मुड़ा हुआ प्रवाह बालू नाला से गुजरना शुरू हुआ था। समय के साथ चैनल का लगातार चौड़ा होने से, नए विकसित चैनल के साथ-साथ असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले के अधिक क्षेत्रों के अस्तित्व को खतरे का आभास मिल रहा था। असम सरकार द्वारा तैयार की गई *धोला-हातीघुली पर ब्रह्मपुत्र का अपदारन (दिबांग नदी को अपने मूल प्रवाह में मोड़ देना) के साथ अनुषंगी तटकटावरोधी उपाय* नामक इस स्कीम को मई 2002 में आयोजित भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक में अनुमोदित की गई थी और इसके निष्पादन का संपूर्ण दायित्व ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सौंप दिया गया था। चरण-I, चरण-II, चरण-II और चरण-IV के तहत परिकल्पित कार्यों के क्रियान्वयन पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अभी तक रू. 77.48 करोड़ का कुल व्यय किया गया है।

➢ **परिणाम**

• टाइ-बंड के निर्माण के साथ, वह भूमि जो पहले दिबांग नदी के मुख्य चैनल का हिस्सा बनने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, अब बाढ़ और तटकटाव से प्रतिरक्षित हो गई है। निर्जन क्षेत्रों के निवासियों ने वापस लौटकर बड़े पैमाने पर खेती का काम करना फिर से आरंभ कर दिया है।

• लोहित नदी के बाएं किनारे पर हातीघुली क्षेत्र में रिटायरमेंट बंड के निर्माण पर, डुमडुमा राजस्व परिमंडल के अंतर्गत सन 2004 से 11 गांवों में लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से संरक्षण प्राप्त हुआ है।

| क्र.सं. | विवरण | प्राक्कलित राशि (करोड़ रूपए में) | वास्तविक व्यय (करोड़ रूपए में) | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चरण-I (जनवरी 2003 से जुलाई/2004) | 10.47 | 8.87 | संपूर्ण |
| 2 | चरण-II (जनवरी 2004 से जुलाई 2004) | 5.22 | 4.54 | संपूर्ण |
| 3 | चरण-III (मार्च 2007 से जुलाई 2007) | 8.47 | 8.46 | संपूर्ण |
| 4 | चरण-IV (दिसंबर 2013) | 54.43 | 56.61 (मार्च 2016 तक) | 100% कार्य संपूर्ण |
| कुल | 78.59 | 78.48 | | |

• **मेघालय में उमंगी नदी पर बालात गांव का प्रतिरक्षण :** स्कीम का भाग-I रु.5.63 करोड़ की लागत पर कार्यान्वयन के लिए लिया गया और इसे जनवरी 2016 में पूरा किया गया। चरण-I के तहत परिकल्पित रू. 4.81 करोड़ के वित्तीय आशय के काम पूरे हुए। अगले वित्त वर्ष में शेष कार्यों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया।

• **असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तटकटाव से मानकाछार, कालाइर-अल्गा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का प्रतिरक्षण:** मानकाछार, कालाइर अल्गा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र असम के पश्चिमी सीमा पर दक्षिण सालमारा, मानकाछार जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के भारी तटकटाव से प्रभावित है, जिससे मौजूदा आईबीबी लिंक रोड, बोर्डर फेन्सिंग और सीमा सड़क के साथ ही हाटसिंगिमारी के व्यापक क्षेत्र को खतरा पैदा हो रहा है। इसके लिए रू.23.79 करोड़ रुपए की स्कीम अभी कार्यान्वयन के अधीन है।

योजना के तहत परिकल्पित कार्य हैं- (क) तटकटावयुक्त किनारे से नदी को दूर मोड़ने के लिए आरसीसी पर्क्यूपाइन स्क्रीन और ख) 2 किमी के तटकटाव प्रवण किनारे के अभिगम के लिए तटपलस्तर कार्य। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने मार्च 2015 में इस स्कीम के निष्पादन का कार्य लिया है और आरसीसी पर्क्यूपाइन स्कीन का निर्माण पूरा हो चुका है। 2015 के बाढ़ के दौरान, आईबीबी लिंक रोड में एक दरार उत्पन्न हुआ था जिसमें एक रिटायरमेंट बंड का निर्माण आवश्यक था और तदनुसार काम शुरू किया गया है। बहरहाल, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, रिटायरमेंट बंड के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि भूमि मालिकों द्वारा भूमि देने का जो वादा किया गया था, उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। देर से, बोर्ड को 362 मीटर के दरार को भरने का काम प्रदान किया गया था जिसे पूरा कर लिया गया है। जैसा कि 2.3.7 में उल्लेख किया गया है, संशोधित प्राक्कलन के अनुसार ज्योबैग के साथ तटपलस्तर का कार्य 2017-18 में कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया की गई है।

• **भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास असम में मसलाबारी में तटकटावरोधी उपाय** -
स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आमंत्रित निविदा में अच्छा रिस्पान्स न होने के कारण प्रगति में देरी हुई है।

❖ **12वीं पंचवर्षीय योजना से परे, 2017-18 से 2019-2020 तक निष्पादित करने के लिए प्रस्तावित तटकटावरोधी स्कीमें**

- बाढ़ और तटकटाव से माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण हेतु शेष कार्य- चरण-II और चरण-III
- ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और तटकटाव से माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण - रु. 233.57 करोड़
- माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण कार्य को चलाने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के बुनियादी ढांचे का विकास
- दिबांग और लोहित नदियों को उनके मूल प्रवाह में बहाल करना - चरण-V
- दिबांग और लोहित नदियों को उनके मूल प्रवाह में बहाल करना - चरण-V - बाहबारी में एक पूर्ण बांध के लिए दिबांग नदी के स्पिल चैनल पर मौजूदा टाइ-बंड का रूपांतरण और नए तटबंध का निर्माण-चरण-V का भाग-क
- मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले में उमंगी नदी के तटकटाव से बालात गांव का प्रतिरक्षण- चरण-II
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास असम में मानकाछार के कालाइर अल्गा में ब्रह्मपुत्र नदी के गंभीर तटकटाव के तहत क्षेत्रों की प्रतिरक्षा के लिए तटकटावरोधी उपाय
- असम के मसलाबारी इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी के तटकटाव से अंतर्राष्ट्रीय सीमा-क्षेत्र के निकट गंभीर तटकटाव के तहत क्षेत्रों की प्रतिरक्षा के लिए तटकटावरोधी उपाय
- आपातिक तटकटावरोधी कार्य (जैनेरिक स्कीम) / सिंचाई के लिए जलनिकायों की मरम्मत और पुनर्स्थापना
- कूचविहार ब्लॉक नं.-II के अधीन भजनेर चारा, निशिगंज क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के कूचविहार जिले की मनसाइ नदी के बाएं किनारे पर तटकटावरोधी स्कीम
- पश्चिम बंगाल के कूचबिहर जिले में मनसाई नदी के दायें किनारे पर भोगदेबरी क्षेत्र में तट प्रतिरक्षण कार्य
- बाढ़ प्रबंधन कार्यों की जैनेरिक स्कीमें

## 3.6 भारत सरकार के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्कीमों का मूल्यांकन और मॉनीटरिंग

Xवीं योजना से ही से ब्रह्मपुत्र बोर्ड को ब्रह्मपुत्र बेसिन में पड़नेवाले सिक्किम और पश्चिम बंगाल के एक भाग सहित समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्कीमों का मॉनीटरिंग करने का कार्य सौंपा गया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा मॉनीटरिंग की गई और भारत सरकार द्वारा ली गई स्कीमों का विवरण नीचे प्रदर्शित है -

➢ **Xवीं योजना के दौरान**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्कीमों की संख्या | रीलिज किया गया केंद्रीय अनुदान ( करोड़ में रुपए ) |
|---|---|---|---|
| 1 | असम | 44 | 78.8182 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 7 | 16.3755 |
| 3 | मणिपुर | 4 | 7.911 |
| 4 | मिजोराम | 3 | 6.1980 |
| 5 | त्रिपुरा | 7 | 12.7635 |
| 6 | मेघालय | 2 | 2.635 |
| 7 | नागालैंड | 1 | 3.897 |
| 8 | सिक्किम | 3 | 8.595 |
| 9 | पश्चिम बंगाल | 3 | 9.01 |
| | **कुल** | **74** | **146.2032** |

➢ **XIवीं योजना के दौरान**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | स्कीमों की संख्या | रीलिज किया गया केंद्रीय अनुदान ( करोड़ में रुपए ) |
|---|---|---|---|
| 1 | असम | 100 | 744.901 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 21 | 78.7705 |
| 3 | मणिपुर | 22 | 65.0315 |
| 4 | मिजोराम | 2 | 3.4025 |
| 5 | त्रिपुरा | 11 | 20.91115 |
| 6 | मेघालय | 0 | 0 |
| 7 | नागालैंड | 11 | 28.965 |
| 8 | सिक्किम | 28 | 82.859 |
| 9 | पश्चिम बंगाल | 6 | 13.394 |
| | **कुल** | **201** | **1038.235** |

Xवीं, XIवीं, XIIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा मॉनीटरिंग की गई और भारत सरकार द्वारा ली गई स्कीमों का विवरण नीचे दिखाया गया है –

| **योजना** | **स्कीमों की संख्या** | **केंद्रीय सहायता** (करोड़ रुपए में) | **अभ्युक्तियां** |
|---|---|---|---|
| Xवीं योजना | 74 | 146.20 | |
| XIवीं योजना | 201 | 1063.58 | |
| XIIवीं योजना | 61 | 178.5736 | रू. 118.2 करोड़ स्पिलओवर स्कीमों के + रू. 55.3736 करोड़ XIIवीं योजना के हैं |

प्रारंभ में भारत सरकार के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत योजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग के पास था और ऐसी स्कीमों के

प्रगति की निगरानी ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पास थी।

इसके बाद, यह निर्णय लिया गया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम योजनाओं का मूल्यांकन ब्रह्मपुत्र बोर्ड को भी प्रदान किया जा सकता है। पत्र संख्या 5/6/2011-आरएमसीडी / 660-92 दिनांक 1.02.2012 में निहित निर्णय के अनुसरण में ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत योजनाओं का मूल्यांकन किया। ब्रह्मपुत्र बोर्ड और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दौरे के दौरान, कुछ योजनाओं के फील्ड बदल दिए गए थे और कुछ प्रस्तावों को अनावश्यक भी माना गया और इस प्रकार उन्हें छोड़ दिया गया था।

इसके बाद, भारत सरकार के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं का मूल्यांकन वापस ब्रह्मपुत्र और बराक संगठन, केंद्रीय जल आयोग, शिलांग को पत्र सं. 5/6/2012-आरएमसीडी / 4756-4824 के माध्यम से दिनांक 30.11.2012 के जरिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सौंपा गया था।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू की गई बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के मूल्यांकन के बारे में स्थिति, फरवरी 2012 से जुलाई 2013 की संक्षिप्त अवधि के तहत नीचे सारणीबद्ध है –

| क्र.सं. | राज्य का नाम | प्राप्त की गईं स्कीमें | ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा मूल्यांकन | राज्य सरकार को वापस | केजआ के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | असम | 87 | 60 | 4 | 23 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | मणिपुर | 0 | – | – | – |
| 4 | मिजोराम | 0 | – | – | – |
| 5 | त्रिपुरा | 0 | – | – | – |
| 6 | मेघालय | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | नागालैंड | 1 | 0 | 1 | – |
| 8 | सिक्किम | 44 | 27 | 17 | 0 |
| 9 | पश्चिम बंगाल | 11 | 5 | 5 | 1 |

**कुल - 151**

## 3.7 ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 की समीक्षा

सार्वजनिक डोमेन में, एक धारणा है कि 1980 में अपनी स्थापना के बाद से, ब्रह्मपुत्र बोर्ड लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा है और बेसिन राज्यों के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया। नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के माननीय केन्द्रीय मंत्री ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इसे अधिक प्रभावी और कुशल बनाया जा सके। ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए भारत सरकार ने आंतरिक प्रयास किए। प्रारंभिक कदम में ब्रह्मपुत्र बोर्ड को एक बेसिन प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठन करना था और उसके बाद एक निगम में। हालांकि, इन अभ्यासों को चलाए जाने के दौरान मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के दायरे में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए एक नया कदम उठाया। देश के शीर्ष जल संसाधन विशेषज्ञों को शामिल करने हेतु मंत्रालय द्वारा इस पर व्यापक कार्य किया गया ताकि ब्रह्मपुत्र बोर्ड को प्रशासनिक और प्रचालन में अधिक कुशल बनाया जा सके। ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के दायरे में अपने तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्यकर्ताओं को सुधारने के द्वारा मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पुनर्गठन के लिए एक मजबूत प्रस्ताव निकाला। इस पुनर्गठन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिनांक 11.04.2017 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 63वीं विशेष बैठक बुलाई गई।

****

# अध्याय- IV

# वर्ष 2016-17 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की गैर-फील्ड कार्यकलाप

## 4.1 यौन उत्पीड़न और लिंग न्याय संबंधी शिकायत समिति

विशाखा - वनाम - राजस्थान और अन्य राज्यों के मामले में रिट याचिका (आपराधिक) नं. 666670 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ऐसे मामलों से निपटने के लिए सात समिति-सदस्यों सहित एक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव को लेकर एक शिकायत तंत्र का गठन किया गया है। समिति 31.12.1997 से प्रभाव में आयी है।
वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई क्योंकि समिति में किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं मिली थी।

## 4.2 सतर्कता और अनुशासनिक मामले

बोर्ड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में एक अधीक्षक अभियंता, एक कार्यपालक अभियंता (सतर्कता), एक सहायक कार्यपालक अभियंता (सतर्कता) और एक कनिष्ठ अभियंता (सतर्कता) को लेकर एक सतर्कता स्कंध है। विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता / अनुशासनिक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है-
वर्ष 2016-17 के दौरान सतर्कता और अनुशासनिक मामलों को प्रदर्शित करता टेबल (31.03.17 को)

| क्र.सं. | मामलों का विवरण | अधिकारियों/स्टाफ का वर्ग | | | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| | | समूह 'क' | समूह 'ख' | समूह 'ग' | |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में विचाराधीन मामलों की संख्या | 14 | 06 | - | |
| 2 | वर्ष के दौरान जोड़े गए मामले | - | - | - | |
| 3 | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले | 08 | 04 | - | |
| 4 | वर्ष के अंत में विचाराधीन मामलों की संख्या | 06 | 02 | - | |

### 4.2.1 सतर्कता सप्ताह

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने दिनांक 31.10.2016 से 05.11.2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2016 का पालन किया जिसका थीम था- 'अखंडता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सार्वजनिक भागीदारी।' सप्ताह के लिए नारा था- 'सतर्क आँखें देश से भ्रष्टाचार के धब्बे को मिटा सकती हैं।' सतर्कता सप्ताह के दौरान, कुछ गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया, जैसे- प्रमुख स्थानों में बैनर और पोस्टर लगाना, वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, निबंध लेखन प्रतियोगिता और पोस्टर और कैप्सन अंकण प्रतियोगिता। समारोह में सभी लोग उपस्थित थे और इसका व्यापक प्रचार किया गया।

## 4.3 संगोष्ठी / कार्यशाला / प्रशिक्षण आदि में भाग लेना

**4.3.1** वर्ष 2016-17 के दौरान प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों और संगोष्ठी / कार्यशाला / प्रशिक्षण में भाग लेनेवालों की सूची **अनुबंध-V** में प्रदर्शित है।

**4.3.2** वर्ष 2016–17 के दौरान अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्त / ऋण पर भेजे गए अधिकारियों की सूची **अनुबंध–VI** में प्रदर्शित है ।

## 4.4 राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग

1. **हिंदी पखवाड़ा का आयोजन :** राजभाषा हिंदी के संवर्धन और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हिन्दी का एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए, बोर्ड मुख्यालय, गुवाहाटी में 14 सितंबर से 28 सितंबर 2016 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी में दस प्रतियोगिताओं – नोटिंग / मसौदा लेखन, कंप्यूटर टाइपिंग, कविता पाठ, श्रुतलेख, आशु भाषण, आशु पठन, आशु लेखन, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन इत्यादि का आयोजन किया गया और प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। कुल रू. 19,200/– के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए अपने अधीनस्थ 3 कार्यालयों के नाम पर उनके कार्यालय प्रमुख को रू.3000/– (प्रथम), रू.2000/– (द्वितीय) और रू.1000/– (तृतीय) के रूप में नकद पुरस्कार प्रदान किया।

2. **हिंदी पत्राचार :** बोर्ड ने मूल हिन्दी पत्राचार में पिछले वर्ष की 58.22% की तुलना में वर्ष के दौरान 58.41% तक प्रगति हासिल किया। इसके लिए नियमित तरीके से प्रगति को बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए गए। बोर्ड ने सभी संबंधितों को इस संबंध में सभी संभव अनुवर्ती कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया।

3. **हिंदी कार्यशाला :** भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए बोर्ड में ठोस प्रयास किए गए हैं। कार्यालयीन काम को राजभाषा हिन्दी में करने हेतु अपने कौशल को सुधारने में कर्मचारियों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए और वर्ष के दौरान चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

| तिथि | प्रशिक्षण घंटे | नामितों की संख्या | भाग लेने वालों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 08.08.2016 | 6 घंटे | 15 | 15 |
| 23.09.2016 | 6 घंटे | 24 | 24 |
| 29.02.2017 | 3 घंटे | 19 | 19 |
| कुल | 15 घंटे | 58 | 58 |

4. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक :** राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में, बोर्ड ने नलबारी परिमंडल कार्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करने के लिए समर्थन किया और नलबारी शहर तथा उसके आसपास स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में अधीक्षण अभियंता, नलबारी परिमंडल, नलबारी की अध्यक्षता में प्रगति की मॉनीटरिंग की गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक नलबारी परिमंडल कार्यालय में 6 जून, 2016 को आयोजित की गई।

   दिनांक 27.07.2016 और 28.12.2016 को गुवाहाटी रिफाइनरी, गुवाहाटी में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की बैठक में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सचिव और हिंदी अधिकारी ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया।

5. **हिंदी में प्रशिक्षण :** वर्ष के दौरान, 9 कर्मचारियों को हिंदी प्राज्ञ पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया, जबकि जनवरी–मई 2017 सत्र के लिए पारंगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 14 कर्मचारियों को नामित किया गया।

6. **राजभाषा पर संगोष्ठी :** दिनांक 24.1.2016 को गुवाहाटी रिफाइनरी में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा *डिजिटलीकरण के दौर में राजभाषा हिन्दी* विषय पर आयोजित संगोष्ठी में हिन्दी अधिकारी ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया।

7. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति ( ओएलआईसी ) की बैठक :** वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 (तीन) बैठकें हुईं। उक्त बैठकें 26.8.2016, 30.12.2016 और 21.02.2017 को हुईं। मुख्यालय के साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए उपायों की समीक्षा की गई और हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की शिनाख्त की गई। उप समिति की बैठक भी नगांव मंडल, माजुली मंडल और नलबारी परिमंडल कार्यालय में आयोजित की गई।

8. **पुरस्कार / पारितोषिक :** ब्रह्मपुत्र बोर्ड को डिजिटल पत्रिका 'ब्रह्मपुत्र' के प्रकाशन के लिए 28.12.2016 को गुवाहाटी रिफाइनरी में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया था। जबकि हिंदी अधिकारी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड को नराकास की पत्रिका 'प्रागज्योतिका' में प्रकाशित अपने आलेख (पुस्तक समीक्षा) के लिए सम्मानित किया गया।

9. **हिंदी निरीक्षण :** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रगति का आकलन करने के लिए दिनांक 10.03.2017 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय का निरीक्षण किया गया। जबकि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी की तरफ से भी दिनांक 31.01.2017 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड में हिंदी क्रियान्वयन की प्रगति का निरीक्षण किया गया।

वर्ष के दौरान मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित अधीनस्थ फील्ड कार्यालयों में भी हिन्दी का निरीक्षण किया गया जहां हिंदी में कार्य निष्पादन स्तर से नीचे था। उक्त अवसर पर कार्यान्वयन के काम की गति को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के सुझाव दिए गए।

| क्र.सं. | निरीक्षण की तिथि | कार्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 28.03.2017 | कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, आगरतला मंडल, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, आगरतला, त्रिपुरा |
| 2 | 31.03.2017 | कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, गुवाहाटी मंडल, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी |

## 4.5 नागरिक चार्टर का सूत्रीकरण

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के संबंध में नागरिक चार्टर तैयार करके कार्यालय के वेबसाईट www.brahmaputraboard.gov.in पर अपलोड की गई है।

## 4.6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ( आरटीआई ) का कार्यान्वयन

भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के पत्र सं. 31/15/2004-आईटी / बी और बी / 200 दिनांक 22.12.2005 के अनुपालन में, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में दिनांक 31.12.2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आरंभ किया गया। सूचना का अधिकार अधिनिय -2005 के आरंभ करने के बाद, बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचनाओं को अधिसूचित किया और अधिनियम के लागू करने के रूप में तथा कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में अपनी वेबसाईट में भी इसे प्रकाशित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के निर्देशावली और प्रावधान का अनुपालन करने के लिए वेबसाईट में दी गई जानकारी को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

वर्ष 2016-17 के लिए सूचना प्रणाली का वार्षिक रिटर्न **अनुबंध-VII** में है।

## 4.7 वर्ष 2016-17 के दौरान जल संरक्षण के लिए जनजाति उप-योजना के तहत स्वच्छ भारत अभियान और जन जागृति कार्यकलापों का पालन।

भारत के प्रधान मंत्री ने 'स्वच्छ भारत' के लिए 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से स्वच्छ भारत के गांधीजी के सपने को पूरा करने के लिए जन आंदोलन के रूप में आमंत्रण दिया है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 'स्वच्छ भारत मिशन' (स्वच्छ भारत अभियान) में भागीदारी की और निम्नानुसार कार्रवाइयां की है -

क) 2016-17 के दौरान, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में स्वच्छ भारत अभियान को निम्नलिखित कार्यक्रम का आयोजन और पालन करके मनाया गया :-

(क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा परिचालित वार्षिक कार्य-योजना

| क्र.सं. | कार्यकलापों का विवरण | समय | द्वारा मॉनीटरिंग |
|---|---|---|---|
| 1 | चलाए जानेवाले पुराने रिकॉर्ड/ फाईलों का वेडिंग | मासिक / एमओपी के अनुसार | संबंधित अनु. अधि./अवर सचिव |
| 2 | सेवा अयोग्य हुए उपकरण, स्टोर के अन्य मदें | वार्षिक / तिमाही | निदेशक.(जीए) |
| 3 | मरम्मत और कमरों/शौचालयों/कॉरीडोरों का रंगरोगन | रखरखाव का दैनिक रिपोर्ट। अर्ध वार्षिक रखरखाव। कॉरीडोरों/खिड़कियों के पल्लों का साप्ताहिक सफाई (अर्ध वार्षिक) | अवर सचिव(जीए) / अवर सचिव (प्रशा.) |
| 4 | अनुभाग अधिकारी के स्तर द्वारा स्वच्छता का यथोचित निरीक्षण | हफ्ते में एक बार | रोस्टर के अनुसार अनु. अधिकारी |
| 5 | अलमीरा, कार्यस्थलों, दीवारों आदि की सफाई | मासिक | संबंधित अनु. अधि./अवर सचिव |
| 6 | शौचालयों, कॉरीडोरों, कमरों और सीढ़ियों की सफाई | दैनिक | रोस्टर के अनुसार अनु. अधिकारी |
| 7 | कूड़ा करकट डालने के लिए पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान की व्यवस्थाओं और उनके उपयोग तथा रखरखाव की समीक्षा | स्कंधवार पाक्षिक आधार पर निरीक्षण की आवश्यरकता, दैनिक आधार पर कुड़ेदानों को खाली करवाना | रोस्टर के अनुसार अनु. अधिकारी |
| 8 | कमरों/ शौचालयों/ सीढ़ियों आदि की सफाई का आवधिक जांच | साप्ताहिक | रोस्टर के अनुसार अनु. अधिकारी |
| 9 | कार्यशालाओं, पोस्टरों आदि के जरिए जागरूकता सृजन का अभियान | अर्ध वार्षिक | निदेशक(प्रशा.) और उप सचिव (इ-I) |
| 10 | टूटी हुई खिड़कियों के पल्लों /ब्लिंड्स की बदली | जरूरत के आधार पर, मासिक रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण | अनु. अधि.(जीए) |
| 11 | समग्र स्वच्छता और अनुभाग/ कॉरीडोरों से सभी टूटे-फूटे /अवांछित फर्नीचरों, मदों आदि को हटाना | पाक्षिक | रोस्टर के अनुसार अनु. अधिकारी |

(ख) बोर्ड की वार्षिक कार्य-योजना

| क्र.सं. | कार्यकलापों का विवरण | समय | कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | विद्यालय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पेंटिंग प्रतियोगिता | नवंबर 2016<br>फरवरी 2016 | आगरतला मंडल<br>जलपाइगुरी मंडल<br>नगांव मंडल<br>रोइंग मंडल<br>नर्थ गुवाहाटी मंडल |
| 2 | जल संरक्षण, नदी स्वच्छता और जल संसाधनों का विशुद्धकरण पर जागृति फैलाने के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला | सितंबर 2016<br>दिसंबर 2016<br>फरवरी 2017 | रोइंग मंडल द्वारा तेजू में<br>बराकघाटी मंडल द्वारा<br>नलबारी मंडल द्वारा |
| 3 | जलनिकायों की स्वच्छता पर 'जल क्रांति अभियान' के रूप में जन जागृति अभियान | जनवरी 2017 | सभी मंडल कार्यालयों द्वारा |

(ग) 16 से 31 मार्च 2017 तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा

| क्र.सं. | कार्यकलाप | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | बशिष्ठ स्थित ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय के कॉमन क्षेत्र और कॉरीडोरों की सफाई | 16 से 31 मार्च, 2017 तक |
| 2 | फाईलों और सेवा पंजियों की सफाई | 16 से 31 मार्च, 2017तक |
| 3 | फाईलों का वेडिंग आउट करना | 22 से 25 मार्च, 2017 तक |
| 4 | पुराने अखबार-पत्रिकाओं का निपटान/ नीलामी | 16 से 31 मार्च, 2017 तक |
| 5 | परिसर की सफाई | 16 स 31 मार्च, 2017 तक |
| 6 | महत्वपूर्ण वैयक्तिक दस्तावेजों जैसे एपीएआर आदि का डिजिटैलाइजेशन | 16 से 31 मार्च, 2017 तक |
| 7 | खुले जलनिकासों की सफाई | 26 से 31 मार्च, 2017 तक |
| 8 | पुरानी जंक सामग्री का निपटान | 30 से 31 मार्च, 2017 तक |

असम के माजुली द्वीप में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान चलाए गए विशेष अभियान

1. जलनिकाय, कमलाबारी फेरी घाट, सर्किट हाउस आदि सहित स्पॉटों पर सफाई अभियान
2. जिला उपायुक्त का कार्यालय, अन्य संबंधित सरकारी विभागों से संबंधित नगर पालिका का कार्यालय
3. चित्रकला, दौड़ प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन और सफाई अभियान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टरों का प्रदर्शन।

****

## अध्याय - V

# दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित कार्यकलाप

## [ दिव्यांग व्यक्ति ( समान अवसरों, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम, 1995 ]

### 5.1 दिव्यांग व्यक्तियों के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन

दिव्यांग व्यक्तियों को नियमों के अनुसार परीक्षा / साक्षात्कार के समय सुविधाएं, रियायत और छूट दी जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रासंगिक रोस्टर भी बनाए गए हैं। 3% पदों / रिक्तियों अस्थि, आश्रम रोग, दृष्टि और श्रवण दिव्यांगों प्रत्येक के लिए 1%) दिव्यांग व्यक्तियों से भरे जाने के लिए आरक्षित हैं। दिव्यांगों की भर्ती हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तीन प्रतिशत कोटे की पूर्ति के लिए प्रक्रिया के अधीन है। प्राप्त की गई प्रगति की आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड दिव्यांग व्यक्तियों को उपलब्ध मौजूदा सुविधाएं / रियायतों में सुधार के लिए अग्रणी दृष्टिकोण रखता है। बोर्ड प्राधिकरण की दृष्टि में जब भी कार्यालयीन उपयोग हेतु दिव्यांगों द्वारा किए गए अपने उत्पाद/ विनिर्माण आए, बोर्ड उन्हें प्राथमिकता देने के लिए तैयार है।

### 5.2 अनुमोदित पदों का विवरण और 3% रिक्त पदों के विपरीत समूह 'क', 'ख' और 'ग' में विभिन्न पदों में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है ( 31.03.2017 को )

| क्र.सं | पद का समूह | स्वीकृत बल | दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद | वर्तमान स्थिति | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | समूह 'क' | 82 | शून्य | शून्य | समूह 'क' में कोई सीधी भर्ती के पद नहीं है |
| 2 | समूह 'ख' | 181 | 4 | शून्य | समूह 'ख' में सीधी भर्ती के कुल पद हैं- 141 |
| 3 | समूह 'ग' | 365 | 8 | 7 | समूह 'ग' में सीधी भर्ती के कुल पद हैं- 255 |
| | **कुल** | **628** | **12** | **7** | |

**स्थापना - प्रशासन**

31.03.2017 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड में स्वीकृत और भरे गए पदों की स्थिति नीचे टेबल में प्रदर्शित है -

| क्र.सं. | पद | स्वीकृत पद | भरे गए पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | समूह 'क' | 82 | 46 | 36 |
| 2 | समूह 'ख' | 181 | 138 | 43 |
| 3 | समूह 'ग' | 365 | 218 | 147 |
| **कुल** | **628** | **402** | **226** | |

उपर्युक्त सूची की विस्तृत स्थिति **अनुबंध- IV** में दर्शाया गया है।

# अध्याय-VI
# वर्ष 2016-17 के दौरान बैठक

**ब्रह्मपुत्र बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठकें**

## 6.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2016-17 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 61वीं और 62वीं बैठक आयोजित की गई। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 61वीं बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2016 को गुवाहाटी में हुई और 62वीं बैठक भी 30.01.2017 को गुवाहाटी में ही हुई।

**ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अपनी 61वीं बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-**

(क) दिनांक 3.03.2016 को नई दिल्ली में आयोजित और ब्रह्मपुत्र बोर्ड 60वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्तर की पुष्टि
(ख) योजनाओं की स्थिति - चालू और सूत्रीकरण के अधीन होनेवाली योजनाओं पर विस्तृत चर्चा
(ग) वर्ष 2015-16 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वार्षिक लेखे का अनुमोदन
(घ) वर्ष 2015-16 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन
(ङ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 56वीं बैठक में दिए गए निर्णयों / अनुमोदन की अभिपुष्टि
(च) सदस्य राज्यों की कार्यसूची- असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल
(छ) ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों में संग्रह, जल विज्ञानीय और जलमौसमविज्ञानीय स्टेशनों की प्रतिस्थापना, संग्रहण पर निर्णय - ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा नहीं लिया जाना है, जैसाकि संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वही कार्य किया गया है। बोर्ड जैसा और जब आवश्यक समझे आँकड़े संग्रह कर सकता है

**ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अपनी 62वीं बैठक में निम्नलिखित महत्वोपूर्ण निर्णय लिए गए-**

(क) असम के गुवाहाटी में दिनांक 30.01.2017 को आयोजित ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 61वीं (आस्थगित) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
(ख) वर्ष 2016-17 के लिए की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा
(ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजना की स्थिति- तैयारी, अनंतिम रूप देना तथा दिसंबर 2016 तक कार्यान्वयन
(घ) विभिन्न राज्यों में कार्य / परियोजनाओं सहित कार्यान्वयन के अधीन कार्य/ परियोजनाओं की स्थिति
(ङ) विभिन्न राज्यों में कार्य / परियोजनाओं सहित सूत्रीकरण के अधीन कार्यों / परियोजनाओं की स्थिति
(च) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की मॉनीटरन के अधीन एफएमपी स्कीणमों की स्थिति
(छ) शिकायतों और उनके निवारण की स्थिति
(ज) सतर्कता मामलों की स्थिति और की गई कार्रवाई
(झ) स्टाफ की स्थिति - मानव संसाधन
(ञ) कानूनी मामलों की स्थिति
(ट) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 57वीं बैठक के निर्णय/ अनुमोदन की अभिपुष्टि

## 6.2 स्थायी समिति की बैठक

वर्ष 2016-17 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 56वीं और 57वीं बैठक आयोजित की गई। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 56वीं बैठक दिनांक 18.07.2016 को क्रांफ्रेंसिंग हॉल, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बशिष्ठ, गुवाहाटी के कांफ्रेन्स हॉल में और ब्रह्मपुत्र बोर्ड की

स्थायी समिति की 57वीं बैठक दिनांक 16.01.2017 को संयुक्त सचिव (पीपी) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस चैंबर में हुई। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति की 56वीं और 57वीं बैठक के निर्णय / अनुमोदन को क्रमश: ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 61वीं और 62वीं बैठक में अभिपुष्टि की गई।

**56वीं स्थायी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय**

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की चल रही कार्यकलापों की स्थिति
(ख) वर्ष 2016-17 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड की कार्य-योजना
(ग) वर्ष 2016-17 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का बजट प्राक्कलन
(घ) निम्नलिखितों के लिए प्राक्कलनों का अनुमोदन -

i) वर्ष 2016-17 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मरम्मत और रखरखाव की विभिन्न परिसम्पत्तियां
ii) वर्ष 2016-17 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड में विभिन्न कार्यालयों के कार्यालय व्यय, वाहनों की मरम्मत और रखरखाव, कार्यालयी उपस्कवर (जैसे कंप्यूटर, फ़ैक्स मशीन, फोटोकॉपियर, प्रिंटर, केबलिंग इत्यादि) की खरीद / प्रतिस्थापन।
iii) असम में कुलसी बहुप्रयोजनी परियोजना के जल-मौसम विज्ञानीय आंकड़ों के संग्रहण के लिए संशोधित प्राक्कलन (दूसरा संशोधन) (2011-12 से 2017-18)
iv) मेघालय में मिनतांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अन्वेषण कार्य के लिए संशोधित प्राक्कलन (पहला संशोधन) (2011-12 से 2017-18)
v) उत्तरी बंगाल और सिक्किम में ब्रह्मपुत्र बेसिन के 3 (तीन) दक्षिण प्रवाहित नदियों तिस्ता, जलधाका और तोरसा-राइडाक की मास्टर योजना को अद्यतन करने के लिए संशोधित प्राक्कलन (2007-2019)
vii) त्रिपुरा की दक्षिण त्रिपुरा जिले में फेनी नदी की मास्टर योजना की तैयारी के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए संशोधित प्राक्कलन
viii) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1996 के खंड 1 (क), 13 (क, ख, ग) 23, (क), 24 (क, ख), 26, 31, 32, 34, 36, 39 (i, ii), 40, 41 और 52 का निम्नलिखित प्रकार से संशोधन-

| **क्र.सं** | **प्रत्यायोजन की प्रकृति** | **ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन** | **स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित संशोधन** |
|---|---|---|---|
| 1 | क) विस्तृत प्राक्कलन के लिए तकनीकी मंजूरी प्रदान | मु.अभि. = प्रशा. अनुमोदित राशि तक और परियोजना में रहे प्रावधान के अनुसार पूर्ण शक्ति<br>अधी.अभि.= रू. 10 लाख<br><br>का.अभि.= रू. 1 लाख<br><br>स.अभि./स.का.अभि./उ.म. अधि. = रू. 5000/- | मु.अभि.= प्रशा. अनुमोदित राशि तक पूर्ण शक्ति<br>अधी.अभि.= प्रशा. अनुमोदित राशि तक **रू. 50 लाख**<br>का.अभि. प्रशा. अनुमोदित राशि तक पूर्ण शक्ति **रू. 5 लाख** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | कार्य से सीधे संबंधित भंडारों, टूल्सा और संयत्रों के उपकरणों की खरीद (विशिष्ट और सामान्य),और जबकि कार्यालयी उपकरण, वाहन की नहीं | अगले उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन से यह स्टील के लिए भी प्रयुक्त होगा, यदि वह जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य उत्पादकों के पास उपलब्ध न हो तो। | |
| | (क)न्यूनतम निविदा की स्वीकृति जब एक से अधिक वैध निविदा प्राप्त हों | अध्यक्ष = पूर्ण शक्ति, निविदा समिति की सिफारिश के बशर्ते<br>(मप्र= रू.20 लाख निविदा समिति की सिफारिश के बशर्ते<br>मुअभि= रू.15 लाख निविदा समिति की सिफारिश के बशर्ते<br>अधी. अभि.= रू.2 लाख<br>निविदा समिति की सिफारिश के बशर्ते | |
| | (ख) स्वीकार करना | अध्यक्ष = वि.स. के परामर्श में पूर्ण शक्ति | |
| | (i) एकल निविदा को | मप्र.- रू.15 लाख. निविदा समिति की सिफारिश के बशर्ते .<br>मुअ. - रू.10 लाख. निविदा समिति की सिफारिश के बशर्ते . | |
| | (ii) वह निविदा जो अन्यों से न्यूनतम हो | अधी. अभि. - रू.1 लाख निविदा समिति की सिफारिश के बशर्ते | मप्र. = **रू.2 लाख**<br>मु.अभि = **रू.1 लाख**<br>अधी.अभि.= **रू. 50,000/-** |
| | (iii) निविदा, जिसके लिए निगोसिएट हो | मप्र = रू.50,000/- | (i) इमरजेंसी की संक्षिप्त प्रकृति को लिखित में रिकॉर्ड करना चाहिए<br>(ii) अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा कारणों को पूरी तरह दर्ज किया जाना चाहिए, जो अनुचित उच्च दर रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ रक्षा करनी चाहिए। |
| | (ग) जरूरी हालात में निविदा बिना आमंत्रित किए खरीद करना | मुअ = रू.40,000/-<br>(i) इमरजेंसी की संक्षिप्त प्रकृति को लिखित में रिकॉर्ड करना चाहिए।<br>(ii) अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा कारणों को पूरी तरह दर्ज किया जाना चाहिए, जो अनुचित उच्च दर रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ रक्षा करनी चाहिए। | (ii) अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा कारणों को पूरी तरह दर्ज किया जाना चाहिए, जो अनुचित उच्च दर रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ रक्षा करे। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (घ) डीजीएसएंडडी दर के विपरीत खरीद चलंत ठेका/ सरकारी विनिर्माता/ पीएस | मुअ = पूर्ण शक्ति | |
| 23. | विज्ञापन पर व्यय प्रदान करने की शक्ति<br>क) एनआईटी जारी के लिए | मप्र/मुअ = पूर्ण शक्ति<br>सचिव= रू.15000/- प्रत्येक मामला/ पेपर के लिए, केवल इमरजेन्सी= में अधी.अभि./का.अभि.=रू..5000/- प्रत्येक मामला/पेपर केवल इमरजेन्सी में | मप्र/मुअ = **पूर्ण शक्ति**<br>सचिव= **रू.50,000**/- प्रत्येक मामले/पेपर के लिए अधी. अभि./का.अभि=**रू.25,000**/- प्रत्येक मामले/पेपर के लिए |
| 24. | क) टूल्स और संयत्रों के मरम्मत और रखरखाव<br><br>ख) इलैक्ट्रिकल मदों सहित कार्यालयी उपकरणों, टंकण यंत्रों, फोटोकॉपियर, एयर कंडिशनर, केलकुलेटर, साइक्लोसस्टाटइल मशीन, जनेरेटरों, वायरलेस मशीन, फेक्सट मशीन, फर्नीख, फिटिंग, फर्नीशिंग के मरम्मत और रखरखाव<br>**नोट : कंम्यूटर और एयर कंडीशनर को नए रूप में जोड़ा गया है।** | अध्यक्ष/मप्र= पूर्ण शक्ति<br>मप्र = रू.15000/- मुअ=रू.10000/- अधी.अभि. = रू.5000/- वित्त के साथ परामर्श करके रू. 20,000/- तक सीमित (वार्षिक)<br><br>अध्यक्ष/मप्र= पूर्ण शक्ति<br>मुअ/सचिव = रू.5000/- प्रत्येक मामले में अधी.अभि. = रू.2000/- प्रत्येवक मामले में<br>(वित्त के साथ परामर्श करके) | **क ) और ख ) जैसा निम्निलिखित है**<br><br>अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मप्र = पूर्ण शक्ति<br>मुअ/सचिव **रू.50000**/-<br>(वित्त के साथ परामर्श करके) बजट प्रावधान के अनुसार प्रत्येक मामले में<br>अधी. अभि. = **रू.20000**/- बजट प्रावधान के अनुसार प्रत्येक मामले में<br>अधी.अभि. का. अभि. और उविस की समिति की सिफारिश के जरिए |
| 26. | कंप्यूटर, प्रिंटर, एयर कंडिशनर, फोटो कॉपियर, टाईपराईटर,, केलकुलेटिंग मशीन, डूप्लिकेटर, टेलेक्स मशीन, फेक्स मशीन आदि सहित कार्यालयी उपकरण<br>**नोट : कंम्यूटर, प्रिंटर, एयर कंडिशनर और फोटो कॉपियर को नए रूप में जोड़ा गया है।** | अध्यएक्ष/मप्र = पूर्ण शक्ति वित्तीय सलाहकार के परामर्श से<br>मुअ/सचिव = पूर्ण शक्ति नोमर्स के बशर्ते<br>अधी.अभि.= रू.500/- प्रत्येक मामले में नोमर्स के बशर्ते | अध्येक्ष/उपाध्यक्ष/मप्र = पूर्ण शक्ति, वित्तय के साथ परामर्श करके<br>मुअ/सचिव = **रू. 2 लाख** (वित्त के साथ परामर्श करके नोमर्स के बशर्ते<br>अधी.अभि. = **रू. 8,000**/- प्रत्येरक मामले में |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31. | चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों की बीमा | अध्यक्ष/मप्र = पूर्ण शक्ति वित्तीय सलाहकार के परामर्श से<br>मुअ = पूर्ण शक्ति<br>ट्रांजिट, स्टोरेज, इरेक्शन, संयंत्र और मशीनरी, वाहन आदि के संबंध में नीति के अनुसार | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मप्र = **पूर्ण शक्ति,** विस के साथ परामर्श करके<br>मुअ/सचिव=रू. **50000**/- (वित्त के साथ परामर्श करके)<br>अधी. अभि.=रू. **20000**/- उविस के साथ परामर्श करके<br>काअ= रू. **10000**/- (उविस के साथ परामर्श करके) |
| 32. | कार्यालयी और आवासीय टेलीफोन का प्रतिस्थापन की मंजूरी | अध्यक्ष = पूर्ण शक्ति | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मप्र = **पूर्ण शक्ति** |
| 36. | मनोरंजन/विविध व्यय पर मंजूरी प्रदान | अध्यक्ष= रू. 0.5 लाख प्रत्येक मामले में<br>मप्र/विस = रू.2000/- प्रत्येक मामला<br>मुअ/सचिव = रू.1000/- प्रत्योंकि मामला वार्षिक सेलिंग रू. 5000/-<br>अधी.अभि./उस= रू.100/- प्रत्येक मामला वार्षिक सेलिंग रू. 500/- | अध्य्क्ष/उपा = **रू.2 लाख** प्रत्योक मामले<br>मप्र/विस = **रू. 5,000**/- एक मामले पर<br>मुअ/सचिव.= **रू.3,000**/- वित्त के साथ परामर्श करके प्रत्योक मामले में वर्ष में अधिकतम **रू. 15000**/- तक<br>अधी.अभि./उचिस/उस =**रू. 300**/- प्रत्येक मामले में वर्ष में अधिकतम **रू.2000**/-तक |
| 39. | स्टेशनरी मुद्रण, बाइंडिंग और स्टेशनरी की खरीद<br><br>(i) रिपोर्ट / फर्म / निविदा / प्राक्कलनों/ रिटर्नों का मुद्रण | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मप्र/ विस=पूर्ण शक्ति<br><br>मुअ/सचिव. = रू.5000/- प्रत्येक मामले में<br>अधी.अभि./उस./उविस = रू.2500/- प्रत्येक मामले में | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/<br>मप्र/विस = **पूर्ण शक्ति**<br><br>मुअ/सचिव =**रू.10,000**<br>वित्त के साथ परामर्श करके<br>अधी.अभि./सचिव/उविस.= **रू.5,000**/- (उविस के साथ परामर्श करके) |
| | (ii) रबर स्टाम्प, मुहर आदि | अध्यक्ष/मप्र/विस= पूर्ण शक्ति | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सहित स्टेशनरी की खरीद | मुअ/सचिव= रू.1000/- प्रत्येक मामले में रू. 15000/- के सीमा तक वार्षिक<br><br>अधी. अभि./उविस/उस/का अभि =रू.750/- प्रत्येक मामले में रू. 10000/- के सीमा तक वार्षिक | मप्र/विस = **पूर्ण शक्ति** मुअ/ सचिव = **रू.. 5 लाख** (वित्त के साथ परामर्श करके)<br><br>अधी.अभि. = **रू.2 लाख** (उविस के साथ परामर्श करके) काअ = **रू. 50,000/-**(उविस के साथ परामर्श करके) |
| 40. | कार्यपालक अधिकारी के लिए अग्रदाय की स्वीकृति | मप्र= रू.5000/- वित्तीय सलाहकार के परामर्श से मुअ = रू.2000/- | मप्र = **रू.20000/-** (विस के साथ परामर्श करके मुअ/सचिव = **रू.5000/** उविस के साथ परामर्श करके अधी.अभि. = **रू. 5000/-** (उविस के साथ परामर्श करके |
| 41. | सामग्री का रासायनिक विश्लेषण /परीक्षण आदि के लिए अग्रिम भुगतान /डिमांड ड्राफट/मॉनी ऑर्डर सहित पीओएल, म्यूनिसिपल कर सहित खुदरा नकद आकस्मिक व्यय | अध्यक्ष=पूर्ण शक्ति वित्तीय सलाहकार के परामर्श से मप्र/विस=रू.5000/- प्रत्येक मामले में मुअ/सचिव=रू.1000/- प्रत्येक मामले में अधी.अभि./उप/उविस/ काअ = रू.500/- प्रत्येक मामले में | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ मप्र/विस = **पूर्ण शक्ति** वित्त सचिव / मुअभि = पूर्ण शक्ति वित्त के साथ परामर्श करके<br><br>अधी.अभि/काअ=**रू.2000/-** प्रत्येक मामले में |
| 52. | वाहन/स्टाफ कारों का हायरिंग | अध्यक्ष/मप्र = पूर्ण शक्ति मुअ/सचिव =रू. 5000/- मासिक आपातिक मामले में | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ मप्र/विस = **पूर्ण शक्ति** मुअ/ सचिव= **रू.20,000/-** तक प्रत्येक मामले में वित्त की सहमति के साथ अधी.अभि. = **रू. 5,000/-** तक उविस की स्वीकृति के साथ |

## स्थायी समिति की 57वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की चल रही गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा के बाद लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं-

i) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय-सीमा के अनुसार डीपीआर पूरे किए जाने है, यदि आवश्यक हुआ तो परामर्शी सेवाओं का उपयोग किया जाना है

ii) सार्वजनिक डोमेन में बोर्ड की उपलब्धियों को लाया जाए

iii) ब्रह्मपुत्र बोर्ड से सीडब्ल्यूपीआरएस, सीएसएमआरएस, एनआईएच और एनडब्ल्यूए के लिए अभियंताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक नियमित रोस्टर की तैयारी।

(ख) ब्रह्मपुत्र नदी के तटकटाव से माजुली द्वीप को बाढ़ व तटकटाव से प्रतिरक्षण दिलाने के लिए डोनर मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एसएफसी के प्रस्तारव के इंजीनियरिंग भाग को तैयार रखा जाना है

(ग) मंत्रालय के लिए बीइ 2016–17 और आरइ प्रस्ताव की स्थिति को नोट किया गया

(घ) निष्पादन के लिए प्राथमिकता दी गई स्कीमों की स्थिति

(ड़) मॉनीटरिंग के तहत एफएमपी स्कीमों की स्थिति

(च) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के संबंध में राष्ट्रपति सचिवालय का संदर्भ / वीआईपी संदर्भ / पीएमओ संदर्भ की स्थिति / ई–समीक्षा / सार्वजनिक शिकायतों के विषय की स्थिति

(छ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अदालती मामलों की स्थिति

****

## 6.3 वर्ष 2016-17 के दौरान अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा भाग लिए गए महत्वपूर्ण बैठकों/कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है-

| क्र.सं. | बैठक/कार्यक्रम | भाग लेनेवाले | |
|---|---|---|---|
| 1 | दिनांक 4 से 8 अप्रैल, 2016 को विज्ञान भवन और प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 'इंडियान वाटर वीक' | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| 2 | दिनांक 24.04.2016 को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, असम सरकार के साथ असम के बरपेटा जिले के अंतर्गत बहरी क्षेत्र का भ्रमण | | उपाध्यक्ष |
| 3 | दिनांक 19.05.2016 को सेवा भवन, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की टीएसी बैठक | | उपाध्यक्ष |
| 4 | दिनांक 10.06.2016 को माजुली द्वीप का भ्रमण | | उपाध्यक्ष |
| 5 | दिनांक 19.06;2016 को असम के माननीय मुख्यमंत्री के माजुली भ्रमण में सहभागिता | | उपाध्यक्ष |
| 6 | दिनांक 22.06;2016 को रेडिशन ब्लू होटल, एन.एच-37, गुवाहाटी में एप्लिकेशन ऑफ ज्यो-सिंथेटिक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थिति | | उपाध्यक्ष |
| 7 | दिनांक 27.06.2016 से 29.06.2016 तक तकनीकी सलाहकार समिति कि साथ माजुली द्वीप का भ्रमण | | उपाध्यक्ष |
| 8 | दिनांक 15.07.2016 को बालात क्षेत्र का भ्रमण | | उपाध्यक्ष |
| 9 | दिनांक 18.07.2016 को गुवाहाटी में आयोजित ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 56वीं स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति | | उपाध्यक्ष |
| 10 | दिनांक 19.07.2016 को गुवाहाटी में आयोजित ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 61वीं बैठक में अध्यक्षता | | उपाध्यक्ष |
| 11 | दिनांक 24 और 25 जुलाई 2016 को दिसपुर, गुवाहाटी में असम के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थिति | | उपाध्यक्ष |
| 12 | दिनांक 30 और 31 जुलाई 2016 को असम के माननीय मुख्यमंत्री के जल संसाधन विभाग, असम सरकार के 100 दिनों की कार्यसूची पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थिति | | उपाध्यक्ष |
| 13 | दिनांक 02.08.2016 को पश्चिम बंगाल सरकार की परियोजनाओं के लिए जलपाईगुरी मंडल, ब्रह्मपुत्र बोर्ड का भ्रमण | | उपाध्यक्ष |
| 14 | दिनांक 22.08.2016 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 61वीं (अस्थगित) बैठक में उपस्थिति | अध्यक्ष | |
| 15 | दिनांक 20.10.2016 को केंद्रीय जल आयोग के सम्मेलन सभागार, नई दिल्ली में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में 2016-17 की कार्य-योजना की प्रगति की समीक्षा एवं 2016-17 के लिए नई पहल पर आयोजित तिमाही बैठक में उपस्थिति | अध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| 16 | दिनांक 28.11.2016 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में उपस्थिति | अध्यक्ष | |
| 17 | दिनांक 16.01.2017 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव (पीपी) के कक्ष में आयोजित ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 56वीं स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति | अध्यक्ष | |
| 18 | दिनांक 24.01.2017 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली के कक्ष में सचिव और मुख्य अभिंयता-II , ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए आयोजित डीपीसी की बैठक में उपस्थिति | अध्यक्ष | |
| 19 | दिनांक 28 और 29 जनवरी 2017 को माजुली द्वीप का भ्रमण और क्रमश: स्थांनीय निवासियों के साथ बैठक | अध्यक्ष | |
| 20 | दिनांक 30.01.2017 को गुवाहाटी में आयोजित ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 62वीं बैठक में अध्यक्षता | अध्यक्ष | |
| 21 | दिनांक 06.02.2017 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली के कक्ष में 'रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र बोर्ड' के संबंध में आयोजित बैठक में उपस्थिति | अध्यक्ष | |
| 22 | दिनांक 21.02.2017 को केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और तटकटाव से माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण के लिए प्रस्ताव के संबंध में डोनर मंत्रालय द्वारा फंड समर्थन के मूल्यांकन पर आयोजित एसएफसी की बैठक में उपस्थिति | अध्यक्ष | |
| 23 | दिनांक 10.03.2017 को श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और तटकटाव से माजुली द्वीप के प्रतिरक्षण के लिए प्रस्ताव के संबंध में आयोजित दूसरी एसएफसी की बैठक में उपस्थिति | अध्यक्ष | |
| 24 | दिनांक 17.03;2017 को सीडब्ल्यू पीआरएस, नई दिल्ली के प्रेक्षागृह में 'सेडिमेंट मैनेजमेंट इन इंडियन वाटर' पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में उपस्थिति | अध्यक्ष | |

# अध्याय - VII

# नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा

## 7.1 लेखे का विवरण

वर्ष 2016-17 के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड की वार्षिक लेखे का विवरण इस अध्याय में पृ. सं. 44 से पृ सं. 71 तक टेबुलर फार्म में दिया गया है।

### 7.1.1 लेखापरीक्षा :

आभ्यांतरी लेखापरीक्षा और बाह्य लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों की स्थिति नीचे प्रस्तुत है-

### 31.03.2017 को आभ्यांतरी लेखापरीक्षा की निरीक्षण रिपोर्ट के बकाए पैराओं की स्थिति

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम | 01.04.2016 को बकाए पैरा | वर्ष 2016-17 के दौरान उठाए गए पैरा | वर्ष 2016-17 के दौरान निपटाए गए पैरा | 31.03.2017 को शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **गुवाहाटी परिमंडल** | 7 | - | 7 | 0 |
| 2 | गुवाहाटी मंडल | 9 | 10 | 14 | 5 |
| 3 | बराकघाटी मंडल | 52 | - | 14 | 38 |
| 4 | आगरतला मंडल | 6 | - | 5 | 1 |
| 5 | नगांव मंडल | 3 | - | - | 3 |
| 6 | संपर्क कार्यालय | 0 | - | - | 0 |
| 7 | **नर्थ गुवाहाटी परिमंडल** | 14 | - | 10 | 4 |
| 8 | नर्थ गुवाहाटी मंडल | 18 | 6 | 17 | 7 |
| 9 | **नलबारी परिमंडल** | 3 | - | 1 | 2 |
| 10 | नलबारी मंडल | 15 | 6 | 15 | 6 |
| 11 | जलपाईगुरी मंडल | 7 | - | 5 | 2 |
| 12 | **जोरहाट परिमंडल** | 11 | - | 2 | 9 |
| 13 | लखीमपुर मंडल | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 14 | माजुली मंडल | 12 | 11 | 14 | 9 |
| 15 | रोइंग मंडल | 25 | - | 17 | 8 |
| | **कुल** | **194** | **48** | **133** | **109** |

### 31.03.2017 को प्र.म.लेखाकार ( लेखापरीक्षा ) और लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक के बकाए पैराओं की स्थिति

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम | 01.04.2015 को बकाए पैरा | वर्ष 2015-16 के उठाए गए पैरा | वर्ष 2015-16 के दौरान निपटाए गए पैरा | 31.3.2016 को शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य कार्यालय | 36 | 9 | 13 | 32 |
| 2 | गुवाहाटी परिमंडल | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | गुवाहाटी मंडल | 12 | 7 | 9 | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | बराकघाटी मंडल | 41 | 12 | 2 | 51 |
| 5 | आगरतला मंडल | 10 | – | – | 10 |
| 6 | नर्थ गुवाहाटी परिमंडल | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 7 | नर्थ गुवाहाटी मंडल | 23 | – | – | 23 |
| 8 | नगांव मंडल | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | रोइंग मंडल | 23 | – | – | 23 |
| 10 | नलबारी परिमंडल | 0 | – | – | 0 |
| 11 | नलबारी मंडल<br>(और रंगिया मंडल) | 6<br>+<br>12 | 3<br>+<br>4 | 1<br>+<br>1 | 8<br>+<br>15 |
| 12 | जलपाईगुरी मंडल | 12 | 6 | –1 | 19 |
| 13 | जोरहाट परिमंडल | 4 | – | 2 | 2 |
| 14 | लखीमपुर मंडल | 12 | 6 | 7 | 11 |
| 15 | माजुली मंडल | 23 | 9 | 17 | 15 |
| 16 | संपर्क कार्यालय | 6 | – | – | 6 |
| | **कुल** | **234** | **72** | **61** | **245** |

**31.03.2017 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट ( सीपीएफ ) लेखे की निवेश व्यवस्था :**

सरकार की मार्गदर्शी सिद्धांतों पर अमल करते हुए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने अंशदायी भविष्य निधि की राशि में से 6.40 प्रतिशत केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में और 93.60 प्रतिशत सरकारी वित्तीय संस्थानों में/राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश किया है। 31 मार्च 2017 को समाप्ति वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट (सीपीएफ) की निवेश व्यवस्था निम्नलिखित है–

**निवेश व्यवस्था**

| **क्र.सं** | **बैंक/संस्थान का नाम** | **31.03.2017 तक निवेश की गई राशि ( रू. में )** | **निवेश का %** |
|---|---|---|---|
| 1 | आइडीबीआइ बैंक | 7,94,00,000.00 | 11.16 |
| 2 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 26,92,30,000.00 | 37.83 |
| 3 | सिंडिकेट बैंक | 19,41,59,000.00 | 27.29 |
| 4 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8,91,00,000.00 | 12.52 |
| 5 | ईलाहाबाद बैंक | 3,97,90,000.00 | 5.59 |
| 6 | नाबार्ड | 2,98,81,000.00 | 4.20 |
| 7 | सरकारी ऋण/ बांड | 1,00,000.00 | 1.41 |
| | **कुल रू.** | **71,15,99,000.00** | |

# भारत सरकार
# जल संसाधन, नदी विकास
# और गंगा संरक्षण मंत्रालय

# 2016-17
# के लिए वार्षिक लेखे

## ब्रह्मपुत्र बोर्ड
## बशिष्ठ, गुवाहाटी-29

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी-29

## ( भारत सरकार )

## 31मार्च 2017 को तुलन-पत्र

*(रुपए में राशि)*

| पूँजी निधि और देनदारियाँ | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **पूंजी निधि :** भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का निवल शेष | 1 | 4,1332,42,603.20 | 40459,76,871.41 |
| **रिजर्व और सरप्लस** | – | | |
| **उद्दिष्टि/एंडोमेंट निधि** | – | | |
| **सुरक्षित ऋण और बोरोइंग्स** | – | | |
| **असुरक्षित ऋण और बोरोइंग्स** | – | | |
| **डिफर्ड हुई चालू देनदारियां** | – | | |
| **चालू देनदारियां और प्रावधान** | 2 | 711,35,151.49 | 667,42,168.49 |
| **कुल** | | **42043,77,754.69** | **41127,19,039.90** |
| **परिसंपत्तियां** | | | |
| **स्थायी परिसंपत्तियां** | 3 | 35876,03,956.03 | 35152,29,200.93 |
| **उद्दिष्ट निधि से निवेश** | 4 | – | – |
| | – | | |
| **चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि** | 5 | 6167,73,798.66 | 5974,89,838.97 |
| **विविध व्यय** | – | – | – |
| **कुल** | | **42043,77,754.69** | **41127,19,039.90** |
| महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखे पर टिप्पणी | 13 | | |

30/5/17

( एन.एन.डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

(डॉ. एम अरीज अहमद), आईएएस
वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी
## ( भारत सरकार )
## 31मार्च, 2017 के लिए आय और व्यय लेखा

(रूपए में राशि)

| आय | अनुसूची | चालूवर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| बिक्री/सेवा से आय | – | – | – |
| अनुदान | 6 | – | – |
| शुल्क/चंदा | – | – | – |
| उद्दिष्ट निधि पर निवेश से आय | 7 | – | – |
| रायल्टी/प्रकाशन आदि से आय | – | | |
| अर्जित ब्याज | 8 | 107,06,125.19 | 137,55,373,69 |
| अर्जित, पर प्राप्त नहीं (उपार्जित) | 8(क) | 17,466.00 | 41,972.00 |
| अन्य आय | 9 | 35,14,169.00 | 51,28,338.00 |
| अंतिम रूप से बनी सामग्री के स्टॉक में वृद्धि/कमी | – | – | – |
| पूर्व-अवधि समायोजन | – | | |
| **कुल ( क )** | | **142,37,760.19** | **189,25,683.69** |
| **व्यय** | | | |
| स्थापना खर्चे | 10 | 4620,12,549.00 | 4702,82,052.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 11 | 538,14,328.16 | 537,65,368.19 |
| अनुदान/सब्सिडी आदि पर व्यय | – | | |
| ब्याज | – | | |
| कार्य पर व्यय | 12 | 805,53,355.00 | 1356,78,044.00 |
| मूल्यह्रास | 3 | 66,91,796.24 | 102,70,949.99 |
| पूर्व-अवधि समायोजन | | | |
| **कुल( ख )** | | **6030,72,028.40** | **6699,96,414.18** |
| आय पर हो रहा व्यय के अधिक्य का शेष(ख-क) | | **5888,34,268.21** | **6510,70,730.49** |
| स्पेशल रिजर्व में स्थानांतरित | | – | – |
| सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरित | | – | – |
| **तुलन-पत्र में लाया गया घाटा हो रहा शेष** | | **5888,34,268.21** | **6510,70,730.49** |
| सांकेतिक लेखाकरण नीतियाँ और लेखे पर टिप्पणियाँ | 13 | | |

30/5/17

( एन.एन.डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

(डॉ. एम अरीज अहमद), आईएएस
वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी

## 31मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां तथा अदायगियां लेखा

(रूपए राशि में)

| प्राप्तियां | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | अदायगियां | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. प्रारंभिक शेष** | | | **1. स्थापना खर्चे** | 4620,12,549.00 | 4702,82,052.00 |
| क) नकद | 30,246.62 | 45,126.62 | (अनुसूची - 10) | | |
| ख) चालू खाते पर बैंक में शेष | 877,61,623.80 | 471,41,215.11 | **2. प्रशासनिक खर्चे** | 532,19,958.00 | 537,40,639.00 |
| ग) अल्पावधि जमा | 2095,00,000.00 | 2900,00,000.00 | (अनुसूची - 11) | | |
| घ) कर्मचारियों के पास अग्रदाय | 10,95,971.00 | 8,84,343.00 | **3. विभिन्न कार्यों के विपरीत किया गया भुगतान :** | | |
| ङ) भार्गस्थ प्रेषण | - | 20,67,000.00 | क) ब.प्र.परियोजना के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण | 382,86,923.00 | 354,59,59.00 |
| | | | ख) मा.यो का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण | 25,30,382.00 | 44,82,765.00 |
| **2. भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान** | 6761,00,000.00 | 781,500,000.00 | ग) विशिष्ट जलनिकास स्कीम का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण | 8,262.00 | 13,033.00 |
| | | | घ) लघु सूक्ष्म जलीय परि. का अन्वेषण | 58,54,098.00 | 60,43,131.00 |
| | | | ङ) निहारी का प्रचालन एवं रखरखाव | 196,10,445.00 | 225,24,925.00 |
| **3. प्राप्त ब्याज** | | | च) आपातिक बाढ़ प्रबंधन कार्य (रेज्ड प्लेटफार्म का निर्माण) | - | 7,68,167.00 |
| क) बैंक में जमा पर | 107,48,097.19 | 138,65,167.69 | छ) बालात गांव का तटकटावरोधी स्कीम | - | 465,78,258.00 |
| ख) कर्मचारियों को भुगतान किया गया ऋण और अग्रिम | 26,67,564.00 | 37,36,798.00 | ज) कालाईर अल्गा और मसलाबारी का तटकटावरोधी स्कीम | 142,63,245.00 | 197,86,469.00 |
| | | | झ) गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यांकन अध्ययन | | - |
| **4. अदा की जाने वाली अन्य प्राप्तियां** | | | **4. स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद :** | | |
| क) बकाया धन प्रतिभूति जमा आदि | 77,55,796.00 | 362,54,730.50 | क) कार्यालय, ड्रिलिंग और सर्वेक्षण उपस्कर | 3,47,345.00 | 3,00,796.00 |
| ख) विविध मासिक वसूलियां | 1358,53,242.00 | 1133,73,957.00 | ख) फर्नीचर और फिक्सर | - | 8,703.00 |
| ग) ठेकेदारों से वसूली | | | ग) कम्प्यूटर / पेरिफरल्स | 2,40,553.00 | 2,59,958.00 |
| i) भूमि की क्षतिपूर्ति | | - | घ) अन्य विविध परिसंपत्तियां | 8,250.00 | 6,499.00 |
| ii) लेबर चेस | 3,77,171.00 | 18,60,914.00 | ङ) जल आपूर्ति प्रणाली | 13,145.00 | - |
| | | | **5. पूंजीगत कार्य प्रगति पर के विपरीत भुगतान :** | | |
| **5. अन्य फुटकर प्राप्तियां** | 8,58,661.00 | 11,02,790.00 | क) हारांग जलनिकास विकास स्कीम का निर्माण | - | - |
| | | | ख) जलनिकास विकास स्कीम का निष्पादन | 35,59,179.00 | 16,56,488.00 |
| **6. कर्मचारियों को अग्रिम की वसूली/समायोजन :** | 65,80,217.00 | 98,57,139.00 | ग) अमजूर जलनिकास विकास स्कीम | 107,05,750.00 | 118,14,619.00 |
| | | | घ) धोला-हातीघुली पर ब्रह्मपुत्र का अपदारन | 96,66,614.00 | 384,79,818.00 |
| **7. अग्रिम/जमा की वसूली/समायोजन :** | | | ङ) बरभाग जलनिकास विकास स्कीम | 46,55,255.00 | 144,96,735.00 |
| क) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम | 85,034.00 | - | च) अन्य सरकारी निकायों के पास अग्रिम/जमा (बरभाग जनिविस्कीम) | - | - |
| ख) ठेकेदार को अग्रिम | | 2,29,310.00 | छ) माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण | 498,77,077.50 | 1147,11,071.00 |
| ग) अन्य सरकारी निकायों के पास जमा | 41,48,595.00 | 2,81,000.00 | ज) अन्य सरकारी निकायों के पास अग्रिम/जमा (माजुली) | - | 14,000.00 |
| घ) विशेष अध्ययानों के लिए अग्रिम | - | - | झ) निहारी फैज-II का निर्माण | - | - |

| प्राप्तियाँ | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | अदायगियाँ | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| **8. अन्य प्राप्तियां/आय क्र. सं 2 से 7 तक अंतर्भुक्त नहीं किया गया आय :** | | – | **6. स्टॉक और भण्डार** | | |
| | | | **7. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान** | 2,80,363.00 | – |
| क) अवधि-पूर्व का समायोजन | – | – | **8. ठेकेदार को अग्रिम भुगतान** | – | 2,29,310.00 |
| ख) स्टॉक और भंडार वसूली | – | – | **9. अन्य सरकारी निकायों के पास जमा** | 388,09,522.95 | 96,980.00 |
| ग) सेवा कर | 42,245.00 | 42,245.00 | **10. कर्मचारियों को अदा की गई अग्रिम** | 51,81,114.00 | 80,61,419.00 |
| घ) जमा कार्य के विपरीत प्राप्त निधि | | | **11. निम्नलिखित विमुक्त/प्रेषित धनराशि** | | |
| i) प्रयोगशाला परीक्षण प्रभार : | – | 3,08,750.00 | क) बयाना, प्रतिभूति जमा आदि | 159,81,703.00 | 314,27,845.00 |
| ङ) छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान | 6,000.00 | – | ख) विविध मासिक वसूलियां | 1358,63,114.00 | 1135,88,395.00 |
| च) कर्मचारियों पर व्यय के विपरीत प्राप्त राशि | | | ग) सेवा कर | – | 42,245.00 |
| | | | घ) लेबर चेस के लिए वसूली | 3,77,174.00 | 18,60,914.00 |
| **9. उद्दिष्ट निधि से निवेश** | | | | | |
| क) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान के लिए जमा) | | | **12. जमा कार्य के विपरीत भुगतान :** | | |
| i) निवेश की भूनाई | – | – | (अनुसूची 12-(ख) के अनुसार | – | 21,757.00 |
| ii) भुनाने पर प्राप्त ब्याज | – | – | | | |
| | | | **13. संड्रे क्रेडिटर्स को भुगतान :** | – | – |
| **10. अन्य निकायों के पास अग्रिम/जमा** | | | | | |
| क) माजुली का प्रतिरक्षण | – | 350.00 | **14. ज.सं. मं. को वापस** | – | – |
| ख) धोला-हातीघुली का अपदारन | 5,570.00 | – | वाटरशेड प्रबंधन पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के विपरीत अनुदान | – | – |
| ग) बरभाग ज.नि.वि.स्कीम | – | – | | | |
| | | | | | |
| **11. ठेकेदारों को भुगतान** | | 147,94,967.00 | **15. ठेकेदार को भुगतान योग्य राशि की विमुक्ति** | 2,00,148.00 | 224,13,209.00 |
| **12.** स्टॉक और भंडार वसूली | 42,179.00 | | **16. अंत: शेष** | | |
| **13.** मुआवजे के लिए ठेकेदारों को देय | 127,86,668.00 | | क) नकद | 32,558,62.00 | 30,246,62.00 |
| | | | ख) चालू खाते पर बैंक में शेष | 2336,30,781.64 | 877,61,623.80 |
| | | | ग) अल्पावधि जमा | 500,00,000.00 | 2095,00,000.00 |
| | | | घ) कर्मचारियों के पास अग्रदाय | 12,29,371.00 | 8,84,193.00 |
| | | | घ) मार्गस्थ प्रेषण | – | – |
| **कु ल** | **11,564,44,880.61** | **13173,45,802.92** | **कुल** | **11,564,44,880.61** | **13173,45,802.92** |

30/5/17

( एन.एन.डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

(डॉ. एम अजीज अहमद), आईएएस
वित्तीय सलाहकार

अनुसूची- 1

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी

## ( भारत सरकार )

## 31 मार्च 2017 को तुलन-पत्र के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रूपए में राशि)

| पूंजी निधि<br>( भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ) | | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में शेष | | | 40459,76,871.41 | 39155,47,601.90 |
| **वर्ष के आरंभ में निवल शेष** | | | 40459,76,871.41 | 39155,47,601.90 |
| **जोड़ें : वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान** | | | | |
| **क्र.सं. स्वीकृति आदेश सं. और तिथि** | **ड्राफ्ट सं. और तिथि** | **राशि** | | |
| i) फा.. सं.. बी-4/2016/बी एवं बी/1137-38 दिनांक. 08.06.2016 | आरटीजीएस द्वारा | 1333,00,000.00 | | |
| ii) फा. सं. बी-4/2016/बी एवं बी/1390-91 दिनांक 03.08.2016 | आरटीजीएस द्वारा | 4365,68,000.00 | | |
| iii) फा.सं.. 4/1/2016-बज./328-329 दिनांक 15.03.2017 | आरटीजीएस द्वारा | 1062,32,000.00 | | |
| | | | 6761,00,000.00 | 7815,00,000.00 |
| **कुल** | | | **47220,76,871.41** | **46970,47,601.90** |
| **घटाएं** i) आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित आय के ऊपर व्यय का आधिक्य | | | 5888,34,268.21 | 6510,70,730.49 |
| **वर्ष की समाप्ति पर शेष** | | | **41332,42,603.20** | **40459,76,871.41** |

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17

( एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

अनुसूची-2

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी

## भारत सरकार

## 31 मार्च, 2017 को तुलन-पत्र के उत्पन्न की अनुसूची

*(रूपए में राशि)*

| चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| A. चालू देनदारियाँ | | |
| 1 **संड्रे क्रेडिटर्स** | 33,788.31 | 33,788.31 |
| 2 **अन्य चालू देनदारियाँ** | | |
| भुगतान-योग्य अमानती धन, प्रतिभूति जमा आदि | 546,33,457.44 | 628,59,364.44 |
| भुगतान-योग्य मासिक विविध वसूली | 7,25,971.74 | 7,35,843.74 |
| भूमि क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदारों से वसूली | 29,13,011.00 | 31,13,159.00 |
| ठेकेदारों से लेबर चेस के लिए वसूली | – | 3.00 |
| भुगतान-योग्य सेवा कर | 42,255.00 | 10.00 |
| भुगतान-योग्य ठेकेदारों से कटौती (माजुली के कार्य) | 127,36,668.00 | – |
| **कुल ( क )** | **711,35,151.49** | **667,42,168.49** |
| ख. प्रावधान | – | – |
| **कुल ( ख )** | – | – |
| **कुल ( क+ख )** | **711,35,151.49** | **667,42,168.49** |

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17
( एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
## ( भारत सरकार )

अनुसूची-3

## 31 मार्च, 2017 की तुलन-पत्र के स्थायी परिसंपत्तियों के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रूपए में राशि)

| | | सकल ब्लॉक | | | | मूल्य ह्रास | | | निवल ब्लॉक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र सं. | विवरण | 1.4.16 की मूल्य | वर्ष के दौरान संयोजन | वर्ष के दौरान स्थानांतर/ कटौतियां | 31.3.17 को मूल्य | 1.4.2016 को | वर्ष के दौरान | स्थानांतर/ समायोजन | 31.3.2017 को कुल | 31.3.17 को | 31.3.2016 को |
| **क.** | **स्थायी परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | |
| 1 | भूमि | 169,68,092.32 | – | – | 169,68,092.32 | – | – | – | – | 169,68,092.32 | 169,68,092.32 |
| 2 | संयत्र, मशीनरी व उपस्कर | 342,97,018.09 | – | – | 342,97,018.09 | 334,17,224.29 | 5,86,827.36 | – | 340,05,051.65 | 2,92,966.44 | 8,79,793.80 |
| 3 | कार्यालय, ड्रिलिंग एवं सर्वेक्षण उपस्कर | 399,87,811.69 | 3,47,345.00 | – | 403,35,156.69 | 389,05,586.16 | 6,97,921.06 | (13,650.00) | 395,89,856.46 | 7,45,300.23 | 10,82,225.53 |
| 4 | फर्नीचर व फिक्चर | 189,51,235.75 | – | – | 189,51,235.75 | 93,87,227.76 | 11,48,418.56 | – | 105,35,646.32 | 84,15,589.43 | 95,64,007.99 |
| 5 | भवन | 826,83,974.64 | – | – | 826,83,974.64 | 275,34,380.14 | 12,88,892.67 | – | 288,23,272.81 | 538,60,701.83 | 551,49,594.50 |
| 6 | सड़क, पुल और पुलिया | 106,92,153.36 | – | | 106,92,153.36 | 51,42,663.69 | – | – | 52,75,683.34 | 54,16,470.02 | 55,49,489.67 |
| 7 | वाहन | 185,86,901.35 | – | – | 185,86,901.35 | 185,86,901.35 | – | – | 185,86,901.35 | – | – |
| 8 | अन्य विविध परिसंपत्तियां | 287,40,322.34 | 8,250.00 | – | 287,48,572.00 | 286,72,957.13 | 10,947.10 | – | 286,83,904.23 | 64,668.11 | 67,365.21 |
| 9 | कम्प्यूटर पैरिफैरल्स | 139,46,712.00 | 2,40,553.00 | (12,100.00) | 141,75,165.00 | 90,00,103.70 | 22,65,778.06 | (1,109.04) | 112,64,772.72 | 29,10,392.28 | 49,35,555.46 |
| 10 | ट्यूबवेल और जल आपूर्ति | 65,721.00 | 13,145.00 | – | 78,866.00 | 10,750.80 | 1,160.54 | – | 11,911.34 | 66,954.66 | 66,954.66 |
| **कुल चालू वर्ष** | | 2649,19,942.54 | 6,09,293.00 | (12,100.00) | 2655,17,135.54 | 1706,57,795.02 | 61,32,965.00 | (14,759.80) | 1767,76,000.82 | 887,41,135.32 | 942,51,064.68 |
| **कुल पिछला वर्ष** | | 2643,88,715.23 | 5,75,956.00 | (44,728.69) | 2649,19,942.54 | 1611,31,386.94 | 61,74,713.01 | (33,62,747.91) | 1706,68,847.86 | 942,51,094.68 | 3011,73,875.37 |
| **ख.** | **पूँजीगत-कार्य प्रगति पर** | | | | | | | | | | |
| 1 | हरांग जलनिकास विकास स्कीम का निर्माण अनुसूची-3(क) | 3022,08,678.34 | – | – | 302,208,678.34 | 10,34,802.97 | 8,451.56 | - | 10,43,254.53 | 3011,65,423.81 | 3011.73.875.37 |
| 2 | पागलादिया बांध परियोजना का निर्माण (अनुसूची-3(ख) | 2563,77,884.91 | – | – | 2563,77,884.91 | 109,38,103.81 | 5,42,073.35 | - | 14,80,177.16 | 2448,97,707.75 | 2454,39,781.10 |

| क्र सं. | विवरण | 1.4.16 की मूल्य | वर्ष के दौरान संयोजन | वर्ष के दौरान स्थानांतर/ कटौतियां | 31.3.17 को मूल्य | 1.4.2016 को | वर्ष के दौरान | स्थानांतर/ समायोजन | 31.3.2017 को कुल | 31.3.17 को | 31.3.2016 को |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | अमजूर जल निकास विकास स्कीम | 1537,71,444.00 | 107,05,750.00 | - | 1644,77,194.00 | - | - | - | - | 1644,77,194.00 | 1537,71,440.00 |
| 3.1 | अन्य सरकारी निकायों के पास अग्रिम/जमा | 10,14,000.00 | - | | 10,14,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | घोला हातीघुली में ब्रह्मपुत्र का अपदान | 7771,45,232.00 | 96,66,614.00 | - | 7868,11,846.00 | - | - | - | - | 7868,11,846.00 | 7771,45,232.00 |
| 4.1 | अन्य सरकारी निकायों के पास अग्रिम/जमा | 2,27,600.00 | - | (5,570.00) | 2,22.030.00 | - | - | - | - | 2,22.020.00 | 2,27,600.00 |
| 5 | माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण | 17843,49,850.20 | 498,77,077.50 | - | 18342,26,927.70 | 33,776.42 | 23,066.13 | - | 56,842.55 | 18341,70,035.15 | 17843,16,073.78 |
| 5.1 | अन्य सरकारी निकायों के पास अग्रिम/जमा | 35,93,000.00 | - | - | 35,93,000.00 | - | - | - | - | 35,93,000.00 | 35,93,000.00 |
| 6 | बरभाग जलनिकास विकास स्कीम | 803,78,277.00 | 46,55,255.00 | - | 850,33,532.00 | - | - | - | - | 850,33,532.00 | 803,78,277.00 |
| 6.1 | अन्य सरकारी निकायों के पास अग्रिम/जमा | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | जलनिकास विकास स्कीम का निष्पादन | 374,59,957.00 | 35,59,179.00 | - | 410,19,136.00 | - | - | - | - | 410,19,136.00 | 374,59,957.00 |
| 8 | निहारी चरण-।। का निर्माण | 97,87,668.00 | - | - | 97,87,668.00 | - | - | - | - | 97,87,668.00 | 97,87,668.00 |
| **कुल चालू वर्ष** | | 34063,13,591.45 | 784,63,875.50 | (5,570.00) | 34847,71,896.95 | 120,06,683.20 | 5,73,591.04 | - | 125,80,274.24 | 34721,91,622.70 | 33943,06,908.25 |
| **कुल पिछला वर्ष** | | 32251,41,210.45 | 1811,72,731.00 | 350.00 | 34063,13,591.45 | 12,73,194.13 | 5,95,710.17 | 1,37,778.90 | 120,06,683.20 | 33943,06,908.25 | |
| **ग.** | **विविध पूंजीगत परियोजना** | | | | | | | | | | |
| 1 | **ईस्ट ऑफ बरपेटा** | 266,71,198.00 | - | - | 266,71,198.00 | - | - | - | - | 266,71,198.00 | 266,71,198.00 |
| | **सर्वमुठ( क+ख+ग )** | | | | | | | | | | |
| | **चालू वर्ष** | 36979,04,731.99 | 790,73,168.50 | (17,670.00) | 37769,60,230.49 | 1826,64,478.22 | 67,06,556.04 | 14,759.80 | 1893,56,274.46 | 35876,03,956.03 | 35152,29,200.93 |
| | **पिछला वर्ष** | 35,16,201,123.68 | 1817,48,687.00 | (450,78.69) | 36979,04,731.99 | 1724,04,581.07 | 67,70,423.18 | 35,00,526.81 | 1826,75,531.06 | 35152,29,200.93 | |

**नोट**

क) स्थानांतर / समायोजन के अधीन रु. 13,650.76 की मूल्यह्रास के साईज में प्रदर्शित राशि जर्नल वाउचर संख्या रु. 26 दिनांक 31.03.2017 का वर्ष 2015-16 के दौरान अतिरिक्त प्रभारित मूल्यह्रास का संशोधन है, जैसा तुलन-पत्र - स्थायी परिसंपत्तियां (अनुसूची-3) शीर्ष के अधीन रिन्यु सं- ए के रूप में 2015-16 के एस ए आर में प्रेक्षित था।

ख) क्रम. सं.-9 के विपरीत मूल्यह्रास के प्रारंभिक सकल मूल्य रु. 11,052.84 रु. 90,11,156.59 - रु. 9645.33 - रु. 1,407.51) का अंतर परिसंपत्तियों (मॉनीटर + यूपीएस) पर संचित मूल्यह्रास के बट्टे खाते में डालने से हुआ, जिसे गुवाहाटी परिमंडल द्वारा बाइ-बैक प्रणाली के अधीन दिनांक 03.08.2016 और 03.02.2017 को खरीदा था।

ग) परिसंपत्तियों के मूल्य को बट्टे खाते में डालने के लिए स्थानांतर / समायोजन कॉलम के अधीन प्रदर्शित बाइ-बैक प्रणाली के तहत खरीदी गई परिसंपत्ति का अंकित मूल्य रु. 12,100/- (10,000 + 2,100) है।

घ) क्र. सं.- 9 के विपरीत स्थानांतर / समायोजन के अधीन मूल्यह्रास के साईड में प्रदर्शित रु. 1,109.04 की राशि परिसंपत्तियों के प्रारंभिक सकल ब्लॉक पर अतिरिक्त प्रमारित मूल्यह्रास है जिसे बाइ-बैक प्रणाली के अधीन 2016-17 के दौरान खरीदी गई थी।

(ए.बरूवा)
लेखा अधिकारी

(एन.एन.डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

अनुसूची-3 ( क )

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी

## ( भारत सरकार )

## 31 मार्च, 2017 की स्थायी परिसंपत्तियों के तुलन-पत्र के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रूपए में राशि)

**( पूंजीगत कार्य प्रगति पर )**

| क्रम सं. | मद | 1.4.16 को | वर्ष के दौरान संयोजन | वर्ष के दौरान स्थानांतर/कटौती | 31.03.2017 को को सकल ब्लॉक | 1.04.2016 को | मूल्यह्रास | | | निवल ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | बर्ष के दौरान | स्थानांतरण/समायोजन | 31.03.2017 को | 31.03.2017 को | 31.03.2016 को |
| | **हरांग जलनिकास विकास स्कीम का निर्माण** | | | | | | | | | | |
| (I) | ए- प्रारंभिक | 53,30,044.00 | - | - | 53,30,044.00 | - | - | - | - | 5,330,044.00 | 5,330,044.00 |
| | त- विविध | 76,13,700.50 | - | - | 76,13,700.50 | - | - | - | - | 7,613,700.50 | 7,613,700.50 |
| | सामान्य टी एवं पी | 2,06,650.00 | - | - | 2,06,650.00 | - | - | - | - | 206,650.00 | 206,650.00 |
| | पी- अनुरक्षण | 10,07,639.50 | - | - | 10,07,639.50 | - | - | - | - | 1,007,639.50 | 1,007,639.50 |
| | बी- भूमि | 416,60,924.55 | - | - | 416,60,924.55 | - | - | - | - | 41,660,924.55 | 41,660,924.55 |
| | आर- संचार | 79,29,452.00 | - | - | 79,29,452.00 | - | - | - | - | 7,929,452.00 | 7,929,452.00 |
| | सी- कार्य | 2166,30,467.40 | - | - | 2166,30,467.40 | - | - | - | - | 216,630,467.40 | 2166,30,467.40 |
| | फर्नीचर | 1,33,516.00 | - | - | 1,33,516.00 | 86,484.97 | 8,451.56 | - | 94,936.53 | 38,579.47 | 47,031.03 |
| | वाहन | 8,96,729.00 | - | - | 8,96,729.00 | 8,96,729.00 | - | - | 8,96,729.00 | - | - |
| | अन्य स्थापना खर्चे | 191,37,789.25 | - | - | 191,37,789.25 | - | - | - | - | 19,137,789.25 | 19,137,789.25 |
| | का.प्र. वेतन | 6,52,725.00 | - | - | 6,52,725.00 | - | - | - | - | 652,725.00 | 652,725.00 |
| | स्टोर एंड स्टॉक उचंत | 26,199.50 | - | - | 26,199.50 | - | - | - | - | 26,199.50 | 26,199.50 |
| | कार्यालय उपस्कर | 51,589.00 | - | - | 51,589.00 | 51,589.00 | - | - | 51,589.00 | - | - |
| (II) | अन्य सरकारी निकायों के पास अग्रिम जमा | 9,31,252.64 | - | - | 9,31,252.64 | - | - | - | - | 931,252.64 | 931,252.64 |
| | **कुल** | **3022,08,678.34** | **-** | **-** | **3022,08,678.34** | **10,34,802.97** | **8,451.56** | **-** | **10,43,254.53** | **3011,65,423.81** | **3011,73,875.37** |

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17

(एन.एन.डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
## भारत सरकार

अनुसूची-3( ख )

## 31 मार्च, 2017 को तुलन-पत्र के स्थायी परिसंपत्तियों के उत्पन्न भाग की अनुसूची

( पूजी कार्यप्रगति पर )

*( रूपए में ऑकड़े)*

| क्रम सं | मद | 1.4.15 को | वर्ष के दौरान संयोजन | वर्ष के दौरान स्थानांतर/कटौती | 31.03.2017 को को सकल ब्लॉक | मूल्यह्रास 1.04.2016 को | के दौरान | स्थानांतरण/समायोजन | 31.03.2017 | निवल ब्लॉक 31.03.2017 | 31.03.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ठंराग जल निकास स्कीम का निर्माण** | | | | | | | | | | | |
| (I) | क-प्रारंभिक | 10,534,416.95 | – | | 105,34,416.95 | – | – | – | – | 10,534,416.95 | 10,534,416.95 |
| | ख.भूमि | 14,684,684.43 | | | 146,84,684.43 | – | – | – | – | 14,684,684.43 | 14,684,684.43 |
| | के.भवन | 27,015,977.78 | | | 270,15,977.78 | 25,00,059.19 | 2,08,004.41 | | 27,08,063.60 | 243,07,814.18 | 24,515,918.59 |
| | ओ.विविध | 28,992,205.81 | | | 289,92,205.81 | – | – | – | – | 28,992,205.81 | 28,992,205.81 |
| | पी-रखरखाव | 1,270,227.30 | | | 12,70,227.30 | – | – | – | – | 1,270,227.30 | 1,270,227.30 |
| | क्यू-सामान्यटी एवंपी/ विशेष टी एवं पी | – | – | – | – | – | – | – | – | | |
| | | 1,705,636.00 | | | 17,05,636.00 | – | – | – | – | 1,705,636.00 | 1,705,636.00 |
| | आर-संचार | 50,668,113.31 | | | 506,68,113.31 | – | – | – | – | 50,668,113.31 | 50,668,113.31 |
| | कार्यप्रभारितवेतन | 16,591,469.12 | | | 165,91,469.12 | – | – | – | – | 16,591,469.12 | 16,591,469.12 |
| | कार्यालयीन उपकरण | 1,979,214.00 | | | 19,79,214.00 | 18,66,045.33 | 1,13,168.67 | – | 19,79,214.00 | – | 1,13,168.670 |
| | फर्नीचर औरफिक्चर | 2,170,479.00 | | | 21,70,479.00 | 12,11,404.73 | 1,37,391.32 | – | 13,48,796.05 | 8,21,682.95 | 9,59,074.27 |
| | अन्य स्थापना खर्चे | 76,354,978.35 | | | 763,54,978.35 | – | | – | – | 763,54,978.35 | 763,54,978.35 |
| | मशीनरी एवं उपकरण | 1,621,533.00 | | | 16,21,533.00 | 12,17,850.56 | 83,508.95 | – | 13,01,359.51 | 3,20,173.49 | 4,03,682.44 |
| | सी-कार्य | 11,774,150.86 | | | 117,74,150.86 | – | | – | – | 117,74,150.86 | 117,74,150.86 |
| | वाहन | 4,142,744.00 | | | 41,42,744.00 | 41,42,744.00 | – | – | 41,42,744.00 | – | – |
| | स्टोर एवं स्टॉक उचंत | 54,05,714.06 | | | 54,05,714.06 | – | – | – | – | 54,05,714.06 | 5405,714.06 |
| | एम-रोपण | 36,280.00 | | | 36,280.00 | – | – | – | – | 36,280.00 | 36,280.00 |
| (II) | **अन्य सरकारी निकायों के पास जमा अग्रिम** | 1,430,060.94 | – | | 14,30,060.94 | – | – | – | – | 1,430,060.94 | 1,430,060.94 |
| | **कुल** | 2563,77,884.91 | – | – | 2563,77,884.91 | 109,38,103.81 | 5,42,073.35 | – | 114,80177,16 | 2448,97,707.75 | 2454,39,781.10 |

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17

(एन.एन.डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी
## भारत सरकार

## 31 मार्च, 2017 वर्ष को तुलन पत्र के स्थायी परिसम्पत्तियों के उत्पन्न भाग की अनुसूची

*(रूपए में राशि)*

| **उद्दिष्ट निधियों से निवेश** (छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान आदि के लिए जमा) | **चालू वर्ष** | **पिछले वर्ष** |
|---|---|---|
| 1 अनुसूचित बैंक के साथ अल्पम्यादी जमा में | – | – |
| **कुल** | | |

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

(एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

अनुसूची-5

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी

## ( भारत सरकार)

## 31 मार्च 2017 को तुलन-पत्र के उत्पन्न भाग की अनुसूची

*( रुपए में राशि)*

| चालू परिसंपत्तियाँ और अग्रिम आदि | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **क** | **चालू परिसम्पत्तियॉ** | | |
| 1 | स्टॉक एवं भण्डारण | 18,99,422.23 | 25,52,980.23 |
| 2 | संड्रे डेब्टर्स | | |
| | एन.एच.पी.सी.लि. से प्राप्ति योग्य( सुबनसिरी परि. के स्थानांतरण के विपरीत) | 2309,34,824.00 | 2309,34,824.00 |
| | निपको लि से प्राप्ति योग्य( तिपाइपुख परि. के स्थानांतरण के विपरीत) | 458,88,545.12 | 458,88,545.12 |
| | लैबर चेस के विपरीत प्राप्ति योग्य | – | – |
| | सेवा कर के विपरीत प्राप्ति योग्य | | |
| 3 | हाथ में नकद शेष | 32,558.62 | 30,246.62 |
| 4 | चालू खाते पर अनुसूचित बैंक के साथ बैंक-शेष | 2336,30,781.64 | 877,61,623.80 |
| 5 | अल्पम्यादी जमा पर अनुसूची बैंक के साथ बैंक-शेष | 500,00,000.00 | 2095,00,000.00 |
| 6 | कर्मचारियों के पास अग्रदाय | 1,61,388.83 | 27,988,83.00 |
| 7 | मार्गस्थ प्रेषण | – | – |
| | **(क ) का कुल** | 5625,47,520.44 | 5766,96,208.60 |
| **ख** | **ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियॉ** | | |
| 1 | कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम( एच बीए, वाहन अग्रिम आदि) | 22,80,707.92 | 36,79,810.92 |
| 2 | नकद या सामग्री के रूप में अथवा मूल्य प्राप्त किया जानेवाला वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियॉ | | |
| | ठेकेदारों को अग्रिम | 14,70,031.20 | 14,70,031.20 |
| | आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम | 3,82,467.25 | 1,87,138.25 |
| | अन्य सररकारी निकायों के पास जमा | 500,75,605.85 | 154,14,678.00 |
| 3 | **प्रोद्भूत आय** | | |
| | उद्दिष्ट निधि से निवेश पर( छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान के लिए जमा) | | |
| | अन्यों के निवेश पर( अनुसूचित बैंक के साथ अल्पम्यादी जमा) | 17,466.00 | 41,972.00 |
| | **कुल ( ख )** | **542,26,278.22** | **207,93,630.37** |
| | **कुल (क+ख)** | **6167,73,798.66** | **5974,89,839.97** |

(ए.बरूवा)
लेखा अधिकारी

(एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

अनुसूची-6

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
## भारत सरकार

## 31 मार्च, 2017 वर्ष को समाप्ति के लिए आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

*रूपए में राशि)*

| अन्य प्राप्तियाँ | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|
| 1 केंद्रीय सरकार<br>क) | - | - |
| ख) | - | - |
| कुल | | - - |

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17
(एन. एन. डका)
उप वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
## भारत सरकार

## 31 मार्च, 2017 वर्ष को समाप्ति के लिए आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

*(रूपए में राशि)*

| | उद्दिष्ट निधियों पर निवेश से आय<br>( छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान आदि के लिए जमा ) | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित बैंक के साथ अल्पम्यादी जमा पर ब्याज | - | - |
| | कुल | - | - |

(ए.बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17
(एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

अनुसूची-8

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
## भारत सरकार

## 31 मार्च, 2017 वर्ष को समाप्ति के लिए आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

*(रूपए में राशि)*

| | उपार्जित ब्याज | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित बैंक के साथ अल्पम्यादी जमा पर<br>( क ) उपार्जित ब्याज और बैंक से प्राप्त | 107,06,125.19 | 137,55,373.69 |
| | कुल | 107,06,125.19 | 137,55,373.69 |

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17
(एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

अनुसूची-8( क )

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
## भारत सरकार

## 31 मार्च 2017 वर्ष को समाप्ति के लिए आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रुपए में राशि)

| | उपार्जित आय | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पम्यादी जमा :<br>क) ब्याज उपार्जित पर प्राप्त नहीं हुआ (प्रोद्भूत) | 17,446.00 | 41,972.00 |
| | **कुल** | 17,446.00 | 41,972.00 |

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17
(एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

अनुसूची-9

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
## भारत सरकार

## 31 मार्च 2017 वर्ष की समाप्ति के लिए आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

(रुपए में राशि)

| | अन्य आय | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | **विविध आय :** | | |
| | क) ठेकेदार से छूट | – | – |
| | ख) ठेकेदार से पैनल्टी | 1.82,657.00 | 1,81,559.00 |
| | ग) पुराने अखबारों/बिटुमन आदि की बिक्री | 5,145.00 | 6,744.00 |
| | घ) टी एवं पी सामग्रियों की निलामी | 1,32,394.00 | – |
| | ङ) अतिथि गृह की प्राप्तियॉं | 1,64,957.00 | 2,90,693.00 |
| | च) लाइसेंस शुल्क | 1,68,824.00 | 1,23,787.00 |
| | छ) विद्युत प्रभार की वसूली | – | 3,25,238.00 |
| | ज) जल प्रभार की वसूली | – | 3,568.00 |
| | झ) स्टाफ बस के भाड़े की वसूली | 39,140.00 | 51,110.00 |
| | ञ) निविदा शुल्क | 1,11,580.00 | 84,210.00 |
| | ट) कर्मचारियों से पैनल्टी | 19,938.00 | 520.00 |
| | ठ) आर टी आई के विपरीत जमा राशि | 20.00 | 152.00 |
| | ड) बैंक से प्राप्त ब्याज | – | – |
| | ढ) बी एस एन एल से प्राप्त किराया | 11,700.00 | – |
| | ण) बयाना धन की जब्ती | 4,250.00 | 15,200.00 |
| 2 | निहारी में जमा प्रयोगशाला परीक्षण प्रभार | – | 3,08,750.00 |
| 3 | कर्मचारियों को अदा की गई ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज | 26,67,564.00 | 37,36,798.00 |
| 4 | बी बी ई डब्ल्यू एफ से प्राप्त पूंजी (सेवानिवृत्त) | 6,000.00 | - |
| | **कुल** | **35,14,169.00** | **51,28,338.00** |

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17
(एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी
## ( भारत सरकार )

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

( रूपए में राशि )

| | स्थापना खर्चे | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| क) | वेतन तथा मजदूरी | 3629,040,092.00 | 3364,24,175.00 |
| ख) | छुट्टी तकदी | 205,36,260.00 | 379.82.662.00 |
| ग) | वर्दी और पोशाक | 1,07,477.00 | – |
| घ) | मानदेय | 3,500.00 | 23,510.00 |
| ङ) | बोनस | – | 15,10,136.00 |
| च) | छु.या.रि. | 21,75,855.00 | 30,67,456.00 |
| छ) | छात्रवृत्ति और वृत्तिका | – | – |
| ज) | उपदान | 328,29,137.00 | 679,06,286.00 |
| झ) | अ.भ.नि में अंशदान | 373,31,265.00 | 176,57,561.00 |
| ञ) | चिकित्सा खर्चे | 59,87,700.00 | 55,14,301.00 |
| ट) | प्रशिक्षण | 50,568.00 | 20,000.00 |
| ठ) | छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान | 50,651.00 | 1,75,965.00 |
| | **कुल** | **4620,12,549.00** | **4702,82,052.00** |

**नोट :** माजुली मंडल कार्यालय के श्री पी. बरुवा और श्री आर. गोस्वामी से अ.भ.नि. मैचिंग अंशदान के रू. 7479/= ( रू. 3841+ रू. 3638) की अतिरिक्त वसूली को पृथक रखते हुए अ.भ.नि. में बोर्ड के अंशदान पर व्यय रू. 3,73,31,265/=

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

(एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी
## ( भारत सरकार )

अनुसूची -11

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के उत्पन्न भाग की अनुसूची

*( रूपए में राशि )*

| अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| क) डाक, तार और दूरभाष | | 10,80,244.00 | 998,832.00 |
| ख) मुद्रण और स्टेशनरी | | 35,41,138.00 | 3,183,873.00 |
| ग) पुस्तकें और पत्रिकाएं | | 2,33,224.00 | 291,749.00 |
| घ) बैठक/संगोष्ठी और कार्यशाला के खर्चे | | 5,54,111.00 | 2,950,390.00 |
| ङ) बीमा | | – | – |
| च) आतिथ्य खर्चे | | 74,762.00 | 121,041.00 |
| छ) विधिक शुल्क पर खर्चे | | 10,11,422.00 | 410,436.00 |
| ज) विद्युत और जलप्रभार | | 4,02,365.00 | 742,072.00 |
| झ) बैंक प्रभार | | 10,662.00 | 12,777.50 |
| ञ) अन्य खर्चे (स्वतंत्रता दिवस/ गणराज्य दिवस/ बोर्ड दिवस आदि का पालन) | | 7,72,673.00 | 482,220.00 |
| ट) भ्रमण और वाहन खर्चे | | 46,42,583.00 | 6,416,126.00 |
| ठ) किराया, दर और कर | | 19,13,635.00 | 2,400,978.00 |
| ड) प्रकाशन | | – | – |
| ण) विज्ञापन और प्रसार | | 1,48,659.00 | 223,320.00 |
| त) चंदा और अंशदान | | – | 4,000.00 |
| थ) आर एंड एम कार्यालयी उपस्कर | | 2,61,094.00 | 204,720.00 |
| द) फर्नीचरों का आर एंड एम | | – | 12,299.00 |
| ध) भवनों का आर एंड एम | | 367,96,326.00 | 33,652,822.00 |
| न) वाहनों का आर एंड एम | | 17,77,160.00 | 1,632,984.00 |
| प) परिसंपत्तियों/स्टॉक की बिक्री आदि पर हानि | | | |
| i) चालू वर्ष | | 5,94,370.00 | 24,728.69 |
| ii) अवधि-पूर्व | | | |
| **कुल** | | **538,14,328.16** | **53,765,368.19** |

**नोट :** 'परिसंपत्तियों / स्टाक आदि की बिक्री पर हानि' के रू. 59,4370.16 के अलग प्राप्तियाँ और अदायगियाँ के रू. 5,32,19,958.00 ( रू. 5,38,14,328.16-रू. 5,94,370.16) के अनुसार अन्य प्रशासनिक खर्चे।

(ए. बरूवा)
लेखा अधिकारी

(एन. एन. डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी
## भारत सरकार

अनुसूची-12

## 31 मार्च 2017 की समाप्ति पर आय और व्यय लेखा के उत्पन्न भाग की अनुसूची

*( रूपए में राशि )*

| कार्यों पर व्यय | | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|---|---|---|
| **क )** | **सीमा क्षेत्र से संबंधित नदी प्रबंधन कार्यकलाप और कार्य** | | |
| | क) बहु प्रयोजनी परियोजना का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण | 382,86,923.00 | 354,59,539.00 |
| | ख) मास्टर योजना कासर्वेक्षण एवं अन्वेषण | 25,30,382.00 | 44,82,765.00 |
| | ग) विशिष्ट जलनिकास स्कीम का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण | 8,262.00 | 13,033.00 |
| | घ) निहारी का प्रचालन एवं अनुरक्षण | 196,10,445.00 | 225,24,925.00 |
| | ङ) छोटा सूक्ष्म हाईउल परियोजना का अन्वेषण | 58,54,098.00 | 60,43,131.00 |
| | च) रेज्ड प्लेटफार्म के निर्माण के लिए आपातिक बाढ़ प्रबंधन कार्य | - | 7,68,167.00 |
| | छ) तटकटाव रोधी स्कीम (कालाइर आल्गा और मसलाबारी, नलबारी बालात आदि) | 142,63,245.00 | 663,64,727.00 |
| | ज) ब्रह्मपुत्र नद का चैनेलाइजेशन अध्ययन | – | |
| | झ) गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यांकन अध्ययन | – | |
| | **कुल ( ए )** | **805,53,355.00** | **1356,56,287.00** |
| **ख )** | **जमा कार्य** | | |
| | क) नगांव मंडल के अधीन किलिंग ब. प्रयो, आदि का मृदा परीक्षण | – | |
| | मध्य बरापानी एच ई परियोजना, एमएसईबी, मेघालय का शिला परीक्षण | - | 9,892.00 |
| | मात- साकुई एच.ई. परियोजना, के.ज.आ. मिजोराम | - | 11,865.00 |
| | **कुल ( बी )** | - | **21,757.00** |
| | **सर्वमुठ ( क+ख )** | **805,53,355.00** | **1356,78,044.00** |

(ए.बरूवा)
लेखा अधिकारी

30/5/17

(एन.एन.डेका)
उप वित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
## भारत सरकार

**अनुसूची - 13**

## 31 मार्च 2017 को समाप्ति के लिए लेखे के उत्पन्न भाग की अनुसूची

## सांकेतिक लेखाकरण नीतियाँ और लेखे पर टिप्पणी

**1. लेखे का प्रपत्र :**

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, जैसा केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों (गैर लाभकारी संगठन) के लिए लागू वित्तीय विवरणों के संशोधित प्रपत्र के अनुसार 2016-17 वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वार्षिक लेखा विवरणों को तैयार किया गया है, जिसमें तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं अदायगियाँ लेखा सम्मिलित है।

**2. लेखाकरण सिद्धांत :**

प्रप्तियाँ और अदायगियाँ लेखे नकदी आधार पर तैयार किए गए है, जबकि आय और व्यय लेखे के तुलन-पत्र की लेखाकरण के प्रोद्भूत प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए।

**3. तालिका मूल्यांकन :**

स्टॉक और स्टोर्स की सामग्री को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

**4. स्थायी परिसंपत्तियाँ :**

सभी परिसंपत्तियाँ आंतरिक भाड़ा-दर, शुल्क तथा क्यों और आनुषंगिक अर्जन के लागत पर उल्लिखित है।

**5. मूल्यह्रास :**

(i) स्थायी परिसंपत्तियां पर मूल्यह्रास को कंपनी संशोधित अधिनियम, 1956 में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार स्ट्रेट लाईन प्रणाली पर गणना की गई है।

(ii) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के जोड़ के संबंध में मूल्यह्रास को आनुपातिक (प्रो-राटा) आधार पर विचार किया गया है। माह के दिनांक 1 से 15 तक पूर्ण माह एवं 15 तारीख के बाद की तिथि को मिटा दिया गया है।

(iii) अनुसूची-3 में यथाविहित परिसंपत्तियों के सकल श्लोक की शुरुआत और मूल्यह्रास दोनों से बाई बैंक प्रणाली के तहत खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों (कम्प्यूटर पेरीफेरलों) पद इतिपूर्व प्रभारित अंकित मूल्य तथा मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

**6. सरकार से सहायता अनुदान :**

(i) भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय से विभिन्न स्कीमों - परियोजनाओं के विपरीत प्राप्त सभी अनुदानों को बोर्ड द्वारा पूँजी अनुदान (कैपिटल ग्रांट) के रूप में माना जाता है। क्योंकि, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुदान की मंजूरी का वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

**7. जमा कार्य / प्रयोगशाला परीक्षण प्रभार :**

(i) निहारी में प्रयोगशाला परीक्षण / जमा-कार्य के लिए अन्य संगठनों, यथा पूर्वोत्तर परिषद, एनएचपीसी लि., बी आर टी एफ, केंद्रीय दल आयोग आदि से प्राप्त राशि और उस पर हुए व्यय को राजस्व के रूप में माना गया है और तदनुसार उसे आय और व्यय लेखे में प्रदर्शित किया गया है।

**8. सरकार से सहायता अनुदान :**

(i) बोर्ड के पास विभिन्न कार्यालयों के 31 मार्च 2017 को खाते पर बैंक में शेष राशि कई बैंक-विवरण को संबंधित प्रमाणीकृत शेष के साथ नियत रूप में संगति बैठायी गई है।

(ii) पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण की तैयारी में हुई अशुद्धियों और त्रुटियों के संबंध में आय और खर्च के सम्मिलित मदों को पूर्व-अवधि के सभी मदों को आय और व्यय लेखे में अवधि-पूर्व समायोजन के अधीन दिखाया गया है।

(iii) सन् 2004 (मई और जुलाई) के दौरान आये भयानक बाढ़ के कारण निर्माणाधीन पागलादिया बांध परियोजना का बांध-स्थल मदालतना के पास बरसारकुची कार्यालय परिसर और बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए आयुक्त (ई आर), जल संसाधन मंत्रालय को पत्र सं बी बी (पी सी) आर टी डब्ल्यू /03-04/62/28 दिनांक 01.01.04 यथासूचित प्रारंभिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड को रु. 34.33 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बोर्ड की संपत्ति के बाढ़ द्वारा वास्तविक नुकसान के निर्धारण के संबंध में एक उपसमिति का गठन किया गया था, जिसने हिसाब-किताब करके रु. 33.83 लाख की क्षति होने की रिपोर्ट दे दी और उसे आयुक्त (बी एवं बी) को पत्र सं. बी बी (पी सी) आर टी डब्ल्यू/03-04/63 दिनांक 11-08-11 के जरिए अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। परंतु अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। इस प्रकार अनुसूची 3(ख) में प्रदर्शित उक्त राशि रु. 24,48,97,707.75 बोर्ड के वार्षिक लेखे में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को बट्टे खाते में डालने के बशर्ते पागलादिया बांध परियोजना के निर्माण के विपरीत है।

iv) जल संसाधन मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. 24/2/97-इआर. दिनांक 22.3.2000 के अनुसरण में देहांग और सुबनसिरि परियोजना एन एच पी सी लि. को हस्तांतरित कर दिया था और उक्त परियोजना के लिए बोर्ड द्वारा व्यय किए गए रू 26.51 करोड़ की प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया गया था । यद्यपि, अभी तक एन एच पी सी द्वारा रू. 1.35 करोड़ मात्र की प्रतिपूर्ति की गई थी । प्रभारित मूल्यह्रास 31.3.2000 तक रू. 2.07 करोड़ जो एनएचपीसी से प्राप्तियोग्य शुद्ध दावे के रूप में रू. 23.09 करोड़ हैं । ब्रह्मपुत्र बोर्ड अपनी बैठकों में समय-समय पर मामले की समीक्षा करता आ रहा है और शेष राशि की प्रतिपूर्ति तत्काल करने के लिए उसने निर्देश दिया है। तदनुसार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष ने मामले को भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार के पास पत्र सं. बीबी/एसीएस/37/2000/53 दिनांक 12/10/2007 के जरिए उठाते हुए बकाये दावे के यथाशीघ्र निपटान हेतु मंत्रालय से अनुरोध किया है । जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय का निर्देश अभी तक प्रतीक्षित है ।

यद्यपि, दिनांक 19.3.2012 को भारत सरकार, शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एच) द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ की गई नवीनतम बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त दो परियोजनाओं के दावे ब्याज सहित एनएचपीसी लिमिटेड उन प्राईवेट डेवेलपर्स से दावा करेगा जिन्हें संबंधित परियोजनाएं हस्तांतरित की गई थीं और एनएचपीसी द्वारा निधि के संग्रहण के बाद उसे शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और भारत सरकार की सलाह से स्थानांतरित किया जाएगा। हालाँकि, अंतिम कार्रवाई अभी तक प्रतीक्षित है।

v) जल संसाधन मंत्रालय की अ.शा. पत्र सं. 24.2.97 इआर/821 (ए) 18.3.1999 के टर्म में ओर दिनांक 14.7.99 को अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड तथा अध्यगक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निपको लिमिटेड के बीच हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार तिपाईमुख बांध परियोजना निपको लिमिटेड को हस्तांतरित की गई थी। परियोजना पर हुए व्यय के रूप में रू 4.88 करोड़ की राशि का दावा उठाया गया था। निपको लिमिटेड से प्राप्तियोग्य निवल दावे के लिए रू. 0.30 करोड़ मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित करने के बाद निवल दावा रू 4.58 करोड़ होता है । परंतु अभी तक निपको लिमिटेड से कोई भी प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई है।

vi) तुलन-पत्र या आय तथा व्यिय लेखे में किसी भी आंकड़े को राउंडेड-अप नहीं किया गया है ।

vii) तुलन-पत्र के अभिन्न भाग के रूप में 31 मार्च 2016 की तिथि पर अनुसूची -1 से अनुसूची-13 अनुबद्ध हैं और उसी तिथि को समाप्ति पर आय तथा व्यय लेखे अनुबद्ध हैं ।

viii) हारांग जलनिकास विकास परियोजना मुख्यत अभियंता (आइ एवं डब्ल्यूखे) के पत्र संख्या बीबी/सीइ (आइ एड डब्ल्यू) /109/204/ पीटी-1060-67 दिनांक 8.6.2011 के प्रमाणन के अनुसार हारांग जलनिकास विकास परियोजना भौतिक रूप से पूरी हो चुकी है । कुछ देनदारियों के अनंतिम रूप न दिए जाने के चलते हारांग के समग्र कार्यों को पूँजीबद्ध नहीं किया जा सका, तदनुसार उसे पूँजीगत कार्य प्रगति पर दिखाया गया है । यद्यपि, देनदारियों के अंतिम रूप दिए जाने पर उसे पूँजीबद्ध किया जाएगा ।

ix) ईस्ट ऑफ बरपेटा जल निकास स्कीम जो जल निकास विकास स्कीम नाम-पद्धति के अधीन अनुसूची-3 में पूँजीगत कार्य प्रगति पर, के रूप में चित्रित था, को अधीक्षण अभियंता, गुवाहाटी परिमंडल के पत्र सं. बीबी/जीसी/टी/242/114730 दिनांक 16.82012 द्वारा जैसा सूचित किया गया है, इसके पूरे होने पर असम सरकार को स्कीम के रखरखाव के प्रयोजन हेतु विविध पूँजीगत परियोजना ईस्ट ऑफ बरपेटा स्कीम में स्थानांतरित किया गया है ।

x) बाइ-बैक प्रणाली के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान के संबंध में किए गए समायोजन को परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान शीर्ष के अधीन रू. 5,94,370.16 को अनुसूची-11 में दिखाया गया था ।

(ए.बरूवा)
लेखा अधिकारी

(एन.एन.डेका)
उपवित्तीय सलाहकार

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी

## भारत सरकार

## अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट 31 मार्च 2017 कोसमाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र

(रूपए में आँकड़ें)

| 31 मार्च 2016 को पिछला वर्ष | पूँजी और देनदारियां | 31मार्च 2017 को चालू वर्ष | | 31 मार्च 2016 को पिछला वर्ष | परिसंपत्तियां | 31 मार्च 2017 को चालू वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,59,156.12 | कर्मचारियों का अंशदान | | 123,05,258.12 | | **निवेश :** | | |
| 1770,97,855.52 | नियोक्ता का अंशदान | | 1892,75,436.52 | 6775,90,422.00 | i) बैंक के साथ स्थायी जमा | | 7115,99,000.00 |
| 1452,34,076.66 | स्वैच्छिक अंशदान | | 1656,62,824.66 | 426,16,923.51 | ii) स्थायी जमा पर उपार्जित ब्याज | | 446,07,813.51 |
| | चालू देनदारियां और प्रावधान | | | 45,20,658.84 | अंशदाताओं को ऋण और अग्रिम | | 47,99,212.84 |
| 3503,69,476.00 | अंशदाताओं को भुगतानयोग्य ब्याज | | 3533,43,204.00 | | **बेंक में नकद** | | |
| 546,88,923.74 | व्यय पर आय का आधिक्य | | | 79,36,106.20 | i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | | 123,77,209.49 |
| | | | 578,79,637.03 | 14,85,377.49 | ii) आइडीबीआइ बैंक | | 50,83,124.49 |
| 7340,49,488.04 | **कुल** | | 7784,66,360.04 | 7340,49,488.04 | **कुल** | | 7784,66,124.49 |

4/5/17

कनिष्ठ लेखाकार

30/5/17

कार्यपालक अधिकारी
ब्रह्मपुत्र बोर्ड अ.भ.नि.

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी

## भारत सरकार

## ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

( रूपए में आँकड़ें)

| 31 मार्च 2016 तक | व्यय | 31 मार्च 2017 तक | | 31 मार्च 2016 को | आय | 31 मार्च 2017 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558,64,136.00 | अंशदाताओं को भुगतान योग्य ब्याज को | | 540,88,634.00 | 8,62,681.00 | **बैंक से ब्याज द्वारा**<br>i) बचत बैंक खाता | | 12,66,183.00 |
| 1,075.00 | बैंक प्रभारो को | | 516.00 | 602,43,652.86 | ii) स्थायी जमा प्राप्तियाँ | | 560,13,682.29 |
| 52,41,122.86 | मूल्यह्रास को तुलन पत्र में लाया गया व्यय | | | | | | |
| | पर आय का आधिक्य | | 31,90,713.29 | | | | |
| **611,06,333.86** | **कुल** | | **572,79,713.29** | **611,06,333.86** | **कुल** | | **572,79,865.29** |

4/5/17

कनिष्ठ लेखाकार

30/5/17

कार्यपालक अधिकारी
ब्रह्मपुत्र बोर्ड अ.भ.नि.

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड : गुवाहाटी

## ब्रह्मपुत्र बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

(रूपए में आँकड़ें)

| 31 मार्च 2016 को | प्राप्तियां | 31 मार्च 2017 को | | 31 मार्च 2016 को | भुगतान | 31 मार्च 2017 को | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **प्रारंभिक शेष को** | | | 329,44,013.00 | **कर्मचारियों के अंशदान द्वारा** | | |
| 2,632,656.34 | बैंक में नगद(यू.बी.आई) | | 79,36,106.20 | | कर्मचारियों का आंशिक आहरण | 64,37,222.00 | |
| 1,094,637.49 | बैंक में नगद( आई.डी.बी.आई) | | 14,85,377.49 | | अ.भ.नि. का अंतिम निपटारा | 251,64,350.00 | 316,01,572.00 |
| 17,163,781.00 | **कर्मरचारियों के अंशदान को** | | | 205,73,080.00 | **नियोक्ता के अंशदान द्वारा** | | 251,64,350.00 |
| | ब्रह्मपुत्र बोर्ड से | 372,39,041.00 | | 205,53,386.00 | स्वेछिक अंशदान द्वारा | | 278,46,561.00 |
| | अन्य संगठनों से | 8,633.00 | 372,47,674.00 | 56,43,400.00 | **अभिदाताओं को ऋण और अग्रिम द्वारा** | | |
| 17,110,159.00 | **नियोक्ता के अंशदाता को** | | | | | | 53,61,000.00 |
| | ब्रह्मपुत्र बोर्ड से | 373,38,744.00 | | 6076,99,000.00 | **बैंक में आवधिक जमा द्वारा** | | 6667,18,000.00 |
| | अन्य संगठनों से | 3,187.00 | 373,41,931.00 | 414,40,820.00 | **अभिदाताओं को ब्याज के अंतिम निपटारे पर भुगतान द्वारा** | | |
| 36,990,400.00 | **स्वैच्छिक अंशदान को** | | 482,75,309.00 | | | | 511,14,906.00 |
| 6,480,580.00 | **अभिदाताओं से अग्रिम की वसूली को** | | 50,82,446.00 | 1,075.00 | **बैंक प्रभार द्वारा** | | 518.00 |
| 318,880,956.00 | **आवधिक जमा के भुनाने को** | | | 79,36,106.20 | **अंतिम शेष द्वारा** | | |
| | | | 6327,09,422.00 | 14,85,377.49 | बैंक में नकद(यू.बी.आई) | | 123,77,209.49 |
| 54,317,304.23 | **बैंक से ब्याज को** | | | | बैंक में नकद( आई डी बी आई बैंक) | | 50,83,124.48 |
| | बचत बैंक खाता | 12,66,183.00 | | | | | |
| | आवधिक जमा प्राप्तियाँ | 539,22,792.29 | 551,88,978.29 | | | | |
| **454,670,474.06** | **कुल** | | **8252,67,240.98** | **7382,76,257.69** | **कुल** | | **8252,57,240.98** |

4/5/17

कनिष्ठ लेखाकार

30/5/17

कार्यपालक अधिकारी
ब्रह्मपुत्र बोर्ड अ.भ.नि.

# वर्ष 2016-17 के लिए

## ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी असम के लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

# 31 मार्च 2017 को समाप्ति वर्ष के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (दायित्वों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) जिसके साथ ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 (1980 का 46) को पढ़ा जाए, के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी का 31 मार्च 2017 को अनुबद्ध तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त, आय और व्यय लेखा, प्राप्तियाँ एवं अदायगियाँ लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड सहित इसके 16 मंडल/ परिमंडल/संपर्क कार्यालय की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रबंध मंडल की है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर एकमत प्रकट करने की है।

2) इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण कार्य, लेखाकरण मानक तथा प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखाकरण उपचार मात्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मत सन्निहित है। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) एवं दक्षता-सह-संपादन पहलु आदि यदि ऐसा कोई हो, के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर प्रेक्षणों को निरक्षण रिपोर्ट/ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पृथक रूप से रिपोर्ट किया गया है।

3) हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यत: भारत में मान्य लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप संचालित ही है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम एक योजना बनाएं और मर्यादित आश्वासन पाने के लिए कि ये वित्तीय विवरण भौतिक कथनों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा संपादित करें। लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय विवरणों का टेस्ट आधार पर परीक्षण, राशि को समर्थन करता हुआ प्रमाण और प्रकटीकरण। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांत का निर्धारण और प्रबंध मंडल द्वारा तैयार किए गए सांकेतिक प्राक्कलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतिकरण भी रहता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक मर्यादित आधार देती है।

**4) हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :**

i) हमने ये सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त की हैं जो हमरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii) तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं अदायगियाँ लेखा जो इस रिपोर्ट के साथ लेनदेन हुए हैं, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

iii) हमारे मत में ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन लेखाबहियों तथा अन्य संगत रिकार्डों का वास्तविक तरीके से रखरखाव किया है, जैसा उक्त बहियों के हमारे परीक्षण के दौरान हमने देखा है।

iv) आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

**क) तुलन-पत्र**

**क.1. (i) स्थायी परिसंपत्तियाँ**

31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र में अनुलग्नित स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची में 'इस्ट ऑफ बरपेटा' के शीर्ष के अधीन ₹2.67 करोड़ की पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 द्वारा जैसा अधिदेश है, इस्ट ऑफ बरपेटा जलनिकास विकास स्कीम परियोजना को संपूर्ण करने के बाद (अगस्त 2012) को 'रखरखाव के उद्देश्य मात्र' के लिए असम राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया।

अनुसूची-3 में प्रतिफलित ₹2.67 करोड़ के व्यय को बोर्ड की लेखाबहियों से कटौती नहीं की जा सकी जैसा कि इस स्कीम की संपूर्ण पूँजी को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित की गई थी तथा असम सरकार को इस परियोजना के स्थानांतरण पर कोई भी मौद्रिक लेनदेन नही हुई थी तथा यह राशि बोर्ड के पास ही है। इस प्रकार मूल्यह्रास प्रभारित न होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 की तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों की अत्युक्ति हुई है।

(ii) प्रगति पर कार्य के लिए मूल्यह्रास नहीं किया जाता है जिसका उपयोगी जीवन अज्ञात है। यह देखा गया है कि ₹5.73 लाख को प्रगति पर कार्य[1] के तीन पूँजीगत मदों पर मूल्यह्रास प्रभारित करने के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार, प्रगति पर कार्य वाली उपर्युक्त तीन परियोजनाओं पर प्रभारित ₹1.25 करोड़ का कुल मूल्यह्रास से 31 मार्च 2017 के तुलन-पत्र में ₹1.25 करोड़ की परिसम्पत्तियों का न्यूनोक्ति हो गई है।

**क.2** वर्ष 2016-17 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखे की संवीक्षा पर यह प्रकट हुआ है कि स्थायी परिसंपत्तियों के अधीन प्रभारित विभिन्न परियोजनाओं/ पूँजीगत कार्यों के संबंध में अन्य सरकारी निकायों के पास दिनांक 31.3.2017 को ₹72 लाख का अग्रिम/ जमा बकाया शेष है।

चालू परिसंपत्तियों के अधीन ₹72 लाख की राशि का प्रदर्शन न करने के कारण, स्थायी परिसंपत्तियों में ₹72 लाख की अत्युक्ति हो गई है एवं यही राशि चालू परिसंपत्ति में न्यूनोक्ति हुई है।

**क.3. उपदान, सेवानिवृत्ति पेंशन, छुट्टी नकद आदि के लिए अ-प्रावधान**

केंद्रीय ऑटोनोमस निकायों को लागू यूनियन फार्मेट के अनुसार उपदान, सेवानिवृत्ति पेंशन एवं संचित छुट्टी नकदी के लिए प्रावधान स्वायत्त निकायों के लेखे में रखना चाहिए और उसे तुलन-पत्र में संलग्न अनुसूची-1 में दर्शाया जाना चाहिए। मगर ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वर्ष 2016-17 की लेखा की तैयारी के समय संचित छुट्टी नकदी, सेवानिवृत्ति पेंशन, उपदान के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा था।

**ख ) सहायता अनुदान**

वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड ने योजना निधि का समुच्च्य के रूप में ₹67.61 करोड़ प्राप्त किया था। 31 मार्च 2016 को ₹3.78 करोड़ अव्ययी शेष थे। 2016-17 की अवधि के दौरान बोर्ड ने कुल ₹71.39 करोड़ के विपरीत ₹70.94 करोड़ खर्च किया था और वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड के पास शेष ₹0.45 उपलब्ध थे।

**ग ) प्रबंधन-पत्र**

जो कमियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं उनका उपचार/शुद्ध करने के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के जरिए अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी की नजर में लायी गई हैं।

1) पूर्ववर्ती पेराग्राफों में दिए गए हमारे प्रेक्षणों के बशर्ते हम रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा एवं प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा लेखाबहियों के साथ मेल खाते हैं।

1द्ब) हमारे मत में और हमारी सर्वेत्तम सूचना में तथा हमें दी गई लेखाकरण स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण को लेखाकरण नीतियां तथा लेखे पर टिप्पणी एवं उपर उल्लिखित सांकेतिक विषयों तथा इस रिपोर्ट के साथ अनुबंधों में उल्लिखित अन्य विषयों को एक साथ पढ़ने पर सामान्यत: भारत में मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और स्वच्छ दृष्टिकोण उभरता है।

क) जहां तक हो यह 31 मार्च 2016 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकलापों के तुलन-पत्र से संबंध रखता है;

ख) जहां तक हो यह उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से संबंध रखता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उनके पक्ष में

स्थान : नई दिल्ली

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
वैज्ञानिक विभाग

[1] *हारांग ज.नि.वि. स्कीम रु. 0.80 लाख, पागलादिया बांध परि. रु. 5.42 लाख और माजुली द्वीप का प्रतिरक्षण रु. 0.23 लाख।*

# लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुबंध-I

**1. आभ्यांतरी नियंत्रण प्रणाली**

1.1 **कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यह्रास दर का कार्यान्वयन न करना**

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की वार्षिक लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ है कि कम्पनी संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसूची-II के अनुसार मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है जो दिनांक 01.04.2014 से बंद हो गया है। आगे, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के भाग-क में पैरा 3 के उप-पैराग्राफ (i) द्वारा जैसा अधिदेशित है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की लेखे पर टिप्पणी सूचना को प्रकट नहीं करता है। यह तब आवश्यक है जब 2013 के अधिनियम में व्यवस्था किए गए से परे, कोई एंट्री एक उपयोगी जीवन को चुनता है।

1.2 लेखे के समरूप प्रारूप के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य को अनुसूची 8 में अनुरक्षित किया जाना है। जबकि बोर्ड ने इसे अनुसूची 3 में अनुरक्षित किया है।

1.3 2015-16 और 2016-17 की वार्षिक लेखे में अनुबद्ध तुलन-पत्र की अनुसूची 3 के अनुसार यह प्रकट होता है कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान वाहनों पर कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है और लेखे में केवल अंकित मूल्य को दिखाया गया है। लेखाकरण मानदंडों के अनुसार पूरी तरह मूल्यह्रास की गई परिसंपत्ति के मूल्य को ₹1 पर निश्चित रूप से दिखाया जाना है।

1.4 रिकार्डों की संवीक्षा से प्रकट होता है कि अन्य सरकारी निकायों/आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अग्रिम में दिए गए ₹5.91 करोड़ 1987-88 से 2016-17 तक बकाये के रूप में पड़े हुए थे।

**2. आभ्यांतरी लेखापरीक्षा प्रणाली की अपर्याप्ता**

मार्च 2017 तक 3 फील्ड इकाईयों; मार्च 2016 तक 4 फील्ड इकाईयों, मार्च 2015 तक 5 फील्ड इकाईयों, मार्च 2014 तक 2 फील्ड इकाईयों और मार्च 2005 तक 1 फील्ड इकाई के संबंध में आभ्यांतरी लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

**3. स्थायी परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली**

नलबारी और नर्थ गुवाहाटी मंडल को छोड़कर 2016-17 वर्ष तक 13 फील्ड मंडल/ परिमंडल कार्यालयों की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन संचालित किया गया।

आगे, 2015-16 वर्ष तक अगस्त 2016 के दौरान ब्रह्मपुत्र बोर्ड (मुख्यालय) के स्टोरों का भौतिक सत्यापन संचालित किया गया।

**4. वस्तु-सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली**

तीन मंडल/परिमंडल कार्यालयों[2] के अलावा, मुख्यालय सहित अन्य सभी मंडल/परिमंडल कार्यालयों ने वस्तु-सूची की भौतिक सत्यापन की और जीएफआर 41 का रखरखाव किया।

**5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता**

जैसा कि केंद्रीय सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नौकरी में कार्यभार ग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से प्रभावी केंद्रीय स्वायत्व निकायों में नई पेंशन स्कीम प्रारंभ किया है और इसके लिए वित्त मंत्रालय के कार्यालय आदेश के अनुसार 31 जनवरी 2009 तक एनपीएस संरचना में शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जानी थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने एनपीएस के लिए संबंधित कर्मचारियों का अंशदान न तो संग्रह किया और न ही संबंधित प्राधिकारी को प्रेषण की जानेवाली देयताओं के रूप में वार्षिक लेखे में इसका कोई प्रावधान बनाया।

**निदेशक (ईए)**

[2] *आगरतला मंडल, नर्थ गुवाहाटी परिमंडल, जोरहाट परिमंडल।*

# अनुबंध

**अनुबंध-।**

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 ( 46 के 1980 ) की धारा ( 4 ) के उपधारा ( 3 ) के खंड क, ख, ग, और घ के अधीन नियुक्त बोर्ड की संरचना

## क. पूर्णकालिक सदस्य

| क्र.सं. | सदस्यों का पदनाम | सदस्यों का नाम | सेवा अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड | श्री निखिलेश झा<br>श्री यू. पी. सिंह<br>श्री संजय कुंडु | 07.10.15 से 06.10.16 तक<br>22.06.16 से 06.10.16 तक<br>17.10.16 से अब तक |
| 2 | उपाध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड | श्री चमन लाल<br>श्री पी. एम. स्कॉट | 09.10.15 से 25.08.16 तक<br>21.09.16 से अब तक |
| 3 | महाप्रबंधक, ब्रह्मपुत्र बोर्ड | रिक्त | दिनांक 01.7.2014 से रिक्त |
| 4 | वित्तीय सलाहकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड | श्री रजत भार्गव<br>डॉ. एम. आरीज अहमद | दिनांक 10.10.2015 से 02.09.216 तक<br>22.11.16 से अब तक |

## ख. अंशकालिक सदस्य

| क्र.सं. | सदस्यों का पदनाम | प्रतिनिधित्व राज्य/संगठन |
|---|---|---|
| 1 | सचिव, असम सरकार, जल संसाधन विभाग | असम सरकार का प्रतिनिधित्व |
| 2 | मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आर) मेघालय सरकार | मेघालय सरकार का प्रतिनिधित्व |
| 3 | मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, नागालैंड सरकार | नागालैंड सरकार का प्रतिनिधित्व |
| 4 | मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी (जल संसाधन), त्रिपुरा सरकार | त्रिपुरा सरकार का प्रतिनिधित्व |
| 5 | मुख्य अभियंता,सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, मणिपुर सरकार | मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व |
| 6 | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार | अरूणाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व |
| 7 | मुख्य अभियंता, (सिविल) शक्ति एवं विद्युत विभाग, मिजोराम सरकार | मिजोराम सरकार का प्रतिनिधित्व |
| 8 | वित्तीय सलाहकार, पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग | पूर्वोत्तर परिषद का प्रतिनिधित्व |
| 9 | संयुक्त सचिव, भूमि संरक्षण और मृदा संसाधन, कृषि मंत्रालय | कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्वि |
| 10 | आयुक्त (बी एंड बी), जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार | जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व |
| 11 | वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार | वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व |
| 12 | संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार | विद्युत मंत्रालय का प्रतिनिधित्व |
| 13 | मुख्य अभियंता, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार | सतही परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व |
| 14 | सदस्य (आर एम), केन्द्रीय जल आयोग | केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व |
| 15 | सदस्य (एच.ई), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व |
| 16 | उप महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पूर्वोत्तर क्षेत्र | भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रतिनिधित्व |
| 17 | महा महानिदेशक, भारतीय मौसमविज्ञान विभाग, भारत सरकार | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग,भारत सरकार का प्रतिनिधित्व |

**ग. विशेष आमंत्रित**

| | |
|---|---|
| 1 | सलाहकार, (पू.क्षे), नीति आयोग, योजना भवन , संसद मार्ग, नई दिल्ली |
| 2 | मुख्य अभियंता, (बी एवं बी बी ओ ), केन्द्रीय जल आयोग, शिलांग |
| 3 | सचिव, सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, जलसंपद भवन, साल्ट लेक, कोलकाता |
| 4 | सचिव, जल संसाधन और नदी विकास विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक |
| 5 | सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनर), विज्ञान भवन एनेक्स, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली |

**अनुबंध–II**

## संकल्प संख्या 2(17)/80–एफसी/460 दिनांक 19 मार्च 1982 तथा संकल्प सं. 23/8/92 दिनांक 1 अक्तूबर,1992 द्वारा यथा संशोधित भारत सरकार द्वारा नियुक्त हाई पावर्ड रिव्यू बोर्ड की संरचना

| | | |
|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री | अध्यक्ष |
| 2 | मुख्यमंत्री, असम अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | सदस्य |
| 3 | मुख्यमंत्री, मणिपुर अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | सदस्य |
| 4 | मुख्यमंत्री, मेघालय अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | सदस्य |
| 5 | मुख्यमंत्री, नागालैंड अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | सदस्य |
| 6 | मुख्यमंत्री, त्रिपुरा अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई कबिनेट मंत्री | सदस्य |
| 7 | मुख्यमंत्री, मिजोराम अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | सदस्य |
| 8 | मुख्यमंत्री, अरूणाचल प्रदेश अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई केबिनेट मंत्री | सदस्य |
| 9 | केन्द्रीय वित्त मंत्री/वित्त राज्य मंत्री | सदस्य |
| 10 | जल संसाधन राज्यर मंत्री | सदस्य |
| 11 | केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री/ ऊर्जा राज्य मंत्री | सदस्य |
| 12 | केन्द्रीय कृषि मंत्री/कृषि राज्य मंत्री | सदस्य |
| 13 | केन्द्रीय सतही परिवहन मंत्री/ केन्द्रीय सतही परिवहन राज्य मंत्री | सदस्य |
| 14 | सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य |
| 15 | अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 16 | अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, | सदस्य –सचिव |
| 17 | सदस्य (आर.एम) केन्द्रीय जल आयोग | स्थायी आमंत्रित |

अनुबंध–III

# ब्रह्मपुत्र बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट

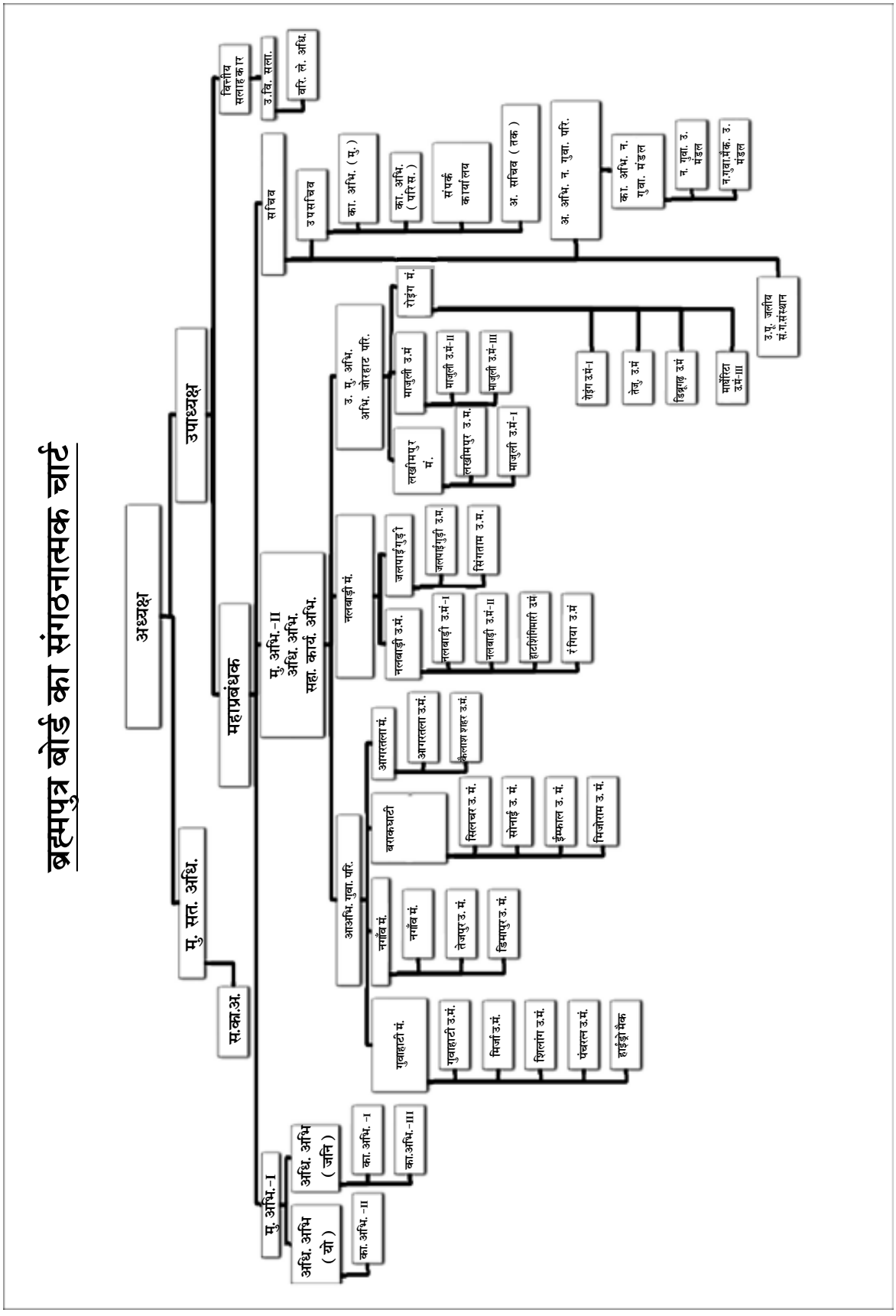

अनुबंध -IV

## 01.04.2017 को अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पिछड़ी जाति तथा दिव्यांगों सहित अधिकारियों/स्टाफ और फील्ड स्टॉफ का नियमित स्वीकृत बल और संख्या की स्थिति

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम | समूह-क सभी पद पं बैंड-3 में और ऊपर के | | | | | | | समूह-ख सभी पद पं बैंड-2 में | | | | | | | समूह-ग सभी पद पं बैंड-1में | | | | | | | कुल (क+ख+ग) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत बल | वर्तमान सं. | अनारक्षित | अजा | अजजा | अपिजा | दिव्यांग | स्वीकृत बल | वर्तमान सं. | अनारक्षित | अजा | अजजा | अपिजा | दिव्यांग | स्वीकृत बल | वर्तमान सं. | अनारक्षित | अजा | अजजा | अपिजा | दिव्यांग | स्वीकृत बल | वर्तमान सं. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | मुख्यालय सहित संपर्क कार्यालय | | **7** | **4** | 0 | 1 | 2 | 0 | | **19** | **10** | 5 | 1 | 3 | 0 | | **55** | **39** | 8 | 3 | 5 | 3 | | **81** |
| 2 | वित्त स्कंध | | **2** | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | | **3** | **2** | 1 | 0 | 0 | 0 | | **16** | **9** | 4 | 0 | 3 | 0 | | **21** |
| 3 | योजना स्कंध | | **7** | **7** | 0 | 0 | 1 | 0 | | **19** | **7** | 6 | 2 | 4 | 0 | | **11** | **9** | 0 | 0 | 2 | 0 | | **37** |
| 4 | कार्य स्कंध | | **4** | **4** | 0 | 0 | 0 | 0 | | **4** | **2** | 1 | 0 | 1 | 0 | | **2** | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 | | **10** |
| 5 | अधी.अभि. (फील्ड) कार्यालय | | **17** | **15** | 1 | 0 | 2 | 0 | | **35** | **16** | 8 | 2 | 9 | 0 | | **45** | **29** | 5 | 0 | 11 | 0 | | **97** |
| 6 | का.अभि. (फील्ड) कार्यालय | | **24** | **19** | 1 | 0 | 4 | 0 | | **85** | **42** | 14 | 4 | 25 | 0 | | **117** | **70** | 19 | 8 | 20 | 4 | | **226** |
| | कुल= | **82** | 48 | 38 | 2 | 1 | 8 | 0 | **181** | 139 | 68 | 27 | 7 | 37 | 0 | **365** | 217 | 138 | 32 | 11 | 36 | 7 | **628** | **404** |

अनुबंध-IV(क)

# 01.04.2017 को अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पिछड़ी जाति तथा दिव्यांगों सहित अधिकारियों/स्टाफ और फील्ड स्टाफ का नियमित स्वीकृत बल और संख्या की स्थिति

| क्र.सं. | कार्यालय का नाम | समूह-क | | | | | | | समूह-ख | | | | | | | समूह-ग | | | | | | | कुल (क+ख+ग) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सभी पद पे बैंड-3 में और उपर के | | | | | | | सभी पद पे बैंड-2 में | | | | | | | सभी पद पे बैंड-1में | | | | | | | | |
| | | स्वीकृत बल | वर्तमान सं. | अनारक्षित | अजा | अजजा | अपिजा | दिव्यांग | स्वीकृत बल | वर्तमान सं. | अनारक्षित | अजा | अजजा | अपिजा | दिव्यांग | स्वीकृत बल | वर्तमान सं. | अनारक्षित | अजा | अजजा | अपिजा | दिव्यांग | स्वीकृत बल | वर्तमान सं. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | मुख्यालय प्र. एवं स. | | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 43 | 31 | 5 | 3 | 4 | 3 | | 61 |
| | संपर्क कार्या. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 8 |
| | सतर्कता | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 |
| | मुख्यालय | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 |
| | **कुल** | | **7** | **4** | **0** | **1** | **2** | **0** | | **19** | **10** | **5** | **1** | **3** | **0** | | **55** | **39** | **8** | **3** | **5** | **3** | | **81** |
| 2 | वित्त स्कंध | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | | 21 |
| 3 | योजना स्कंध | | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 19 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 37 |
| 4 | कार्य स्कंध | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 10 |
| 5 | जोरहाट परि. | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 11 |
| | नर्थ गुवाहाटी परि. | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 5 |
| | गुवाहाटी परि. | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 8 |
| | नलबारी परि. | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 |
| | **कुल** | | **17** | **15** | **1** | **0** | **2** | **0** | | **35** | **16** | **8** | **2** | **9** | **0** | | **45** | **29** | **5** | **0** | **11** | **0** | | **97** |
| 6 | गुवाहाटी मंडल | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | | 22 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | | 37 |
| | नर्थ गुवाहाटी मंडल | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 15 |
| | नगांव मंडल | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 22 |
| | नलबारी मंडल | | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 33 |
| | माजुली मंडल | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 21 |
| | लखीमपुर मंडल | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | | 22 |
| | रोइंग मंडल | | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 25 |
| | बराक घाटी मंडल | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 28 |
| | आगरतला मंडल | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 11 |
| | जलपाइगुरी मंडल | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 12 |
| | **कुल** | | **24** | **19** | **1** | **0** | **4** | **0** | | **85** | **42** | **14** | **4** | **25** | **0** | | **117** | **70** | **19** | **8** | **20** | **4** | | **226** |
| | **सकल योग=** | **82** | **48** | **38** | **2** | **1** | **8** | **0** | **181** | **139** | **68** | **27** | **7** | **37** | **0** | **365** | **217** | **138** | **32** | **11** | **36** | **7** | **628** | **404** |

**अनुबंध-V**

# वर्ष 2016-17 के दौरान प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला में भाग लेनेवाले अधिकारियों की सूची

| क्र.सं. | नाम | प्रशिक्षण / संगोष्ठी /कार्यशाला/ पाठ्यक्रम में भाग लेने का विवरण | प्रशिक्षण का स्थान | प्रशिक्षण की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती भारती पाटोवारी बरूवा, कार्य. अभि. | बेसिक डाटा एंड एमएस अक्सेस | ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय | 21.6.2016 से 4.8.2016 तक |
| 2 | श्री रंजित कुमार डेका, स.का.अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 3 | श्री प्रभाष चंद्र शर्मा, अनु.अधि.,(लेखा) | –वही– | –वही– | –वही– |
| 4 | श्री अजीजुर रहमान, क.अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 5 | श्री जय बर्मण, सचिव | –वही– | –वही– | –वही– |
| 6 | श्री गया प्रसाद सिंह, अधी. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 7 | श्री रंजित शईकीया, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 8 | श्री अभिजीत बरुआ, ले. अधि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 9 | श्री दीपक कुमार, क. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 10 | श्री अंजन कु. दत्त, क. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 11 | श्री ध्रुवज्योति बरगोहांई, अधी. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 12 | श्री हेमंत कुमार गोगोई, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 13 | श्री भास्करज्योति चौधुरी, स.का. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 14 | श्री अलेमवती लोंगकुमेर, क.अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 15 | श्री नबीन चंद्र बसुमतारी, क.अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 16 | श्री चान मोहन दास, अधी.अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 17 | श्री ए.के. कालिता, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 18 | श्री मुकुल चंद्र लहकर, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 19 | श्री दुर्लभ कुमार शर्मा,, स.का.अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 20 | सुश्री लिकी रानी भोई, क. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 21 | श्री जय बर्मण, सचिव | शिकायत, आरटीआई मामलों, अदालती मामलों, न्यूनतम नैतिकता और शिष्टाचार, कार्यालय प्रक्रिया का मैनुअल, सेवा पंजी और अभिलेखों इत्यादि का रखरखाव। | ब्रह्मपुत्र बोर्ड मुख्यालय | 15.10.2016 से 17.10.2016 तक |
| 22 | श्री ध्रुवज्योति बरगोहांई, अधी. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 23 | श्री चान मोहन दास, अधी.अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 24 | श्री गया प्रसाद सिंह, अधी. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | श्री दीनेश चंद्र बर्मण, अधी. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 26 | श्री त्रिलोचन बरुआ, अधी. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 27 | श्री ईल्ताफ हुसैन, अधी. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 28 | श्री थानेश्वर बरा, अधी. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 29 | श्री रंजित शईकीया, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 30 | श्री हेमंत कुमार गोगोई, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 31 | श्री दिलीप गोस्वामी, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 32 | श्री दीपक शईकीया, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 33 | श्री देबेन शर्मा, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 34 | श्री रमेश पंवार, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 35 | श्री चिन्मय ज्योति शर्मा, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 36 | श्री दीननाथ बुजरबरूवा, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 37 | श्री अश्विनी कुमार कलिता, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 39 | श्री प्रह्लाद चंद्र सालोई, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 40 | श्री मुकुल चंद्र लहकर, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 41 | श्री अतुल शर्मा, कार्य. अभि. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 42 | श्री नृपेंद्र नाथ डेका, उप.वि.स. | –वही– | –वही– | –वही– |
| 43 | श्री अभिजीत बरुआ, ले. अधि. | –वही– | –वही– | –वही– |

**अनुबंध-VI**

# अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की सूची

(31.03.2017 को )

| क्र.सं. | नाम और पदनाम | संगठन का नाम | प्रतिनियुक्ति अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री धरणीधर भराली, कनिष्ठ अभियंता | पूर्वोत्तर रेलवे | 19.12.2014 से अब तक |

**31.03.2017 को ऋण पर कार्यरत ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कर्मचारियों का विवरण**

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | केजआ/सीपी डब्ल्यूडी में पद भार ग्रहण की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री अर्नव बर्मन | कनिष्ठ अभियंता | 15.11.2016 (पू.) |
| 2 | श्री बुबुल सैकिया | कनिष्ठ अभियंता | 02.11.2016 (पू.) |
| 3 | श्री दयानंद हातीबरुवा | कनिष्ठ अभियंता | 02.11.2016 (पू.) |
| 4 | श्री दीपक कुमार | कनिष्ठ अभियंता | 10.11.2016 (पू.) |
| 5 | श्री जयंत ठाकुरिया | कनिष्ठ अभियंता | 11.11.2016 (पू.) |
| 6 | श्री कार्तिक घोष | कनिष्ठ अभियंता | 16.11.2016 (पू.) |
| 7 | श्री कृपामय दास | कनिष्ठ अभियंता | 04.01.2016 (पू.) |
| 8 | श्री लालबाबु रय | कनिष्ठ अभियंता | 15.11.2016 (पू.) |
| 9 | श्री माधुर्य कुमार बोरा | कनिष्ठ अभियंता | 05.11.2016 |
| 10 | श्री पलाश ठाकुरिया | कनिष्ठ अभियंता | 18.11.2016 (पू.) |
| 11 | श्री सुरेन भागवती | कनिष्ठ अभियंता | 16.11.2016 (पू.) |
| 12 | श्री विनय कुमार | कनिष्ठ अभियंता | 08.11.2016 (पू.) |
| 13 | श्री ज्योतिष चंद्र लहकर | उ.श्रे.लि. | 10.11.2016 (पू.) |
| 14 | श्री पद्म नाथ सैकिया | नि.श्रे.लि. | 07.11.2016 (पू.) |
| 15 | श्री रिचर्ड चांद | कनिष्ठ अभियंता | 03.01.2017 |
| 16 | श्री मुनिन्द्र कुमार बर्मन | कनिष्ठ अभियंता | अब तक पदभार ग्रहण नही किया |
| 17 | श्री भोगेश्वर बरचेतिया | कनिष्ठ अभियंता | 02.01.2017 |
| 18 | श्री भारत चंद्र देवनाथ | कनिष्ठ अभियंता | 02.01.2017 |
| 19 | श्री टी डी पुरकायस्थ | कनिष्ठ अभियंता | 30.12.2016 |
| 20 | श्री जयदीप दास | कनिष्ठ अभियंता | 07.01.2017 |
| 21 | श्री अनुपम नाथ | कनिष्ठ अभियंता | 09.01.2017 |
| 22 | श्री प्रसेनजीत सालोई | कनिष्ठ अभियंता | 11.01.2017 |
| 23 | सुश्री लिकिरानी भोई | कनिष्ठ अभियंता | 10.01.2017 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | श्री गौतम कुमार भट्टाचार्य | कनिष्ठ अभियंता | |
| 25 | श्री नवीन चंद्र बोरा | कनिष्ठ अभियंता | 03.01.2017 |
| 26 | श्री हेमंत सैकिया | कनिष्ठ अभियंता | 10.01.2017 |
| 27 | श्री नूर आलम | कनिष्ठ अभियंता | 10.01.2017 |
| 28 | श्री नुमल चंद्र कुली | कनिष्ठ अभियंता | 12.01.2017 |
| 29 | श्री चिकोन बरुवा | ट्रेचर | 23.01.2017 |
| 30 | श्री घन कांत सोनोवाल | ब्लू प्रिंटर | अब तक पदभार ग्रहण नही किया |
| 31 | श्री चन्दन डेका | उ.श्रे.लि. | 13.01.2017 |
| 32 | श्री नील रतन सिंह | ड्राईवर | 06.01.2017 |
| 33 | श्रीमती याने मिबांग | चौकीदार | 12.01.2017 |
| 34 | श्री नृपेंद्र नाथ हालोई | डब्ल्यू सी बोटमेन | 12.01.2017 |
| 35 | श्री अजमल अली | ड्राईवर | |
| 36 | श्री फारूख अहमद मजुमदार | पीयन | |
| 37 | श्री जाहिर उद्दीन बरलस्कर | पीयन | |
| 38 | श्री जितेंद्र प्रसाद | कनिष्ठ अभियंता | 23.02.2017 |
| 39 | श्री काशीलाल अगरवाला | कनिष्ठ अभियंता | अब तक पदभार ग्रहण नही किया |

**अनुबंध–VII**

# आर टी आइ सूचना प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र (2016-17)

## मंत्रालय / विभाग / संगठन : ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी–29

**वर्ष 2016-17 ( 31 मार्च, 2017 तक )**

| | | वर्ष 2016-17 में प्रगति | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4.2016 को प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या (अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामले सहित) | वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य जन प्राधिकारियों को हस्तांतरित मामले सहित | अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामले सहित धारा 6(3) के अधीन | निर्णय, जहां अनुरोध/अपील खारिज हुए | निर्णय, जहां अनुरोध/अपील ग्रहण कर लिए गए |
| अनुरोध | 4 | 42 | 20 | 2 | 1 | 62 |
| प्रथम अपील | शून्य | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | 1 |

| | |
|---|---|
| उन मामलों की संख्या, जहां किसी भी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई | शून्य |

| नामजद किए गए सी ए पी आइ ओ की संख्या | नामजद किए गए सी पी आइ ओ की संख्या | नामजद किए गए ए ए की संख्या |
|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 |

| अनुरोध को खारिज करते समय आमंत्रित विविध प्रावधानों के पदों की संख्या | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आर टी आइ अधिनियम 2005 की संबंधित धारा | | | | | | | | | | | | | |
| धारा – 8(1) | | | | | | | | धाराएं | | | | | |
| क | ख | ग | घ | ङ | च | छ | ज | झ | ञ | 9 | 11 | 24 | अन्य |
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| संग्रहित प्रभार की राशि ( रुपए में ) | | |
|---|---|---|
| पंजीकरण शुल्क की राशि | अतिरिक्त शुल्क और अन्य कोई प्रभार | पैनल्टी की राशि |
| रु. 190.00 | शून्य | शून्य |